# बिहार शिक्षा परियोजना

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार,
पटना

तथा

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली

फरवरी 1990

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.....
Date.....

फोटो सौजन्यः जून मायर्स/युनिसेफ

प्रौद्योगिकी प्रभाग, युनाइटेड डेटाबेस (इंडिया) प्रा. लि., लिंक हाउस, बहादुर शा
नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा मुद्रित।

# विषय सूची


शब्द-संक्षेप

शब्दावली

बिहार का नक्शा

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पृष्ठभूमि | 1 |
| 2. | लक्ष्य | 2 |
| 3. | मार्ग और रणनीति | 3 |
| 4. | प्राथमिक शिक्षा | 9 |
| 5. | अनौपचारिक शिक्षा | 22 |
| 6. | प्रौढ़ साक्षरता | 33 |
| 7. | बालपन में देखभाल और शिक्षा | 42 |
| 8. | महिलाएं | 46 |
| 9. | संस्कृति, संचार और सतत शिक्षा | 54 |
| 10. | प्रशिक्षण | 59 |
| 11. | प्रबंध | 65 |
| 12. | परियोजना व्याप्ति | 74 |
| 13. | लागत के अनुमान | 76 |

# शब्द-संक्षेप

| | |
|---|---|
| ए. ई. | एडल्ट एजुकेशन (प्रौढ़ शिक्षा) |
| ए. ई . सी. | एडल्ट एजुकेशन सेंटर (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र) |
| बी. ई. पी. | बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट (बिहार शिक्षा परियोजना) |
| डी. आई. ई. टी | डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) |
| डी. आई. यू. | डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट (अंडर महिला समाख्य प्रोग्राम) जिला परिपालन इकाई (महिला समाख्य के अंतर्गत) |
| डी. आर. यू. | डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट फॉर एडल्ट एंड नॉन-फॉरमल एजुकेशन (प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए जिला संसाधन इकाई) |
| डी. टी. एफ. | डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स (जिला कार्य बल) |
| डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. | (ह्वाक्रा) डेवलपमेंट ऑफ वूमैन एंड चिल्ड्रन इन रुरल एरियाज़ (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास) |
| ई. सी. सी. ई. | अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (बालपन में देखभाल एवं शिक्षा) |
| ई. सी. एल. | अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग (बालपन में शिक्षण) |
| ई. एफ. ए. | एजूकेशन फॉर ऑल (सबके लिए शिक्षा) |
| आई. सी. डी. एस. | इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (समेकित बाल विकास सेवाएं) |
| आई. पी. सी. एल. | इम्प्रूव्ड पेस एंड कांटेंट ऑफ लर्निंग (इन. एन. एल. एम.) सीखने की गति व विषय वस्तु में सुधार (एन. एल. एम. में) |
| जे. एस. एन. | जन शिक्षण निलयम |
| एम. एस. एल. | मिनिमम लैवल्स ऑफ लर्निंग (शिक्षण के न्यूनतम स्तर) |
| एम. एस. के. | महिला शिक्षण केन्द्र |
| एम. टी. एफ. | मिशन टास्क फोर्स (स्टेट लेवल) अभियान कार्य दल (राज्य स्तर) |
| एन. ए. ई. पी. | नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम (राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम) |
| एन. सी. ई. आर. टी. | नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) |
| एन. एफ. ई. | नॉन-फॉरमल एजुकेशन (अनौपचारिक शिक्षा) |
| एन. जी. ओ. | नॉन-गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन (गैर-सरकारी संगठन) |
| एन. आई. ई. पी. ए. | नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान) |
| एन. आई. पी. सी. सी. डी. | (निपसिड) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक को-आपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान) |
| एन. एल. एम. | नेशनल लिटेरेसी मिशन (राष्ट्रीय साक्षरता मिशन) |
| एन. पी. ई. | नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986) |
| ओ. बी. | ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड) |
| पी. ओ. ए. | प्रोग्राम ऑफ एक्शन (फॉर एन. पी. ई.) कार्यवाई का कार्यक्रम (एन. पी. ई. के लिए) |
| आर. एफ. एल. पी. | रुरल फंक्शनल लिटेरेसी प्रोजेक्ट (ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना) |
| एस. ए. ई. पी. | स्टेट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम (राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम) |
| एस. सी. ई. आर. टी. | स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) |
| एस. आई. ई. टी. | स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान) |
| एस. सी. | शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) |
| एस. टी. | शेड्यूल्ड ट्राइब (अनुसूचित जनजाति) |
| एस. के. | शिक्षा कर्मी |
| एस. डब्ल्यू. आर. सी. | सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, तिलोनिया (सामाजिक कार्य एव अनुसंधान केंद्र, तिलोनिया) |
| यू. पी. ई. | यूनिवर्सेलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण) |
| यू. ई. ई. | युनिवर्सेलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन (प्रारम्भिक शिक्षा का सर्व- सामान्यीकरण) |
| वी. ई. सी. | विलेज एजुकेशन कमेटी (ग्राम शिक्षा समिति) |

## शब्दावली

| | |
|---|---|
| आश्रम शाला | जनजातीय इलाके में एक रिहायशी स्कूल |
| ग्राम सभा | एक गांव के सभी रहने वालों की सभा |
| जन-शिक्षण निलयम | शाब्दिक रूप से, 'बिरादरी के लोगों के पढ़ने के लिए एक बसेरा'; 4-5 गांवों के लिए एक ऐसा शिक्षा केंद्र जहां पुस्तकालय भी हो |
| महिला समाख्य | शाब्दिक रूप से, 'महिलाओं की बराबरी की अभिव्यक्ति' गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विकास और उनकी शिक्षा का एक कार्यक्रम |
| महिला शिक्षण केंद्र | महिलाओं की शिक्षा का एक रिहायशी केंद्र |
| महिला समूह | महिलाओं का एक समूह |
| पंचायत | चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी गांव के स्तर की एक मंडली |
| प्रेरक | शाब्दिक रूप से, 'प्रेरित करने वाला'; एक जन-शिक्षण निलयम का प्रभारी जिसके ऊपर निलयम की देखरेख एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण का भी जिम्मा हो |
| सहयोगिनी | शाब्दिक रूप से, 'जो सहायता करे या सहयोग दे'; एक महिला कार्यकर्ता जो करीब 10 शिक्षा साथिनों को रास्ता दिखाती और सहयोग देती है |
| संकुल पुस्तकालय | एक समूह के स्तर का पुस्तकालय |
| शिक्षा साथिन | शाब्दिक रूप से, 'शिक्षा में एक महिला सहयोगी'; गांव के स्तर की एक महिला शैक्षिक कार्यकर्ता, जिसका महिलाओं के समूह से बने संगठन से भी ताल्लुक हो |
| शिक्षा कर्मी | एक शैक्षिक कार्यकर्ता |

बिहार
जिले
ने पा ल
घाघरा नदी
गंगा नदी
भोजपुर
बेगूसराय
गंगा नदी
भागलपुर
नवादा
उ ड़ी सा

# अध्याय 1 पृष्ठभूमि

1.1 बिहार दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की स्थली है। ज्ञान की परंपरा और इसकी संस्कृति ने विद्वानों के बीच भारत के मान को बढ़ाया है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसके लोगों ने जो कुर्बानियां दीं, उसके कारण भारतीय इतिहास में इस राज्य का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज वही बिहार हमारे लिए एक चुनौती बन गया है और यह समझा जाता है कि यदि आप बिहार में कुछ हासिल कर लेते है तो भारत के किसी भी अन्य हिस्से में उसे करना आपके लिए मुश्किल न होगा। इसकी सामाजिक प्रणाली वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर अनेक तहों में बंट चुकी है। सामंती और जमींदारी प्रथाएं अभी भी बरकरार हैं, जिसके कारण सामाजिक असमानता और हुकूमत के ढांचे को अनुसूचित बल मिला है। यहां "निचली जातियों" तथा जनजातीय समुदायों पर अत्याचार किए जाते है तथा उनसे भेदभाव बरता जाता है। जच्चा-बच्चा की मृत्युदर अधिक तथा शिक्षा का स्तर निचले दर्जे का है। सार्वजनिक मामलों में इन समुदायों को भाग नहीं लेने दिया जाता। इन सभी बातों के कारण यहां गरीब औरतों की स्थिति भारत में सबसे बदतर है। उन्हें न तो काम सीखने का मौका मिलता है और न काम करने का। वे अक्सर डरी और सहमी हुई रहती है, जिससे उन्हें छुटकारा दिलवाना आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए बहुत जरुरी है। साथ ही पर्यावरण के खतरे का यह राज्य जितना शिकार है शायद देश का अन्य कोई दूसरा राज्य नहीं।

1.2 बिहार के शिक्षा ने संबंधित करीब-करीब सभी संकेत निराश करने वाले हैं। बिहार उन राज्यों में से एक है जहां नामांकन होने वालों का अनुपात सबसे कम है, खासतौर से महिलाओं और गरीब लोगों का। साथ ही प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ जाने वालों की दर भी देश में सबसे अधिक है। बड़ी संख्या में शिक्षकों के गैर-हाजिर रहने, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कुप्रबंध तथा प्रशासनिक उदासीनता के समाचार यहां मिले हैं। कुल मिलाकर बुनियादी शैक्षिक ढांचे का ह्रास हुआ है।

1.3 वैसे कुछ अच्छे संकेत भी हैं। मौजूदा हालात के प्रति बिहारी युवाओं में असंतोष है, जिसके कारण यहां काफ़ी बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठन तथा सक्रिय समूह उभर आए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षकों के संगठनों में भी काफ़ी चेतना है, जो न केवल शिक्षकों के हक के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि शैक्षिक प्रणाली में सुधार तथा शिक्षा के ढांचे को नए सिरे से बनाने के लिए आम जनता की भागीदारी में भी अपनी रुचि जता रहे है। यहां समर्पित शिक्षकों तथा उत्साही लोगों की कमी नहीं है। बिहार सरकार भी स्थिति से निपटने के लिए प्रबंध के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करना चाहती है।

# अध्याय 2 लक्ष्य

2.1 जाहिर है, बिहार शिक्षा परियोजना (बी. ई. पी.) का उद्देश्य शैक्षिक पुर्ननिर्माण के रास्ते राज्य के विकास में तेजी लाना है। शैक्षिक स्थिति के बदलते ही सभी क्षेत्रों में बदलाव आएगा। निराशा, आपसी बैरभाव और हिंसा के बादल छटेंगे तथा परिवेशी, सामाजिक , सांस्कृतिक तथा लिंग भेद के मसलों से निपटने का पक्का इरादा दिखाई देगा।

2.2 इस ढांचे के भीतर परियोजना के खास लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(क) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, जिसे एक ऐसे समन्वित कार्यक्रम के रूप में देखा गया है जिससे 14 साल तक के सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पा सकें। उनके औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा प्राथमिक स्तर को पूरा करने तक सभी मिल-जुल कर इसके लिए कोशिश करें तथा प्राथमिक शिक्षा में कम से कम निर्धारित नयूनतम स्तर को हासिल करवाने के लक्ष्य सभी जगह एक समान पूरे हों।

(ख) निरक्षरता में भारी कमी लाना, खासतौर से 15-35 आयु वर्ग में, जिससे इस वर्ग की साक्षरता 80 प्रतिशत तक पहुंच सके। यहां यह भी सुनिश्चित करना होगा कि साक्षरता का स्तर कार्यात्मक रूप से प्रासंगिक रहे।

(ग) शिक्षा प्रणाली में फेरबदल करना, जिससे वह महिलाओं को बराबरी का दर्जा तथा बल देने की दिशा में सहायक हो।

(घ) आवश्यक हस्तक्षेप कर 'निचली जातियों', जातीय समुदायों तथा समाज के गरीब वर्गों के बच्चों तथा बालिगों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।

(ङ) शिक्षा को लोगों के काम करने तथा रहने की स्थितियों से जोड़ना, जिससे रोजी-रोटी कमाने, पर्यावरण तथा जच्चा-बच्चा को जीवित रखने से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करने की उनकी क्षमता में सुधार हो।

(च) विज्ञान तथा पर्यावरण से जुड़ी सभी शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष जोर देना तथा सामाजिक न्याय की भावना को सबके मन में बैठाना।

2.3 बुनियादी तौर पर बिहार परियोजना का केंद्र बिंदु वह वर्ग है जो शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से वंचित है। फलस्वरुप यह वर्ग है महिलाओं और लड़कियों का, निचली जातियों का तथा जातीय और जन-जातीय समुदायों का (आमतौर पर इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है)।

# अध्याय 3 मार्ग और रणनीति

3.1 बहुत लंबे समय से हम यही समझते रहे कि अपने बच्चों को शिक्षित करवाना इंसान की स्वाभाविक इच्छा है और यदि स्कूल उपलब्ध कराए जाएं तो हरेक माता पिता अपने बच्चों को उनमें जरूर भेजेंगे। इसी वजह से शुरु-शुरु में हमारी शिक्षा प्रणाली स्कूल में दाखिला ले लेने को बहुत अधिक महत्व देती रही और शिक्षा का विकास मुख्य रूप से इसी प्रकार मापा जाता रहा कि सम्बद्ध आयु वर्ग में दाखिला लेने का अनुपात क्या है। पर साठ के दशक के दौरान इस बात को महसूस किया गया कि ज्यादातर बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी विचार से शिक्षा आयोग (1964-66) ने इस बाबत रोक लगाने पर जोर दिया कि यदि बच्चे स्कूल में रहेंगे तो पढ़ेंगे भी।

3.2 हमारे देश में सार्वजनिक मामले रिवाजों के अनुसार चलते है। खासतौर से शिक्षा, जिसका ताल्लुक पारंपरिक तौर पर परिवारों, निःशुल्क संस्थाओं और स्वयं सरकार से है। बी. ई. पी. की सफलता की पहली शर्त यही हैं कि वह भले ही दबे स्वर में, पर मान्यताओं पर प्रश्नचिन्ह लगाने को उत्सुक है। उदाहरण के लिए कुछेक मान्यताएं यह रही हैं कि :

3.2.1 प्राथमिक शिक्षा देने के लिए स्कूल से बेहतर साधन और कोई नहीं, तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम उस स्तर की शिक्षा नहीं दे सकती है;

3.2.2 एक तरफ शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के स्तर और प्रशिक्षण की अवधि तथा दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता में परस्पर संबंध है;

3.2.3 शिक्षक राजनीति के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए उनके कार्य-संचालन तथा प्रभावशालिता में कोई खास बदलाव लाना संभव नहीं;

3.2.4 लोगों को शिक्षित करना केवल सरकार की जिम्मेदारी है, निजी तौर पर चलाई जा रही संस्थाएं अनाचार का अड्डा हैं और चूंकि स्वयंसेवी संगठनों की संख्या बहुत कम है इसलिए वे शिक्षा कार्यक्रमों के पर्याप्त हिस्से का बीड़ा उठाने के काबिल नहीं;

3.2.5 सरकार थोड़ी लचीली होकर कुछ नया नहीं करना चाहती, स्वैच्छिक संगठनों को अपना साझीदार बनाने की उसकी कोई खास इच्छा नहीं हैं तथा सृजनशील व्यक्तियों को (अकेले व्यक्ति के

रूप में) शरीक करने के साधन जुटाने में भी वह समर्थ नहीं है। कुल मिला कर वह शिक्षकों तथा समाज में मिशनरी भावना पैदा करने में असमर्थ है।

3.3 लोगों ने जो कुछ देखा और समझा, उसी के आधार पर ये मान्यताएं बनीं। फिर भी इस व्यवस्था को तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक इन मान्यताओं पर नए सिरे से सोचा न जाए तथा शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू किए जाने के अलग-अलग तरीके, तकनीक और रणनीति तय न हों। इस रणनीति में सबसे खास बात यह है कि इस समय हम केवल उसका एक विस्तृत स्वरूप तैयार कर सकते हैं। उसकी आखिरी शक्ल कैसी होगी, यह हमें समय और अनुभव के हाथों छोड़ना होगा। नीचे हम शैक्षिक पुनर्निमाण की नई रणनीति के कुछ मुख्य सिद्धांतों का जिक्र करेंगे।

3.4 शिक्षा का पूर्णतावादी दृष्टिकोण : बी. ई. पी. के तहत तय की गई नई रणनीति का सबसे अहम पहलू यह है कि वह शिक्षा को सामाजिक बदलाव लाने का औजार, असमानता दूर करने का साधन तथा जनता में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश मानती है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक राष्ट्रीय विकास से है। जाहिर है, शिक्षा का इतना पूर्णतावादी दृष्टिकोण चाहेगा कि शिक्षा के समूचे स्तर और प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से बदला जाए जिसका शिक्षकों के प्रशिक्षण, योजना और प्रबंध में सार्थक मतलब हो।

3.5 आपसी सम्मति से शरीक होना : बी. ई. पी. को ऐसे लोगों को साथ लेना चाहिए जो इसे सफल बनाने में मदद कर सकें। इनमें शामिल हैं:

- सभी तरह के राजनीतिक दल;
- शिक्षक संगठन;
- संबंधित विभाग, कार्यालय, सरकारी अधिकारी;
- मालिक और श्रमिक संघ के सदस्य;
- स्वयंसेवी संगठन और सक्रिय समूह;
- माध्यमिक और उच्च शिक्षा की संस्थाएं।

जो लोग इसके लिए काम करें, उन्हें बी. ई. पी. की सही जानकारी होनी चाहिए तथा उनमें भरोसे और विश्वास को पैदा किया जाना चाहिए।

3.6 सबसे पहले शिक्षक : बिहार में इस समय 200,000 से भी अधिक प्रारंभिक स्कूल शिक्षक तथा प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा में करीबन 100,000 प्रशिक्षक है। कार्यक्रम का संपूर्ण बल शिक्षकों/प्रशिक्षकों पर आधारित होना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है बी. ई. पी. में उनके पद की महत्ता को स्वीकारा जाना तथा सभी स्तरों पर योजना और प्रबंध में उनकी भागीदारी व प्रदर्शन में सुधार। मुख्य कोशिश यह होगी कि ऐसी स्थितियां पैदा की जाए जिससे शिक्षक अपने अस्तित्व को समझें।

3.7 महिलाओं को सशक्त करना : देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार की औरतें भी अबला हैं।

इस मायने में उनकी बलहीनता में कमी लाने वाले उपाय उन्हें सबला बनाने के प्रयास ही माने जा सकते हैं। वैसे बी. ई. पी. के संदर्भ में, सशक्त करने का अर्थ है औरतों के लिए ऐसे अवसर और स्थितियां पैदा करना, जिनसे उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं को व्यक्त करने का मौका मिल सके। साथ ही वे अपनी दुखद परिस्थिति पर रोष व्यक्त कर स्थिति को बदलने के लिए परिवार और समाज पर संयुक्त दबाव डाल सकें। बी. ई. पी. के तहत सभी प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को इस दृष्टिकोण की जानकारी दे दी जाएगी।

**3.8** साम्य : यह सही है कि महिलाओं को बल प्रदान करवाना बी. ई. पी. के सभी कार्यक्रमों का सबसे कठिन परीक्षण है, फिर भी बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, भूमिहीन कृषि मजदूर आदि समाज के वंचित वर्ग भी न्याय के हकदार हैं। साम्य का अर्थ केवल बराबर अवसरों से नहीं है, बल्कि ऐसी स्थितियां तैयार करना भी है जिनसे वंचित वर्ग मौके हासिल कर सकें। इसके अलावा इसे सभी काम करने वालों या सीखने वालों के बीच साम्यवाद तथा सामाजिक न्याय का रवैया पैदा करना चाहिए।

**3.9** समय की कसौटी पर खरी उतरी सक्रिय संस्थाए : ऐसी अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं तथा मीडिया से जुड़ी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस समय इन संस्थाओं में अलगाव और शरीक न होने की जो भावना है उसे उनकी सक्रिय भागीदारी तथा बुनियादी शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा योगदान करने की इच्छा को बलवती बनाने में बदलना होगा। कुछ संस्थाएं प्रशिक्षण, पढ़ाने या पढ़ने वाली सामग्री के विकास, प्रबंध, अनुसंधान आदि के लिए संसाधन संस्थाओं के रूप में भी काम कर सकती है। (अध्याय के अंत में बॉक्स देखें)।

**3.10** गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास : काफी बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थान, स्वयंसेवी संगठन तथा सक्रिय समूह सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसका सरकार को पता नहीं है। नए स्वैच्छिक संगठनों के बनने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनेक शिक्षक नवीनीकरण के इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहेंगे। उन्हें इसका मौका मिलना चाहिए। कलाकार, लेखक, मीडिया के लोगों तथा अन्य सर्जनशील व्यक्तियों को पहचानना चाहिए तथा बी. ई. पी. में उनकी भूमिका तय करनी चाहिए। इसके अलावा सेवानिवृत कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक तथा गृहिणियां भी इसमें बहुमूल्य सहयोग दे सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए, जिनमें से कुछ मोह भंग की स्थिति में हैं, पर बी. ई. पी. को लागू करने में औरों का हाथ बंटा सकते हैं।

**3.11** 'गैर-शैक्षिक' पहल को कबूलना : बी. ई. पी. के लिए काम करने वाले सामाजिक सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते। यदि कोई प्राकृतिक या इंसान द्वारा पैदा की गई आपदा सामने आती है तो बी. ई. पी. के लोगों को शांति और स्थिरता बनाए रखने वाली ताकतों के साथ पुर्ननिर्माण के काम में जुट जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि भागलपुर में सांप्रदायिक और विनाशक तत्वों के खिलाफ सांप्रदायिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने वाली ताकतों को खड़ा करना हो तो

युवाओं, महिलाओं और अन्य लोगों को इस बाबत प्रशिक्षण देने के काम में सहयोग देने के लिए बी. ई. पी. को अवश्य आगे आना चाहिए। इसी तरह ऐसे कई अन्य कार्यक्रम होते है जिन्हे यदि बी. ई. पी. के कार्यक्रमों के साथ-साथ किया जाए जो सहक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ है आई. सी. डी. एस., ड्रवाक्रा, जन पुस्तकालय व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम, आदि।

3.12 संवर्ग की तैयारी : हमारी परिकल्पना है (1) कि प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में फिर से तेजी लाई जाएगी जिसके लिए प्रशिक्षक सक्रिय भूमिका अदा करेंगे तथा प्रशिक्षक प्रेरकों की देखरेख में काम करेगा; (2) कि लड़कियों और औरतों की भागीदारी बढ़ाने के वास्ते स्थितियां तैयार करने के लिए गांवों के स्तर पर शिक्षा साथिनें होंगी; तथा (3) कि गांव के स्तर पर एक समूह या एक समिति तैयार करना संभव होगा जो बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए जवाबदेह होगी तथा इन सेवाओं की बेहतरी के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। ये आशाएं तभी पूरी हो सकती हैं जब हमारे पास प्रशिक्षित तथा वचनबद्ध संवर्ग हों। इनमें से कुछ संवर्ग कर्मचारियों के रूप में काम करेंगे, जबकि अधिकतर स्वैच्छिक आधार पर इसके साथ जुड़ेंगे। इन संवर्गों को बनाना, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना, उनका वर्धन करना, उन्हें और अधिक शिक्षित करना तथा बी. ई. पी. के उद्देश्यों को पूरा करना रणनीति का एक अहम हिस्सा है।

3.13 योजना और उसे लागू किए जाने में हिस्सेदारी : भारत में कर्मचारियों और उनके काम से फायदा उठाने वालों की सहभागिता या उनके शामिल होने के बारे में बहुत चर्चा हुई है। वैसे स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आया है तथा हमारे यहां अभी भी कर्मचारी को नीची नजर से देखने, उससे अभिभावक-सा व्यवहार करने तथा तानाशाही रवैया अपनाने का सिलसिला जारी है। मौजूदा हालात को बदलने के लिए कई व्यवहार कुशल उपाय किए जाएंगे, जिससे सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे:

- पढ़ने वाले बालिग, नए शिक्षा शास्त्र की मदद से साक्षरता कार्यक्रमों में;
- माता-पिता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला ले लिया है तथा उन्हें इसका फायदा हो रहा है;
- शिक्षक, जिन्हें शिक्षा के सार और उसकी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तथा साथ ही प्रबंध में भी उन्हें शरीक किया जाएगा;
- समुदाय, प्रशिक्षित संवर्गों की मदद से;
- स्वयंसेवी संगठन, प्रबन्ध में।

3.14 प्रबंध नहीं, बल्कि मिशन : एक मायने में अच्छा प्रबंध एक मिशन की तरह होता है। सिर्फ प्रबंध नियंत्रण, दबावों और प्रबोधन पर निर्भर करता है जबकि मिशन के पीछे काम करने वाले लोगों की व्यक्तिगत, यहां तक कि भावनात्मक वचनबद्धता तक काम करती है। मिशन में परिचालन स्तर पर क्षमता बढ़ाने के लिए उस पर नजर रखी जानी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए तथा नतीजों को भी देखा

जाना चाहिए, परंतु दूसरे स्तर पर मिशन को विकेंद्रित, सब को शामिल करने वाला, लचीला और कुछ उसे प्रयास की भावना से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उसे काम को बांटकर विशिष्ट व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह तथा संस्थाओं को सौंप देना चाहिए, जिससे काम को निश्चित अवधि के भीतर निपटाया जा सके।

3.15 प्रदर्शन से शुरूआत : समय न नष्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हासिल किया जाना चाहिए। परन्तु यह ज्यादा जरुरी है कि आने वाली रुकावटों, अशक्त करने वाले तत्वों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करने से पहले पूरी तरह योजना बनाई जाए तथा जो कुछ हासिल हो, उसे प्रदर्शित किया जाए। शुरुआत इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उसे इस तरह अनदेखा कर दिया जाए, जैसे कुछ घटा ही नहीं। शुरुआत को शानदार तरीके से करने के लिए

- तीन जिलों के कुछ ब्लॉकों में सभी कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयास किए जा सकते है;
- 100 स्वैच्छिक एजेंसियां आशा के साथ योजना तैयार कर घने क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को लागू कर सकती है;
- 500 लोगों को शामिल कर उनका आपस में या संगठनों के साथ या कार्यक्रमों के साथ जाल तैयार किया जा सकता है;
- पूरी तरह कायापलट करने के वास्ते प्रत्येक के लिए 10 एन. एफ. ई. तथा ए. ई. परियोजनाओं का चुनाव किया जा सकता है।

3.16 एक खुली परियोजना : आमतौर पर किसी परियोजना को लागू करने वाले लोग उस परियोजना के दस्तावेज को पूजनीय मानने लगते है। परंतु परियोजना के दस्तावेज को अंतिम मान कर नहीं चलना चाहिए। वैसे बिहार के शिक्षा पुनर्निमाण पर बातचीत शुरु करने का भी विचार है, जिससे योजना बनाने और उसे लागू किए जाने की उस शुरुआत को किया जा सके, जो वित्तीय सहायता पाने का आधार होगी। इसमें सहायक परियोजनाओं, समालोचनात्मक मूल्यांकन, गलतियों को सुधारने, नए दर्शन को शामिल करवाने, तथा संभावनाएं बताने का आह्वान किया जाएगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, परियोजना का विस्तार होगा। इस बीच परियोजना के दस्तावेज के अंतिम रूप लेने से भी पहले पूरे उत्साह से कार्य शुरु हो जाएगा।

संस्थान संस्थानों की निदर्शी सूची तथा वे गतिविधियां जिनके करने की संभावना है

1. बेडियर लेबर रिसर्च इस्टिट्यूट, जमशेदपुर
   प्रबंध सहायता
   कार्यक्रम मूल्यांकन

2. बिड़ला इस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, मेसरा
   विज्ञान तथा गणित की पढ़ाई में सुधार
   लोगों को शिक्षित करने के काम में लगे शिक्षकों का पुनर्निर्धारण

3. बेडियर इस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, रांची
   वरिष्ठ-स्तर के ए. ई. या एन. एफ. ई. कर्मचारियों को प्रशिक्षण
   समाज विज्ञान की पढ़ाई में सुधार

4. एस. सी. ई. आर. टी.
   पाठ्यक्रम का विकास
   पर्यवेक्षी कर्मचारियों का प्रशिक्षण
   सामग्री का उत्पादन

5. डी. ई. ई. पी. ए. वाई. ए. टी. ए. एन.
   ए. ई. या एन. एफ. ई. कर्मचारियों का प्रशिक्षण
   ए. ई. या एन. एफ. ई. के लिए पाठ्यक्रम तथा सामग्री
   माहौल तैयार करने वाली सामग्री

6. एस. आई. ई. टी.
   मीडिया सहायता
   पढ़ाने वाली सामग्री का उत्पादन

7. इस्टिट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रिएलाइजेशन, रांची
   व्यावसायिक शिक्षा
   उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण

8. सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इस्टिट्यूट
   विज्ञान तथा गणित के कार्य-अनुभव की पढ़ाई में सुधार

9. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, पटना विश्वविद्यालय
   लोगों को शिक्षित करने के काम में लगे शिक्षकों का प्रशिक्षण
   डी. आई. ई. टी. की संस्थान सहायता

इनके साथ-साथ, और भी अनेक संस्थान हो सकते हैं, उदाहरणार्थ—
आई. एन. एस. ए. एन. स्कूल, आर. के. मिशन,
आर. आई. टी., ए. एन. सिन्हा इस्टिट्यूट, रवि भारती

# अध्याय 4

# प्राथमिक शिक्षा
# पहुंच, भागीदारी और उपलब्धि

**4.1** बी. ई. पी. का मुख्य उद्देश्य सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा (यू. पी. ई.) के लिए स्थितियां तैयार करना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना बनने के दौरान यू. पी. ई. के विभिन्न उपांशों की व्याख्या की गई। वे हैं:

4.1.1 <u>सर्वव्यापी पहुंच</u> : इसमें पहले से ही मान कर चला गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय या एक एन. एफ. ई. केन्द्र पैदल चल कर जाने लायक दूरी के अंदर सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो और वे उसमें जा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए कि 1995 तक बिहार के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा हासिल करना संभव हो।

4.1.2 <u>सर्वव्यापी भागीदारी</u> : पहुंच अपने आप में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करती। पूरे देश में 50 प्रतिशत से थोड़े कम के मुकाबले बिहार में कक्षा 1-5 के स्तर पर पढ़ाई छोड़ जाने वालों की दर करीबन 65 प्रतिशत है तथा लगभग 70 प्रतिशत की राष्ट्रीय दर के मुकाबले कक्षा 1 से 8 तक के दौरान पढ़ाई छोड़ जाने वालों की दर करीबन 80 प्रतिशत है। सर्वव्यापी भागीदारी का मतलब केवल यह नहीं है कि सभी बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा हासिल करना शुरु करते हैं वे अंत तक बने रहें, बल्कि यह भी है कि उनकी भागीदारी सक्रिय और नियमित हो। 1990-95 का लक्ष्य होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 65 प्रतिशत से घटा कर 45 प्रतिशत तक ले आई जाए। यह कुल लक्ष्य नहीं है, पर इसे प्रत्येक ब्लॉक तथा प्रत्येक सामाजिक वर्ग, जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा हासिल किया जाना चाहिए।

4.1.3 <u>सर्वव्यापी उपलब्धि</u> : इस बारे में बहुत कम अध्ययन किया गया है जिससे यह तुलना की जा सके कि कक्षा 5 या कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने वास्तव में क्या उपलब्ध किया और उनसे किस स्तर की उम्मीद की जा रही थी। हिन्दी और गणित के कठिन विषयों में यदि उपलब्धि आशा से बहुत कम हो तो कोई आश्चर्य नहीं। सभी क्षेत्रों की समूची प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण तथा उपलब्धि का पुर्ननिर्धारण करना होगा। इसके लिए शिक्षण का कम से कम जरूरी स्तर तय किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्राथमिक स्कूल की कक्षा 5 या अनौपचारिक शिक्षा में उसके समकक्ष चरण को उत्तीर्ण करते समय सभी बच्चे उस स्तर को हासिल कर लें।

**सर्वव्यापी पहुंच**

4.2 प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था : इस समय 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के करीबन 95 प्रतिशत बच्चों के लिए 1 कि. मी. की पैदल दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है। वैसे हो सकता है कि यह अनुमान गलत हो और वास्तव में प्राथमिक शिक्षा हासिल कर पाना इससे ज्यादा कठिन हो। प्रबंध के अध्याय में 'स्कूलों के मानचित्रण' पर चर्चा की गई है। नक्शे पर स्कूलों की स्थिति देखकर यह पता लगाया जा सकेगा कि स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की मौजूदा सुविधाओं का लाभ कितने बच्चे उठा पा रहे हैं, परन्तु यह जरूरी होगा कि बिहार के सभी ब्लॉकों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। जो उपाय किए जाने चाहिएं उनमें शामिल है

(क) जहां ज्यादा आवास हों, जैसे 200, वहां प्राथमिक विद्यालय की सुविधा;

(ख) काम करने वाले बच्चों के लिए हरेक गांव में कम से कम एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र;

(ग) उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा कर्मी इकाइयां, जहां स्कूलों का खोला जाना संभव नहीं है;

(घ) जरूरतमंद बच्चों, खासतौर से उपेक्षित जनजातीय समुदायों (उदाहरण के लिए पहाड़िया) के लिए काफी बड़ी संख्या में आश्रम शालाएं तथा कम लागत वाली छात्रावास सुविधाओं की व्यवस्था;

(ड.) जिन आवासों के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं, वहां चुनी हुई स्थानीय महिला कार्यकर्ता की देखरेख में पूर्व-प्राथमिक एवं निम्न-प्राथमिक इकाइयों की व्यवस्था। इस स्थिति में बच्चे कक्षा 3 या 4 से विधिवत धारा में शामिल हो सकेंगे;

(च) उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ानी होगी, जिससे 1:4 से भी कम के वर्तमान अनुपात को कम से कम 1 : 3 तक पहुंचाया जा सके। इस में उन प्राथमिक स्कूलों को अलग प्राथमिकता देनी होगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों की पहुंच के भीतर हों;

4.3 लड़कियों की भागीदारी : प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए लड़कियां पूरी तरह उसमें शरीक हों, इसके लिए दोमुंही रणनीति अपनाई जाएगी – एक तरफ महिलाओं को बल प्रदान करने के उपाय तो दूसरी तरफ लड़कियों के लिए नए अवसर पैदा करना। इसमें महिलाओं को बल प्रदान करने के बारे में किसी और अध्याय में चर्चा की जाएगी। यहां हम अपने आपको केवल उन उपायों की गणना करने तक सीमित रखेंगे, जिन्हें लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा के ज्यादा अवसर देने के लिए किया जाना जरूरी है। उन उपायों में शामिल हैः

4.3.1 कस्बों तथा बड़े गांवों में जहां दूसरे प्राथमिक या उच्चतर विद्यालय की जरूरत होगी, लड़कियों के विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा प्राथमिक विद्यालय बगैर किसी अपवाद के लड़कियों के लिए ही होगा।

4.3.2 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्कूलों में महिला शिक्षकों के होने पर माता-पिता अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में कम आनाकानी करते हैं, महिला शिक्षकों की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। इनमें सम्मिलित हैं:

(1) महिलाओं के लिए सभी टी. टी. आई. में 75 प्रतिशत सीटों का आरक्षण;

(2) उम्मीदवारों का स्थानिक बंटवारा, खासतौर से महिलाओं के चयन में ग्रामीण इलाकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए;

**एक ब्लॉक के सभी आवासो की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आने वाला अनुमानित खर्च स्कूल के साज-समान सहित**

**(रूपए लाखो मे)**

| क्रम. संख्या | विषय | गैर-आवर्ती | आवर्ती |
|---|---|---|---|
| 1. | नए प्राथमिक विद्यालय (5) | 5.7 | 2.4 |
| 2. | शिक्षा कर्मी इकाइयां (15+30) | 0.8 | 4.0 |
| 3. | एन. एफ. ई. केंद्र (40) | 0.4 | 4.4 |
| 4. | शिक्षण-संबंधी अन्य प्रकार | 0.1 | 0.6 |
| 5. | 50 प्राथमिक विद्यालयों को उपकरण (अनावृत्त) | 7.5 | — |
| 6. | ओ. बी. के अंतर्गत पहले ही आवृत्त 50 प्राथमिक विद्यालयों को उपकरण | 2.5 | — |
| 7. | बाल केंद्र गतिविधियां | — | 0.5 |
| | कुल | 17.0 | 11.9 |

(3) काफी बड़ी संख्या में संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के संगठन (देखें, महिलाओं के अध्याय का परिशिष्ट, महिला शिक्षण केंद्र);

(4) ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने कि लिए शिक्षा-कर्मियों, यहां तक कि शिक्षकों की नियुक्ति में योग्यता की रियायत।

4.3.3 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के जो उपाय किए जाएंगे, उनमें शामिल होगा

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य स्थानों पर महिलाओं के छात्रावासों का निर्माण;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में उन पति-पत्नियों के जोड़ों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना जो वहां रहने का फैसला कर चुके हों;

(3) स्कूल की इमारत में महिला शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराना।

4.3.4 केवल महिलाओं के लिए विशेष आश्रम शालाएं तथा कम लागत वाले छात्रावास उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.4 आपसी तालमेल करके ऐसी सहायक सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी जिससे लड़कियों को घर के कामकाज से छुटकारा मिले और वे स्कूल जा सकें। बालपन के दौरान देखरेख करने वाले केंद्र उपलब्ध कराना तो बी. ई. पी. का एक हिस्सा है (इसका अलग अध्याय में जिक्र है) परन्तु पीने के पानी, चारे और ईधन की उपलब्धता के बारे में संबंधित विभागों को ध्यान रखना होगा। राज्य अभियान कार्य-दल उपयुक्त विभागों से तालमेल करेगा और बी. ई. पी. के लिए चुने गए जिलों में अपने प्रयास केंद्रित करने की कोशिश करेगा।

4.5 <u>कामकाजी बच्चे</u> : बच्चों का काम करना अपने आप में बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। हमारे यहां यह परम्परा है कि बच्चे परिवार के कामों में हाथ बंटाते हैं। पर तब उसे कबूलना मुश्किल हो जाता है जब काम बहुत मशीनी, सताने वाला और जोखिम भरा हो। बिहार में काम करने वाले बच्चों के मामले देश के अन्य हिस्सों से भी ज्यादा देखने में आते हैं। कामकाजी बच्चों के मुख्य वर्ग इस प्रकार हैं:

(क) बंधुआ मजदूर, जो जगह-जगह फैले हुए, पर प्रायः छिपे हुए है;

(ख) सड़कों पर भटकने वाले बच्चे और वे बच्चे जो दुर्व्यवहार के माहौल में जी रहे हैं--हाल ही के कुछ सालों में विचलित करने वाले ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बिना मुकदमों के बच्चों को जेल में डाल दिया गया, लड़कियों को अनाथाश्रम और बहुत खराब तरीके के चलाए जा रहे 'देखरेख गृहों' में भेज दिया गया तथा बच्चो का अंग-भंग कर दिया गया आदि। एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भार उठाने, कूड़ा बीनने, फेरी लगाने, भीख मांगने आदि का काम करते हैं;

(घ) बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या वर्जित तथा जोखिम भरे कारोबारों में खानों, फैक्टरियों तथा ऐसे व्यवसायों में काम कर रही है, जिन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से जोखिम भरा घोषित किया गया है;

(घ) ऐसे कामों में लगे बच्चे जहां उन्हें कम कमाई होती है। इसमें शामिल है– मौसम आने पर कृषि के कामों के लिए रखे जाने वाले बच्चे, घरेलू नौकर, दुकानों, ढाबों, मरम्मत की दुकानों आदि में काम करने वाले बच्चे;

(ड.) परिवार के कामों में उलझे बच्चे–काम करने वाले बच्चों का ये सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें शामिल हैं:

- लड़कियां जो सगे भाई-बहिनों को संभालने तथा घर के कामकाज करने के लिए अनिवार्य रूप से घर पर रूकती है;
- ईंधन, चारा और पानी लाने वाले बच्चे, जिनमें मुख्य रूप से लड़कियां होती है;
- मवेशियों की देखभाल करने वाले बच्चे;
- पारिवारिक खेती के कामों, जैसे बीज रोपने, भूसी निकालने, अनाज के खेतों से पक्षी तथा जानवर भगाने आदि में सहायता करने वाले बच्चे। ये काम कभी-कभी बहुत थकाने वाले होते है, पर आमतौर पर इनमें शोषण नहीं होता और इन्हें पारिवारिक माहौल में, माता-पिता के संरक्षण में करवाया जाता है।

4.5.1 हालांकि बिहार के मामले में कोई मात्रा-संबंधी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, फिर भी अनुमान है कि यहां कामकाजी बच्चों की संख्या 40 से 50 लाख के करीब होगी। यह संपूर्ण देश की तथा खासतौर से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बंधुआ बच्चों को मुक्ति दिलाए, सड़कों पर भटकने वाले तथा दुर्व्यवहार के माहौल में जी रहे बच्चों को इससे छुटकारा दिलाए तथा जोखिम भरे कारोबारों में बच्चों से काम कराए जाने पर रोक लगाने वाले कानूनों को कारगर तरीके से लागू करे। गरीबी घटाने के कार्यक्रमों, खासतौर से ग्रामीण रोजगार के माध्यम से, प्रयास किये जाने चाहिए कि परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर न हों। जहां तक घरेलू कामकाज करने वाले का सवाल है, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा की अनुकूल सुविधाएं तथा प्रासंगिक शिक्षा दिया जाना संभव होना चाहिए।

**4.6** <u>अनुसूचित जातियां</u> : अनुसूचित जातियों की स्थिति हमेशा से दुख का कारण रही है। उन्हें एक तरफ कमाई के स्रोतों का लाभ उठाने के अधिकार, मजदूरी के मुनासिब अधिकार से वंचित रखा जाता है और दूसरी तरफ काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। कुछ व्यावसायिक वर्ग जैसे मेहतर, सड़क साफ करने वाले, चर्मकार आदि अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं तथा उनके साथ सामाजिक भेदभाव बरता जाता है। अब अनुसूचित जातियों के लोग जागरूक हो रहे हैं और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी है। शिक्षा कार्यक्रमों तथा नागरिक अधिकारों के लिए हो रहे आंदोलन में भागीदारी के माध्यम से बी. ई. पी. अपने सभी कर्मचारियों तथा सहभागियों को मौजूदा हालात बदलने के काम में लगाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा उसे लागू किए जाने के कार्यक्रम में वे उपाय सुझाए गए हैं, जिन्हें अनुसूचित जातियों की शिक्षा में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है। बी. ई. पी. के अंतर्गत अपनाए जाने वाले कुछ और उपाय इस प्रकार होंगे:

(क) अनुसूचित जाति की भीतरी असमानताओं तथा साथ ही महिलाओं तथा लड़कियों की निचली स्थिति को पहचाना जाएगा तथा यही पहचान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करने की रणनीति तय करेगी। जो वर्ग विशेष रूप से नुकसान उठा रहे हैं, उन्हें पहचानने के लिए सूक्ष्म-स्तरीय योजना बनाई जाएगी। उन्हीं में से चुने गए लोगों, विशेषकर महिलाओं, के संवर्ग बनाकर उन्हें गहन प्रशिक्षण देने से वे सामाजिक क्रम में अपने उचित स्थान के लिए सफलतापूर्वक दावा पेश कर सकेंगे।

(ख) जो नए स्कूल तथा एन. एफ. ई. केंद्र खोले जाएंगे, वे अनुसूचित जाति के आवासों की सीमा में होंगे।

(ग) प्राइमरी स्कूलों या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में आने वाली अनुसूचित जाति की सभी लड़कियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री तथा स्कूली पोशाकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

**प्राथमिक स्कूल या एन. एफ. ई. केंद्र जाने वाली सभी अनुसूचित जाति की लड़कियो को प्रोत्साहन देने पर आने वाला अनुमानित खर्च**

| खर्च प्रति लड़की | रूपए |
|---|---|
| 1. स्कूली पोशाकें | 100 |
| 2. ऊनी स्वेटर (दो साल में एक बार) | 30 (आधी कीमत) |
| 3. पाठ्यपुस्तकें | 20 |
| 4. कापियां | 20 |
| 5. पेन/पेंसिलें | 10 |
| कुल | 180 |
| बिहार में अनुसूचित जाति की 6-11 आयु-वर्ग की एस. सी. लड़कियों की कुल संख्या | 7.2 लाख |
| वार्षिक खर्च प्रति लड़की 180 रूपए की दर से | 1296 लाख रूपए |

(घ) जो स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक गतिविधियों में जुटे समूह तथा लोग अनुसूचित जातियों के उत्थान के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध हैं उन्हें अनुसूचित जाति के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने तथा उसे लागू करने के कामों में शामिल किया जाएगा।

4.7 अनुसूचित जनजातियां : बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लोग मुख्य रूप से छोटा नागपुर तथा संथाल परगाना मंडलों में रहते हैं। वे अनेक जनजातीय भाषाएं बोलते हैं जिनमें से प्रमुख हैं संथाली, मुंदरी, ओराओं तथा हो। जनजातियों के लोप होने तथा तथा उनके बीहड़ प्रदेशों की ओर पीछे खिसकने के कई कारण रहे–नियत कृषि, खान-खुदाई, उद्योगीकरण तथा बिजली के कारखाने लगाने के लिए ज्यादातर गैर-जनजातीय लोगों द्वारा जंगलों का काटा जाना। समूचा क्षेत्र विस्थापन तथा सांस्कृतिक धक्के के आघातों के बीच से गुजर रहा है।

4.7.1 अनुसूचित जनजातियों को गैर-अनुसूचित जनजातीय आबादी के स्तर तक ऊपर उठाने तथा उसकी रफ्तार को हासिल करने लायक बनाने के लिए सुविधाओं और प्रोत्साहनों का एक व्यापक पुलिंदा उपलब्ध करवाना जरूरी होगा। एन. पी. ई. तथा पी. ओ. ए. में ऐसे कुछ उपायों की चर्चा की गई हैं। यहां बी. ई. पी. के अंतगर्त किए जाने वाले प्रमुख उपायों का उल्लेख है।

4.7.2 अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस काबिल बनाना होगा कि वे एक ऐसे शिक्षा कार्यक्रम का खाका तैयार कर उसे लागू कर सकें जो उनकी आशाओं और सांस्कृतिक अवस्था से मेल खाता हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म-स्तरीय योजनाओं की जरूरत होगी, क्योकि इन्हें उसी रीति के अनरूप बनाना होगा जिसमें जनजातीय समुदाय संगठित हुए और आकार में ढले हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन, खासतौर से वे जिनमें जनजातीय लोग प्रबंध के स्तर पर मौजूद हैं, इस बारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

4.7.3 सूक्ष्म-स्तरीय योजना के आधार पर यह जरूरी होगा कि उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिनमें शामिल होंगे:

(1) प्राथमिक विद्यालय (ऐसी जगह जहां आसानी से आया-जाया जा सके);
(2) अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, या रात्रि पाठशालाएँ;
(3) शिक्षा कर्मी इकाइयां;
(4) संयुक्त पूर्व-प्राथमिक तथा निम्न-प्राथमिक स्कूल;
(5) जहां आवास बिखरे हुए हैं वहां यह तक जरूरी हो सकता है कि परिगामी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो कुछेक परिवारों को थोड़ी देर हर रोज या एक दिन बाद जाकर पढ़ा सकें।

4.7.4 शुरू-शुरू में यह जनजातीय लोगों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। सी. आई. आई. एल. ने बिहार की वस्तुतः सभी मुख्य जनजातीय भाषाओं की प्रारंभिक स्तर पर इस्तेमाल होने

वाली पढ़ने की सामग्री तैयार कर ली है। इसमें वह सामग्री भी शामिल है जो जनजातीय भाषा तथा हिंदी के बीच पुल का काम करेगी। सामग्री का विधिवत रूप से परीक्षण होना चाहिए। वैसे यदि जनजातीय समुदाय स्थानीय स्तर पर हिन्दी में पढाने की मांग करता है तो उसकी भी अनुमति दे दी जानी चाहिए।

**कक्षा 6-9 के 200 छात्रो के लिए एक आश्रम-शाला तथा 60 छात्रों के एक कम लागत वाले छात्रावास पर आने वाला अनुमानित खर्च**

| | |
|---|---|
| **क. आश्रम शाला** | |
| I. **गैर-आवर्ती खर्च** | (रूपए लाखों में) |
| 1. **सिविल कार्य** | |
| i) स्कूल की इमारत | |
| ii) छात्रावास | |
| iii) कर्मचारियों के 5 आवास | 20 |
| 2. **साज-सामान** | |
| (स्कूल तथा छात्रावास के लिए) | 7 |
| कुलः (क) | 27 |
| II. **आवर्ती खर्च** (प्रति वर्ष) | |
| i) हैड मास्टर, 5 शिक्षकों, 1 क्लर्क, 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते | |
| ii) छात्रों की पाठ्य पुस्तकें, स्कूली पोशाकें तथा आवास-व्यवस्था | |
| iii) आनुषंगिकताएं | 10 |
| **ख. कम लागत वाला छात्रावास** | |
| **I. गैर-आवर्ती खर्च** | |
| 1. छात्रावास | |
| 2. कर्मचारियों के आवास (2) | |
| 3. साज-सामान | 7 |
| **II. आवर्ती खर्च (प्रति वर्ष)** | |
| 1. संरक्षक के लिए मानदेय तथा एक चपरासी के लिए वेतन तथा भत्ते | |
| 2. 60 छात्रों के लिए 9 महीने के लिए आवास-व्यवस्था | |
| 3. आनुषंगिकताएं | 3 |
| कुल (ख) | 20 |

4.7.5 अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए अलग-अलग काफी संख्या में आश्रम शालाएं तथा कम लागत वाले छात्रावास बनाए जाने चाहिएं। अनुमान है कि इस परियोजना के अंतर्गत चुने गए जिलों में 20 नई आश्रम शालाएं खोली जाएंगी।

**4.8** शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अन्य वर्ग : शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे और भी अनेक वर्ग हैं, जिनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें शामिल हैं: (1) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक; (2) प्रवासी लोग; (3) शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग लोग; आदि। इस बारे में ' 2000 तक सब के लिए शिक्षा ' * नामक दस्तावेज में आवश्यक सिफारिशें की गई हैं।

**सर्वव्यापी भागीदारी :**

**4.9** शिक्षा प्रणाली की सबसे कठिन समस्या है शिक्षकों और पढ़ने वालों की सक्रिय और परस्पर प्रभावशील भागीदारी। ई. एफ. ए. के संदर्भ में सर्वव्यापी भागीदारी का मतलब है:

(1) उन सभी बच्चों और युवा बालिगों को भरती किया जाना जो शिक्षा हासिल करने की स्थिति में है;
(2) स्कूल या एन. एफ. ई. कार्यक्रम में से जो भी हो, नियमित तथा ठीक समय पर उपस्थिति;
(3) पाठ्यक्रम की समाप्ति अर्थात स्कूल या एन. एफ. ई. केंद्र में प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाने तक उसमें बने रहना ; तथा
(4) सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शरीक होना जिसमें अप्रज्ञानी प्रदेशों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, अपने आप पढ़ना तथा यदि जरूरी हो तो घर के लिए दिया गया काम करना शामिल है।

**4.10** आमतौर पर छात्र तथा माता-पिता इनमें भाग लेने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि (1) प्राथमिक शिक्षा प्रणाली मांग नहीं करती; (2) माता-पिता इसके महत्व को पूरी तरह महसूस नहीं करते; (3) स्कूलों की व्यवस्था आकर्षित करने वाली नहीं है तथा वहां होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों का केंद्र बच्चे नहीं होते; एवं (4) माता-पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे पर्याप्त रूप से नहीं सीख रहे।

**4.11** हमने कहीं और शिक्षकों के पुनर्निर्धारण और प्रशिक्षण के महत्व का जिक्र किया था। यह कोशिश की जाएगी कि शिक्षक स्कूलों में उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करें । जहां तक स्कूल के

---

* राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 2000 तक सबके लिए शिक्षा-राष्ट्रीय संदर्श, 1990

कार्यक्रमों में माता-पिता के शामिल होने का सवाल है, सूक्ष्म-स्तरीय योजना की सफलता के साथ-साथ बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि शिक्षक माता-पिता को कितना शरीक करते हैं। सूक्ष्म-स्तरीय योजना के सहारे, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यह संभव होना चाहिए कि हरेक परिवार के साथ मिल-जुल कर सभी बच्चों के लिए शिक्षा की योजना तैयार की जाए।

**4.12** बच्चों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना होगा। इस कार्यक्रम में होगा,

4.12.1 कम से कम जरूरी इमारतों की उपलब्धता। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्षरता अभियान में तय किया गया लक्ष्य, अर्थात एक बड़े बरामदे सहित हरेक मौसम में इस्तेमाल किए जाने लायक दो ठीक-ठाक बड़े कमरे उपलब्ध करवाना, प्रत्येक स्कूल में पूरा कर दिया गया है।

4.12.2 साक्षरता अभियान में कम से कम जरूरी फर्नीचर, पुस्तकालय तथा साज-सामान उपलब्ध कराने की भी परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत लिए गए जिलों के संदर्भ में जिला शैक्षिक परिषद उन मदों की सूची पर नए सिरे से विचार करेगी, जिनकी सिफारिश की गई है। यह मानते हुए कि 50 प्रतिशत स्कूलों को कुछ साज-सामान पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं, बचे हुए 50 प्रतिशत स्कूलों के लिए 15,000 रूपए तथा पहले ही लाभ उठा चुके स्कूलों के लिए अतिरिक्त 5,000 रूपए की व्यवस्था की जाएगी। सामग्री उपलब्ध कराते समय उस सामग्री पर विशेष बल दिया जाएगा जिसमें बच्चों को सचमुच रुचि होती है।

4.12.3 शिक्षक-शिष्य अनुपात को सुधारने के लिए, जो इस समय 1:60 है, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। इसके लिए (1) अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी; (2) 15 सुदूर ग्रामीण स्कूलों को शिक्षाकर्मी इकाइयों में बदला जाएगा तथा इन स्कूलों के शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा।

4.12.4 शिक्षकों के लिए आनुषंगिक निधिः इससे और आगे चलें तो साक्षरता अभियान में यह परिकल्पना भी की गई है कि प्रत्येक शिक्षक को आनुषंगिक निधि के रूप में 500 रूपए दिए जाएंगे। हालांकि इस रकम का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इमारतों की मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था, चारदीवारी के निर्माण जैसे गैर-आनुषंगिक मदों की तरफ सरका दिया गया है। कुछ प्रतिमानों और दिशा-निर्देशों के अनुसार में सुविधाएं अन्य सम्बद्ध स्रोतों से उपलब्ध करानी होंगी। (जैसे रखरखाव और निधि का ध्यान रख रहा स्थानीय समुदाय तथा स्कूल में पीने के पानी से स्रोत के लिए पेयजल अभियान) परंतु शिक्षकों को 500 रूपए की आनुषंगिक निधि उपलब्ध कराई जाएगी जिससे बच्चों को ध्यान में रख कर की जाने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जा सके तथा शिक्षण की नई तकनीकें सामने लाई जा सकें।

4.12.5 स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम : पी. एच. सी. की मदद से एक व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे (1) बच्चों की नियमित जांच; (2) जहां तक हो सके पोषाहार

संबंधी कमी को दूर करना–जैसे विटामिन ए एवं डी तथा आयोडीन उपलब्ध कराना; (3) बच्चों को होने वाली सामान्य समस्याओं का ध्यान रखने के लिए शिक्षकों का निर्धारण; तथा (4) स्वच्छता एवं सफ़ाई पर जोर देना तथा साफ़ पेय जल की व्यवस्था।

**सर्वव्यापी उपलब्धि**

**4.13** इस समय पूरे विश्व में शिक्षण और उपलब्धि पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध कराने, दाखिला करवाने और उन्हें वहां बनाए रखने पर नही।

**4.14** बिहार के संदर्भ में हमें कुछ मान्यताओं के साथ शुरूआत करनी होगी, जो वैसे तो सार्वलौकिक रूप से लागू हैं, पर राज्य के लिए उनका खास महत्व है। ये मान्यताएं हैः

4.14.1 वैसे तो पाठ्यक्रम के विस्तार तथा पाठ-संबंधी सामग्री तैयार करते समय शिक्षण के निश्चित स्तरों को ध्यान में रख कर चला जाता है परन्तु न तो उनकी व्याख्या की जा सकती है और न ही उन्हें मापा जा सकता है। साथ ही उन स्तरों को हासिल करने की तरफ भी शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो। आमतौर पर प्राथमिक स्तर पर हासिल की जाने वाली उपलब्धि बहुत कम होती है। ऐसा संज्ञानी क्षेत्रों में है, गैर-संज्ञानी क्षेत्रों में तो सामान्यतया बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता।

4.14.2 हालांकि वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी उपायों तथा निवेशों के साथ-साथ मूल्यांकन तथा पैमाइश की उपयुक्त प्रणाली को लागू कर स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली में दखल देना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं हैं और इसके लिए जरूरत है कि शुरू में छोटे स्तर पर उपयुक्त तैयारी और परीक्षण किया जाए।

**4.15** राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में एन. पी. ई. ने यह परिकल्पना की है कि शिक्षा की प्रत्येक अवस्था के लिए शिक्षण के न्यूनतम स्तर को तय किया जाएगा और जाति, स्थान या लिंग की तरफ ध्यान दिए बगैर सभी एक स्तर की शिक्षा हासिल कर सकेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाए गए प्रारंभिक शिक्षा के कार्यकारी दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 3, 5 और 8 के लिए शिक्षण के न्यूनतम स्तर तय किए जाएंगे तथा इन्हें कुछ एक जरूरी परिवर्तनों के साथ एन. एफ. ई. द्वारा भी हासिल किए जाने की आशा होगी। मनो-प्रेरणा तथा प्रभावी विचार-सीमा के महत्व को अस्वीकार किए बिना कार्यकारी दल की रिपोर्ट में भाषा तथा गणित में ज्यादा क्षमता हासिल करने के लिए कहा गया है।

**4.16** बी. ई. पी. की शुरूआत के लिए बिहार के तीन चुने हुए जिलों में नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू की जाएगी। जबकि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के संगठन (एन. सी. ई. आर. टी., विश्वविद्यालय, एस. सी. ई. आर. टी. आदि) तकनीकी मार्ग-दर्शन करेंगे, समूचा कार्यक्रम शैक्षिक समुदाय की संपूर्ण भागीदारी के साथ किया जाएगा।

4.17 इस संदर्भ में मूल्यांकन के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें दोहराया जाना जरूरी है :

(क) बच्चों के सीखने की रफ़्तार अलग-अलग होती है, और प्राथमिक शिक्षा की बाल-केंन्द्रित प्रणाली की रचना के लिए यह स्वीकार किया जाना जरूरी है।

(ख) प्राथमिक स्तर पर कोई रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ग) मूल्यांकन शिक्षण में सहायक होता है तथा उसका पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में पतन न हो, इसके लिए खास उपाय किए जाने चाहिएं, क्योंकि यह प्रणाली रट्टू तोते की तरह रटने को बढ़ावा देती है तथा समझने की आदत नहीं बढ़ने देती।

(घ) मूल्यांकन निरंतर तथा व्यापक होना चाहिए और वह कसौटी के आधार पर होना चाहिए, न कि प्रतिमानों के आधार पर।

(ड.) शिष्यों के मूल्यांकन का दायित्व शिक्षकों पर ही होना चाहिए।

4.18 चुने हुए जिलों में नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी, जिनमें निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा :

1. पहले साल में कच्चे तथा तैयार साधन विकसित किए जाएंगे, जिनकों तैयार करने में शायद राष्ट्रीय एवं राज्य शैक्षिक संगठन मदद करेंगे। इनके माध्यम से भाषा और गणित सीखने के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर भी कसौटी के आधार पर परीक्षण किया जाएगा, परंतु मूल्यांकन करने के साधन आसान होंगे, जिन्हें प्राथमिक स्कूल के शिक्षक भी अपना सकेंगे।
2. वर्तमान स्तर के मूल्यांकन के लिए साधन तैयार करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठनों को हिंदी तथा गणित के लिए अलग-अलग एम. एल. एल. की एक-एक 'आहारिका' उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। इसे ऐसी भाषा में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे स्कूल-शिक्षण तथा अनुभवी एन. एफ. ई. प्रशिक्षक इसका पालन कर सकेंगे। प्रत्येक एम. एल. एल. आसान तरीके से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेगा कि बच्चों से कितनी क्षमता हासिल करने की आशा की जा सकती है।
3. जिला शिक्षा परिषद शिक्षण के वर्तमान स्तरों के मूल्यांकन से निकले नतीजों के संदर्भ में एम. एल. एल. की 'आहारिका' का अध्ययन करेगी तथा हिंदी एवं गणित के लिए एम. एल. एल. की उपयुक्त इकाई चुनेगी। शिक्षण के चुने हुए न्यूनतम स्तर को पाठ्यक्रम में बदलने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के शैक्षिक संस्थानों की जरूरत होगी। यह ऐसी भाषा में होगा, जिसे शिक्षक आसानी से समझ सकें। जिला शैक्षिक परिषद इस बात का परीक्षण करेगी कि वर्तमान पाठ्यपुस्तकें शिक्षण के कम से कम स्तरों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं या नहीं। यदि नहीं, तो वैकल्पिक पाठ-संबंधी सामग्री का पता लगाया जाएगा।

4. शिक्षकों के एक पुनर्निर्धारण कार्यक्रम के जरिए उन्हें यह बात समझाई जाएगी कि नई मूल्यांकन प्रणाली उन्हें या उनके स्कूलों, यहां तक कि उनके शिष्यों का भी आंकलन करने के लिए नहीं है। बल्कि यह माध्यम है– पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से समझने का, जो क्षमता हासिल की जानी है उसकी व्याख्या करने का, सीखने की प्रक्रिया को इकाइयों में बांटने का तथा पढ़ाने तथा पढ़ने की समूची प्रक्रिया को सरल बनाने का। शिक्षकों को अपने छात्रों के स्तर का आकलन करने, परीक्षा लेने की रूपरेखा तैयार करने, पढ़ाई के निम्नतर स्तर को बनाए रखने, पाठ्यक्रम बनाने, पाठ्यपुस्तकें तैयार करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए स्वयं प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
5. हो सकता है कि बाद में शिक्षकों का एक ऐसा अनुपात सामने आए जो स्वयं शिष्यों को शिक्षण का न्यूनतम स्तर हासिल करवाने की क्षमता न रखता हो, या यह भी हो सकता है कि वे ऐसी विधियों से परिचित न हों, जो न केवल विषय से संबंधित होती हैं बल्कि उनका संबंध क्षमता से भी होता है। इसलिए एम. एल. एल. की शुरूआत के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के एक ठोस कार्यक्रम की जरूरत होगी तथा एम. एल. एल. का परीक्षण सिर्फ उन ब्लॉकों (प्रखंडों) में संभव होगा जहां ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है।

**4.19** नई मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए उचित शैक्षिक सहायता की रचना करनी होगी। जब डी. आई. ई. टी. तथा उसके उपकेंद्र चालू होंगे तो वे स्वाभाविक रूप से इस जिम्मेदारी को उठा लेंगे। डी. आई. ई. टी. के प्रयासों को पूरा करने के लिए री ानल कालेज आफ एजुकेशन; एस. सी. ई. आर. टी.; एन. सी. ई. आर. टी.; विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों आदि जैसे किसी संसाधन संस्थान द्वारा एक जिले को अपनाया जाना जरूरी होगा। कार्यक्रम के इस पहलू में रुचि रखने वाले स्वयंसेवी संगठन तथा व्यक्ति भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। स्कूल के समूहों से परे, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के हैडमास्टर और शिक्षक भी बहुत लाभदायक हो सकेंगे।

**4.20** फ़िलहाल, भाषा तथा गणित में क्षमता हासिल करवाने की तरफ ध्यान केंन्द्रित किया जाना चाहिए। समय के साथ इन विषयों से आगे बढ़ना तथा न केवल अन्य संज्ञानी क्षेत्रों, बल्कि गैर-संज्ञानी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना संभव होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करना होगा। परंतु वे भी नई मूल्यांकन प्रणाली का पूरक हिस्सा बन जाएंगी।

# अध्याय 5 अनौपचारिक शिक्षा

5.1 हमारे देश में अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इस समय देश में करीब 240,000 एन. एफ. ई. केंद्र है, जिनमें से हरेक में 20 बच्चे दाखिल हैं। इसी के अनुरूप बिहार में 41,500 एन. एफ. ई. केंद्र है और उनमें करीब 7,05,000 बच्चों के नाम दर्ज हैं जो औपचारिक प्रणाली में उसी के स्तर वाली अवस्था में दर्ज नामों का लगभग 10 प्रतिशत हैं।

5.2 बिहार में 6-11 आयु वर्ग की अनुमानित आबादी एक करोड़ है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 81 प्रतिशत है (लड़कों के लिए 107 तथा लड़कियों के लिए 54 ), कक्षा 1 तथा 5 के बीच पढ़ाई छोड़ जाने वालों की दर करीब 65 प्रतिशत है। बाल मजदूरी की घटनाओं और अन्य सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए, आसानी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6-11 आयु वर्ग के करीब 40 प्रतिशत बच्चों को अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। इसका मतलब अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकन का 7 लाख से बढ़कर करीब 40 लाख हो जाना – जो एक बहुत बड़ा काम होगा।

5.3 इससे पहले कि हम राज्य में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की नई रूपरेखा तय करें, वर्तमान कार्यक्रम की एक संक्षिप्त समीक्षा किया जाना उपयुक्त होगा। 1985 में एन. सी. ई. आर. टी. तथा एन. आई. ई. पी. ए., द्वारा किए गए राज्यवार मूल्यांकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एन. एफ. ई. कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है। एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा किए गए उपलब्धि के अपेक्षाकृत अपरिष्कृत परीक्षणों से भी यही जाहिर होता है कि एन. एफ. ई. कार्यक्रमों के माध्यम से भाषा में क्षमता हासिल करने की उपलब्धि वस्तुतः औपचारिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के ही बराबर थी तथा एन. एफ. ई. में गणित की यह उपलब्धि थोड़ी-सी ही कम थी। राज्य में कई स्थानों पर परियोजना अधिकारी, निरीक्षक तथा प्रशिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तथा 30 स्वयंसेवी संगठन सरकारी सहायता से बहुत अच्छे स्तर के एन. एफ. ई. कार्यक्रम चला रहे हैं (अन्य अनेक संगठनों सहित जो अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि से काम कर रहे है)।

5.4 <u>कमियां</u> : दूसरी तरफ राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त आंकड़े और मौकों पर जाकर मुआइना करने से हुए अनुभव यह दर्शाते है कि कार्यक्रम में कई गंभीर कमियां हैं

कुछ महत्त्वपूर्ण समस्यायें निम्नलिखित हैं:

5.4.1 कुल मिलाकर एन. एफ. ई. में विश्वास की कमी हैं। राज्य सरकार उसे बहुत हल्के-फुल्के ढंग से ले रही है और काम करने वालों तथा बच्चों के परिवारों को उस पर भरोसा नहीं है, जबकि इन्हीं लोगों को उससे फायदा होना है। विश्वास की यह कमी समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में है जो समाज के गरीब वर्गों के लिए किए जाने वाले इस कार्यक्रम को दूसरे दर्जे का मानता है।

5.4.2 इसके अलावा कुछ कार्मिक संबंधी समस्याएं भी हैं – कर्मचारियों का चुनाव योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण इतना अपर्याप्त है कि वे एन. एफ. ई. के लिए उपयुक्त विधि को अपनाने की जगह उन विधियों का अनुसरण कर रहे हैं जिनसे उन्हें पढ़ाया गया था। यही बात पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बारे में भी कही जा सकती है।

5.4.3 यहां कुछ प्रक्रिया संबंधी कमियां भी है, जैसे प्रशिक्षकों के वेतन तथा सामग्री की प्राप्ति के लिए निधि जारी करने में जरुरत से ज्यादा देर होना। पढ़ने की सामग्री की आपूर्ति में भी देर होती है तथा भ्रष्टाचार के मामले काफी जल्दी-जल्दी सुनने में आते हैं।

5.4.4 शैक्षिक जरुरतों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है कि उपलब्धि का स्तर प्राथमिक स्कूलों के बराबर हो। इसके लिए कोई अलग पाठ्यक्रम या पढ़ने की सामग्री तथा पढ़ने वाले के मूल्यांकन की वस्तुतः कोई प्रणाली नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा के विपरीत, जिसके लिए एक सुस्थापित राज्य संसाधन केंद्र है, एन. एफ. ई. के लिए वस्तुतः कोई तकनीकी संसाधन सहायक प्रणाली नहीं है।

5.4.5 बच्चों की आगे की एवं सतंत शिक्षा की जरुरत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है – औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में समानता न होने (भाषा तथा गणित तक में भी नहीं) के कारण जाहिर है कि प्रमाप-पत्र देने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा स्कूलों में कक्षा 6 में दाखिला लेने के लिए कोई प्रक्रिया तय नहीं की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर के कुछ ही एन. एफ. ई. केंद्र है तथा उनकी कार्यप्रणाली शायद प्राथमिक स्तर से भी कम संतोषजनक है।

5.4.6 कामों के लिए प्रशासनिक सहायक प्रणाली नाकाफ़ी है। राज्य निदेशालय मुख्य रूप ले प्रौढ़ शिक्षा में व्यस्त है, जिला स्तर के ढांचे कमजोर है तथा परियोजना की योजना अभी सही शक्ल नहीं से पाई है।

5.5 कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि संगठित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अभी लोगों की आशाएं पूरी करने की स्थिति में नहीं है। इसे नए सिरे से संगठित करने की जरुरत है।

5.6 चुनौती का सामना : एन. एफ. ई. के सामने मुख्य चुनौती तथा साथ ही मुख्य मौका, बेहद कठिन शैक्षणिक मुद्दे और अपने 'ग्राहकों' का स्वभाव है। एन. एफ. ई. के 'ग्राहकों' में कामकाजी बच्चे तथा घर के कामकाज में उलझी लड़कियां है। उनका काम उनके स्कूल जाने में बाधक होता है। वैसे इन बच्चों के अपने सामर्थ्य होते हैं, वे आत्मविश्वासी होते है, उनके पास कई प्रकार की निपुणता और जानकारी होती है तथा आमतौर पर काम से थकने के बावजूद उनमें सीखने की प्रबल इच्छा होती है। दूसरी तरफ एक कार्यक्रम, जिसमें शिष्य एक-तिहाई समय में वह सीखने का प्रयत्न करें जो औपचारिक, पूरे दिन, की प्रणाली करने की कोशिश कर रही हो, एक असंभव प्रयास लगता है। समस्या और भी बिगड़ रही है क्योंकि प्रशिक्षक आमतौर पर कम योग्य हैं, उन्हें कम प्रशिक्षण मिला है तथा आसपास का वातावरण (सामान्य रूप से कहा जाए तो रात को लालटेन की रोशनी) पढ़ने का माहौल नहीं देता। इन मुश्किलों को लांघना इसलिए भी आसान नहीं क्योंकि सरकार में एन. एफ. ई. के लिए पर्याप्त निधि खर्च करने की इच्छा नहीं – यह आशा कि प्राथमिक शिक्षा को सस्ते में उपलब्ध कराया जा सकता है, कहीं भी उतनी बलशाली नहीं हैं, जितनी एन. एफ. ई. के प्रशासन में।

5.7 नए एन. एफ. ई. कार्यक्रम को वर्तमान बल और कमजोरियों, ग्राहक समूह की चेतना तथा पढ़ाने या पढ़ने की सहज मुश्किलों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

5.8 पढ़ाने/पढ़ने की नई प्रणाली : यहां शुरुआत करने के लिए एन. एफ. ई. की कुछ विशेषताओं को दोहराना सही जान पड़ता है।

- जहां तक संज्ञानी क्षेत्रों में पढ़ाई का सवाल हैं, एन. एफ. ई. की तुलना औपचारिक शिक्षा के समरूप स्तर से किए जा सकने की आशा है।
- इसमें पढ़ने वालों की जरुरतों और शौक के मुताबिक पाठ्यक्रम और पाठ-संबंधी सामग्री को अनुकूल बनाने का लचीलापन है।
- आमतौर पर इसकी अवधि औपचारिक शिक्षा से कम होती है।
- कार्यक्रम के आयोजन का समय पढ़ने वालों की सुविधा के अनुसार तय किया जा सकता है – सामान्यतया लड़कियों के लिए दोपहर में तथा कामकाजी बच्चों के लिए शाम को।
- यह बहुत ज्यादा पैसे लेने वाले पेशेवर शिक्षकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका संचालन एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो समाज सेवा के लिए कटिबद्ध हो तथा जिसे एन. एफ. ई. केंद्र चलाने के लिए खासतौर से प्रशिक्षित किया गया हो।
- औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रणालियों के बीच स्थानांतरण संभव है।

5.9 यहां यह भी स्वीकार किया जाना जरुरी हैं कि एन. एफ. ई. का कोई एक ढांचा नहीं है। नीचे कुछ ऐसे तरीके दिए जा रहे हैं जिनमें एन. एफ. ई. कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है:

5.9.1 प्राथमिक शिक्षा के लिए रात्रि विद्यालय : शहरी क्षेत्रों में करीब दो घंटे की अवधि वाले

रात्रि विद्यालयों की मांग की जा रही है, जो आमतौर पर नियमित स्कूलों में ही चलते हैं और उनमें नियमित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई की जाती है। चूंकि अब दिनों-दिन ज्यादा नौकरियों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मांगी जाने लगी है, प्रवासी मजदूरों और गंदी बस्तियों में रहने वालों के बच्चे, जो दिन में कुछ न कुछ काम करते हैं, नियमित नौकरी के लिए थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ये प्राथमिक स्कूल हैं, परन्तु ये शाम को कम समय तक चलते हैं।

5.9.2 <u>एन. एफ. ई. केंद्रों के माध्यम से सघन प्राथमिक शिक्षा</u> : 'मध्य प्रदेश मॉडल' नाम से मशहूर ये कार्यक्रम भाषा और गणित में प्राथमिक शिक्षा के स्तर की क्षमता उपलब्ध कराते हैं। में कार्यक्रम करीब दो साल तक शाम को 1½ से 2 घंटे के लिए चलाए जाते हैं। एन. एफ. ई. केंद्र चलाने की जिम्मेदारी एक ऐसे चुने हुए स्थानीय प्रशिक्षक पर होती है जिसे कम अवधि का प्रशिक्षण दिया गया हो। यह एन. एफ. ई. कार्यक्रम देश में सबसे अधिक फैला हुआ है।

5.9.3 <u>पूर्व-प्राथमिक सहित निम्न प्राथमिक केंद्र</u> : स्वयंसेवी संगठन देश में अनेक स्थानों पर 3-4 से 8-9 साल के बच्चों के लिए बालवाड़िया चला रहे हैं। ये बच्चे जब प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं और कक्षा 2 या 3 तक के निर्देश प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर इन्हें नियमित प्राथमिक स्कूल में भेजा जाता हैं। दिए गए निर्देश हालांकि प्राथमिक स्कूल की ऊपर वाली इकाई के होते हैं, पर आमतौर पर इनका कोई विशेष आकार नहीं होता तथा ये पूरी तरह अनौपचारिक होते हैं।

5.9.4 <u>शिक्षाकर्मी शैली की शुरुआत</u> : इस शैली में एक प्राथमिक स्कूल के जिम्मे दो या तीन विशेष रूप से चुने गए स्थानीय लोग सौंपे जाते हैं, जिन्हें अपनी शिक्षा संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कम अवधि वाले पूर्व-सेवा प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो उन्हें शिक्षक के रूप में काम करने लायक बनाते हैं। में शिक्षा-कर्मी उन सुदूर ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की जगह ले सकते हैं, जहां सामान्यतया शिक्षक नियुक्ति के खिलाफ होते हैं या उन स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जहां स्कूल नहीं हैं। आमतौर पर शिक्षाकर्मी शाम के समय अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन भी करेंगे। यह औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का मिश्रण हैं।

5.10 एन. एफ. ई. का शैक्षिक ढांचा कई तरह की संज्ञानी तथा अर्द्धसंज्ञानी गतिविधियों पर केंद्रित होगा। बाद वाले में नियमित और समय से हाजिरी, अपनी सफाई, योग के व्यायामों, गाना गाने, खेलने तथा अन्य रोचक गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। बच्चे की खोज करने की प्रवृत्ति तथा समस्या सुलझाने की क्षमता का भी विकास किया जाएगा।

5.11 संज्ञानी पहलुओं के लिए, एम. एल. एल. की उपलब्धि पर बल दिया जाएगा। मुख्य रूप से भाषा और गणित में इसका ध्यान रखा जाएगा तथा उनकी उपलब्धि समान क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा के लिए तय किये गए स्तर के बराबर होगी। यहां तक कि यदि औपचारिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ाई का निम्नतम

स्तर न भी तय किया गया हो, तब भी कार्यात्मक साक्षरता ढांचा (जो सीखने की सुधरी हुई गति और संतुष्टि के नाम से जाना जाता है) एक उपयोगी तकनीक का काम करेगा। एम. एल. एल. तय करने के साथ-साथ कार्यपुस्तकों की प्रणाली के माध्यम से निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक चरण (समूचा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 4 से 6 चरणों में बांटा जाएगा) के अंत में ज्यादा व्यवस्थित मूल्यांकन के साथ-साथ आत्म-मूल्यांकन की तकनीक अपनाई जाएगी। एम. एल. एल. के ढांचे के भीतर पढ़ने वालों की जरुरतों और शौक के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास करने की गुंजाइश होगी। विशेष तौर पर अच्छे दर्जे की पाठ्य पुस्तकों, पूरक पुस्तकों तथा कार्यपुस्तकों के उत्पादन के लिए व्यय किया जाएगा।

5.12 प्राथमिक शिक्षा के स्तर की अनौपचारिक शिक्षा को पूरक, यहां तक कि सामानांतर शिक्षा प्रणाली के आधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक तथा औपचारिक प्रणाली के बीच आवा-जाही संभव होनी चाहिए, पर चरण के अंत में। हो सकता है कई बच्चे, जिन्होंने स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली हो और उच्च प्राथमिक स्कूल तक उनकी पहुंच न हो, एन. एफ. ई. के माध्यम से चरण को पूरा करना चाहें, तथा इसके विपरीत एन. एफ. ई. के माध्यम से प्राथमिक चरण पूरा करने वाले बच्चे उच्च प्राथमिक स्कूल में जाने की इच्छा रख सकते हैं। यहां तक कि एन. एफ. ई. की सुविधाएं उच्च प्राथमिक चरण से भी आगे उपलब्ध होनी चाहिएं, सामान्यतया खुले स्कूलों के एक राष्ट्रव्यापी जाल के माध्यम से। शिक्षा की इस पूरक या समानांतर प्रणाली की रचना का एक उप-सिद्धांत शिक्षा के अंतिम चरण के अंत में क्षमता की तुलना, समानता की पुष्टि तथा एन. एफ. ई. प्रणाली में प्रमाण-पत्र देने पर जोर देना है।

5.13 शिष्य तथा प्रशिक्षक : एन. एफ. ई. कार्यक्रमों को प्राथमिक स्कूलों से भी ज्यादा शिष्य-केंद्रित होना चाहिए। यह केवल कार्यक्रम के सार या विधियों को देखते हुए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम के समय तथा अवधि का पता लगाने तथा उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पढ़ने वालों को पढ़ने की सामग्री तथा लेखन-सामग्री मुफ्त मिल रही है। वे सभी प्रोत्साहन जो औपचारिक स्कूल प्रणाली में समकक्ष वर्गों के छात्रों को मिल रहे हों, एन. एफ. ई. में भी मिलने चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों को स्कूली पोशाक उपलब्ध कराना भी शामिल हो सकता है।

5.14 पढ़ने वालों को मान देने का एक स्वाभाविक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ने का माहौल उसके अनुकूल हो। जहां समुचित फर्नीचर उपलब्ध न हो वहां चटाई या किसी भी अन्य तरह फर्श ढकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ब्लैकबोर्ड, रोलर बोर्ड (लपेट सकने वाले बोर्ड) तथा स्लेट आदि के उत्पादन में रोचक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। *इसी तरह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान

---

* इंडियन पैट्रो-कैमिकल्स लि0, बड़ौदा ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत सौंपे गए नियत-कार्य के हिस्से के रूप में ऐसे ब्लैकबोर्ड तथा रोलर-बोर्ड विकसित किए हैं जो ज्यादा समय तक चलते हैं, जिन्हें साफ करना आसान होता है तथा जिन पर कई प्रकार के चॉक का उपयोग किया जा सकता है। अनुसंधान एवं विकास का चरण पूरा हो कर अब थोक उत्पादन शुरू हो गया है।

परिषद (सी. एस. आई. आर.) की प्रयोगशालाओं में नई तरह के पैट्रोमेक्स लैंपों तथा लालटेनों का विकास किया जा रहा है। जहां भी बिजली का प्रकाश उपलब्ध नहीं है, वहां हमें या तो सौर-बंडलों या सुधरे हुए स्तर के लैंपों के माध्यम से उपयुक्त प्रकाश को सुनिश्चित करना चाहिए।

5.15 एन. एफ. ई. की सफलता अनुदेशक पर निर्भर करती है। चुनाव स्थानीय होना चाहिए तथा जहां तक संभव हो एस. सी./एस. टी. की औरतों और लोगों तक सीमित रहनी चाहिए। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण इतने लंबे समय तक चलना चाहिए जो उनको काम संभालने लायक विश्वास और सामर्थ्य दे। महिलाओं के कुछ विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की जो विधि विकसित की गई है, उसे एन. एफ. ई. में अपनाया जा सकता है। प्रारंभिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सभी अनुदेशकों को कम से कम 10 दिन का आवर्ती प्रशिक्षण, 2 दिन की मासिक बैठकों के अलावा दिया जाना चाहिए। वर्तमान वेतन बहुत कम हैं और उन्हें तुरंत 200 रुपए तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक दूसरे साल 50 रुपए महीने की वेतन-वृद्धि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बहुत अच्छे अनुदेशकों की प्रेरक के पद पर तरक्की की जानी चाहिए। अनुदेशकों की जारी शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए। इनमें शामिल होंगे उनकी शैक्षिक योग्यता में सुधार लाने के पाठ्यक्रम, उनकी रूचि से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए खुले स्कूलों में उनका नामांकन, तथा अन्य कार्यक्रम जैसे सैर-सपाटा, सामयिक विषयों पर बैठकें, युवा-शिविरों में भाग लेना आदि।

5.16 <u>एक नया प्रबंध ढांचा</u> : आज की सबसे बड़ी जरुरत है शिक्षा प्रणाली में एन. एफ. ई. को वह स्थान देना, जिसकी वह हकदार है। इसमें आने वाली संभावित उलझनों के बारे में राज्य सरकार को फैसला करना होगा। आज राज्य एवं जिला स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता के एक ढांचे सहित एन. एफ. ई. के लिए एक अलग निदेशालय की जरुरत है। तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए एस. सी. ई. आर. टी. पर निर्भर होना सफल नहीं हो पाई है तथा एक नया स्वायत्त निकाय बनाना जरूरी हो सकता है, जिसे एन. एफ. ई. अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कहा जा सकता है।

5.17 सघन एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से ही एन. एफ. ई. को लागू किया जाना चाहिए। परियोजना चाहे सरकार द्वारा चलाई जाए या स्वयंसेवी संगठन द्वारा पर उसका ध्येय औपचारिक शिक्षा, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ तालमेल कर उसे सुनिश्चित करना होना चाहिए। परियोजना अधिकारी को चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कार्यक्रम के लागू करने के लिए पड़ने वाली आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए वह स्थानीय बैंक से निधि निकाल सकें। इसमें वह निधि भी शामिल होनी चाहिए जिसकी जरूरत प्रशिक्षक को भुगतान करने, प्रकाश की व्यवस्था, शिक्षक-ज्ञान सामग्री आदि को खरीदने के लिए होती है।

एक सक्षम संचारेक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने की जरूरत है। इसके बाद मध्य प्रदेश में विकसित कम्प्यूटरीकृत संचारेक्षण प्रणाली को लाना होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत परियोजना तथा जिला संगठन को हर महिने आंकड़ा उपलब्ध हो जाता है तथा वे तुरन्त ही उसे सुधारने के उपाय कर सकते है।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी विषयों की जानकारी सम्प्रेषित होती है। इसमें महत्व है समय और भरोसेमंद आंकड़ों के पेश किए जाने तथा प्रतिपुष्टि के लिए यंत्र-विन्यासों का। ए. एन. सिन्हा संस्थान, पटना तथा एक्स. एल. आर. आई., जमशेदपुर को शामिल कर बाहरी मूल्यांकन की एक प्राणाली पहले ही शुरू की जा चुकी है। इन संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों को कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

## अनौपचारिक शिक्षा के अध्याय का परिशिष्ट

### शिक्षा कर्मी

शिक्षा कर्मी (एस. के.) का अर्थ है एक शैक्षिक कार्यकर्त्ता। ऐसा व्यक्ति जो अंशकालिक तौर पर उन स्थानों के स्थानीय समुदाय की शिक्षा की बुनियादी जरूरतें (प्राथमिक शिक्षा, अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता) पूरी करता है जहां संतोषजनक तरीके से नियमित सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं। अपनी कार्यक्षमता से एस. के. एक ऐसा केंद्र बिंदु बना सकता है जिसके चारों ओर सामाजिक विकास की अन्य गतिविधियों का निर्माण किया जा सके। हो सकता है इस तरीके से कुछ स्थानों पर स्थानीय समुदाय द्वारा पढ़ने की अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करने की संभावना का मार्ग खुल जाए।

1. कहां जरूरत है – जहां कोई शिक्षक नहीं है, ऐसी स्थितियों हो सकती हैं:

(क) वे सुदूर और दुर्गम गांव जहां एक स्कूल को मंजूरी मिल चुकी है, पर वहां शिक्षकों के न होने के कारण स्कूल नहीं चल पा रहा; या

(ख) बिना किसी स्कूल वाले निवेश।

2. <u>शिक्षा कर्मियों की संख्या और उनके काम</u> : यदि निवेश छोटा है तो दो एस. के. काफी होंगे। पर यदि बड़ा है तो वहां तीन की जरूरत होगी। उनके काम इस प्रकार हैं:

- दिन में कम अवधि (करीब ढाई घंटे) वाले प्राथमिक स्कूल चलाना;
- जो बच्चे दिन वाले स्कूल में न आ सकते हों, उनके लिए रात्रि विद्यालय चलाना;
- प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं चलाना।

3. <u>शिक्षा कर्मियों का चुनाव तथा योग्ताएं</u> : एस. के. को स्थानीय होना चाहिए। जहां स्थानीय योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हों, वहां एस. के. इकाई की व्यवस्था नहीं हो सकती। इच्छित योग्यता 10 साल की शिक्षा है। ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो स्कूल की अंतिम परीक्षा न उत्तीर्ण कर पाए

हों क्योंकि उनके पास करने से और कुछ नहीं होगा तथा सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण उन्हें फायदेमंद काम में लगाया जाना चाहिए। जहां जरूरी हो, वहां योग्यताओं को घटाया जा सकता है ऐसी वचनबद्ध औरतें जिन्होंने केवल प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी, अच्छी तरह से काम संभाल रही हैं। जहां तक संभव हो, महिलाओं का चुनाव किया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर अनुसूचित जनजातियों के लोग ज्यादा हों, वहां अनुसूचित जनजाति के लोग ही जरूरी होते है। अन्य वासों में एस. सी. को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वैसे चुनाव का मुख्य आधार है, उम्मीदवार में सेवा करने की भावना।

सुबह के स्कूल के लिए एक एस. के. का प्रारंभिक वेतन 400 रुपए या 500 रुपए हो सकता है, साथ ही वह पारिश्रमिक भी जो रात्रि कक्षाओं या ए. ई. केंद्रों में काम करने के एवज में अनुदेशकों को दिया जाता है।

4. <u>प्रशिक्षण</u> : एक महीने का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में शामिल होता है–

(1) भाषा और गणित में उनकी क्षमताओं को बढ़ाना;
(2) जो कक्षाएं उनके जिम्मे हों, उनके पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को बनाने की क्षमता का विकास;
(3) प्रसन्न करने वाली गतिविधियों का आयोजन – खेलना, गाना गाना, कहानी सुनाना, सैरसपाटा तथा छोटी परियोजनाओं की रूपरेखा बनाना तथा उन्हें लागू करना;
(4) सामाजिक वातावरण की गहरी समझ हासिल करना;
(5) समुदाय के साथ परस्पर मेलजोल बढ़ाने, माता-पिताओं से संपर्क करने तथा जरूरत के समय लोगों की मदद करने की क्षमता।

पहले साल में पहली छुट्टियों के दौरान 10 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह हरेक साल गर्मी की छुट्टियों में एक महीने तथा दूसरी छुट्टियों में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। संसाधन संगठन के लोगों की मदद से उनके काम की समीक्षा या मूल्यांकन करने तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दो दिन की बैठक निर्धारित है।

5. <u>कार्यभार संभालना</u> : सामान्य तौर पर कहा जाए तो शिक्षा कर्मी कक्षा 1-3 तक की कक्षाओं को पढ़ाने से शुरूआत करेंगे – प्रारंभिक शिक्षा के दौरान केवल इसी के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है। हो सकता है शुरू-शुरू में गांव के लोगों को शिक्षा कर्मियों की क्षमता पर विश्वास न हो। इसके लिए शिक्षा कर्मियों को प्रारंभिक दौर में अपने अच्छे प्रदर्शन तथा अनुशासित व्यवहार से प्रभाव डालना चाहिए। जब वे उन बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में सफल हो जाएं जो स्वयं प्रेरित होकर स्कूल आते हैं तब उन्हें स्कूल में दर्ज नामों की संख्या, रास्ते में आने वाली रूकावटें तथा भागीदारी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। माता-पिता से लगातार संपर्क बनाए रखना उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

6. सहायक व्यवस्था : संसाधन संगठनों के ऐसे तंत्र की जरूरत है जो प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने, उनकी मासिक बैठकों के दौरान उन्हें सलाह देने तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उठा सके। इसके लिए स्वयंसेवी संगठन सबसे उपयुक्त होंगे। जहां पर इस तरह के संगठन नहीं हैं, वहां लोगों का एक समूह संसाधन संगठन सहायता प्रदान कर सकता है।

7. प्रबंध : ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन पर प्रबंध का भार होना चाहिए। इस संगठन को गांव के लोगों से सलाह-मशवरा कर उन गांवों का पता लगाना चाहिए जहां एस. के. इकाइयां स्थापित किए जाने की जरूरत है। उन्हे जरूरी निधि और सामग्री के लिए भी मार्ग बनाना होगा।

**शिक्षा कर्मियो की एक ब्लॉक की इकाई पर आने वाला अनुमानित खर्च**

इकाई का आकार

| | |
|---|---|
| दिवस केंद्र | 15 |
| रात्रि केंद्र | 30 |
| क. गैर-आवर्ती खर्च | |
| 1-दिवस/रात्रि केंद्र | रूपये 0.55 लाख |
| 2- पर्यवेक्षण (मोटर साइकिल) | रूपये 0.25 लाख |
| कुल गैर-आवर्ती खर्च | रूपये 0.8 लाख |
| ख. आवर्ती खर्च | रूपये 4 लाख |
| 1- शिक्षा कर्मियों के लिए मानदेय | |
| 2- पढ़ाने-पढ़ने की सामग्री | |
| 3- ब्लॉक स्तर के अधिकारी का वेतन तथा भत्ते | |
| 4- शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण पर आने वाला खर्च | |
| कुल | 4.8 लाख रूपए |

राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना की कार्य-प्रणाली के संबंध में और जानकारी के लिए संपर्क करें–

1. राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, जयपुर
2. संधान, अध्ययन शिक्षा तथा विकास केंद्र, बापू नगर, जयपुर
3. विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर

## एन. एफ. ई. के लिए प्रबंध लागत के अनुमान

(रूपए लाखो मे)

| क्रम संख्या | | मद | राशि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आवर्ती | गैर-आवर्ती |
| 1. | | राज्य निदेशालय | 9.0 | 1.0 |
| | (क) | कर्मचारी वर्ग | | |
| | (ख) | कार्यक्रम | | |
| | (ग) | वाहन | | |
| 2. | | एन. एफ. ई. अनुसंधान तथा विकास बोर्ड | 12.5 | 1.0 |
| | (क) | कर्मचारी वर्ग | | |
| | (ख) | अन्य व्यय | | |
| | (ग) | कार्यक्रम व्यय | | |
| | (घ) | वाहन | | |
| 3. | | जिला इकाई | 4.1 | 2.1 |
| | (क) | प्रशासनिक कर्मचारी | | |
| | (ख) | कार्यक्रम | | |
| | (ग) | वाहन एवं टाइपराइटर | | |
| | | कुल | 25.6 | 4.1 |

**80 प्राइमरी तथा 20 उच्च प्राइमरी एन. एफ. ई. की एक परियोजना पर आने वाली लागत**

(रूपए लाखो मे)

| क्रम संख्या | मद | वर्तमान | | प्रस्तावित | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर-आवर्ती | आवर्ती | गैर-आवर्ती | आवर्ती |
| 1. | परियोजना प्रबंध पर लागत | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| 2. | प्रशिक्षक | - | 2.3 | - | 3.6 |
| 3. | पर्यवेक्षण | - | 0.4 | - | 0.5 |
| 4. | पढ़ाने-पढ़ने की सामग्री | - | 1.1 | - | 2.9 |
| 5. | उपकरण | 0.5 | - | 0.8 | - |
| 6. | पैट्रोमेक्स तथा प्रकाश की व्यवस्था | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 7. | प्रोत्साहन एवं गतिविधियां | - | - | - | 1.7 |
| | 1 परियोजना के लिए कुल | 0.7 | 5.1 | 1.3 | 10.7 |

# अध्याय 6 प्रौढ़ साक्षरता

**6.1** सर्वव्यापी बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम में प्रौढ़ साक्षरता एक अनिवार्य हिस्सा है। यहां साक्षरता के महत्व पर जोर देना जरूरी नहीं जान पड़ता (खासतौर से अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष) बी. ई. पी. के संदर्भ में, प्रौढ़ साक्षरता का स्थान निम्नलिखित विवेचन पर आधारित है :

6.1.1 भारत का संविधान राज्यों से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का आह्वान करता है। यदि किन्हीं कारणों से लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या को अपने बालपन के दौरान शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उन्हें हमेशा के लिए उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। खासतौर पर युवा बालिगों के लिए कार्यात्मक साक्षरता की व्यवस्था संवैधानिक अनुदेश का एक उपसिद्धांत है।

6.1.2 बी. ई. पी. का वास्तविक उद्देश्य शिक्षा से बहुत आगे का है — यह लक्ष्य है अलाभ की स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, एस. सी. या एस. टी. के लोगों, कृषि मजदूरों आदि के उत्थान का। यह सामाजिक बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक लोग विधिवत रूप से शिक्षा हासिल नहीं करते, तथा अपनी रहने और काम करने की स्थितियों में सुधार लाने के लिए एक दूसरे के करीब आकर खुद को संगठित नहीं करते।

6.1.3 विशेष तौर पर वयस्क महिलाओं के लिए साक्षरता अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की पहली जरूरत है। ये लक्ष्य हैं : प्रसवन दर में कमी, आई. एम. आर. में गिरावट, स्वास्थ्य स्तर, तथा प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी।

**6.2** इन मुद्दों को यह बात साफ तौर पर बताने के लिए फिर से दोहराया गया है कि निरक्षरता उन्मूलन, विशेष रूप से 15 - 35 आयु वर्ग में, बी. ई. पी. का अविकल लक्ष्य है। यह भी सही हैं कि जब हम उन्मूलन की बात करते हैं तो हम 80 - 85 प्रतिशत साक्षरता की बात करते हैं, परंतु इसको सार्वत्रिक रूप से नही, बल्कि पृथक रूप से हासिल करना होगा — महिलाओं को एक मानकर उनमें, पुरूषों और महिलाओं में अलग-अलग, अनुसूचित जातियों में तथा इसी तरह अनुसूचित जनजातियों में।

**6.3** बिहार में साक्षरता की हाल की पृष्ठभूमि : बिहार उस साक्षरता अभिग्रान के अगले चरण में था, जिसकी शुरूआत 1936-37 में प्रांतीय सरकार ने की थी। पर वह रफ्तार बहुत कम समय रही।

1966-67 में उसे फिर से चेतन किया गया, जब शिक्षा, कृषि तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों ने मिलकर किसान प्रशिक्षण एवं कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की शुरूआत की। परन्तु दुर्भाग्यवश वह कार्यक्रम भी फलफूल नहीं सका। प्रौढ़ साक्षरता को सबसे ज्यादा बल 1978 में मिला जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एन. ए. ई. पी.), की शुरूआत हुई। एन. ए. ई. पी. के लिए देखने लायक उत्साह था; सभी जिलों में विस्तृत साक्षरता कार्यक्रम चल रहे थे। समूचा स्थल काफी बड़ी संख्या में महिला अनुदेशिकाओं तथा पर्यवेक्षकों, उनके प्रशिक्षण तथा संकल्प के प्रदर्शन से गुंजन कर रहा था। इसके बावजूद कुछ ही सालों में कार्यक्रम ने अपनी सजीवता खो दी। फिर भी, वर्ष 1984-85 तक बिहार में 56 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं तथा 256 राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं थीं, जिनमें क्रमशः 16,800 तथा 25,600 ए. ई. केंद्र थे (कुल 42,400) 1980-81 तथा 1986-87 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सीमाक्षेत्र में आने वाले लोगों की औसत 5.42 लाख थी, जिनमें से करीब एक-चौथाई एस. सी. तथा एस. टी. थे।

**6.4** प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का पतन जो 80 के दशक के शुरू में ही दिखाई देने लगा था, पिछले 4-5 सालों में और भी तेजी से होता नजर आ रहा है। बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई राज्य कार्रवाई योजना* में कार्यक्रम की मुख्य कमियों को गिनाया गया है। बिहार में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की कुछ समस्याओं का पुनर्विवेचन आवश्यक है ताकि उनमें मौजूद दोषों का निराकरण किया जा सके।

(क) सरकारी तंत्र में कटिबद्धता की कमी, जिसके फलस्वरूप मंजूरी दिए जाने में असाधारण देर होती है। इसके कारण अनुदेशकों को समय पर वेतन नहीं मिलता, पढ़ने वालों का नाम तो दर्ज हो जाता है, पर उन्हें पढ़ाने या पढ़ने की सामग्री नहीं मिलती तथा केंद्र के शुरू होने पर प्रकाश-व्यवस्था के लिए निधि उपलब्ध नहीं होती।

(ख) अनाचार और भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं है, जिसके कारण कार्यक्रम की साख गिर गई हैं।

(ग) खासतौर से प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण को देखने पर सार और प्रक्रिया में गंभीर कमजोरियां नजर आती है।

(घ) आर. एफ. एल. पी. / एस. ए. ई. पी. के अंतर्गत परियोजना के लोग केवल केंद्र चला कर संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों की संख्या तथा साक्षरता के हासिल स्तर से सम्बद्ध नतीजों से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता।

(ड.) कार्यक्रम करीब-करीब केवल आर. एफ. एल. पी. तथा एस. ए. ई. पी. से मिलकर बना है; स्वयंसेवी संगठनों, विश्वविद्यालायों तथा स्कूलों, एन. वाई. के., आई. पी. डी. एस. आदि की भागीदारी अपर्याप्त है।

**6.5** <u>कार्यक्रम का पुनर्गठन</u> : बी. ई. पी. के प्रौढ़ शिक्षा वाले हिस्से में होगा–(1) लक्ष्य और रणनीति का

---

* बिहार सरकार, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के लिए राज्य कार्रवाई योजना, 1988-89 से 1994-95, 1989

साफ चित्रण; (2) आर. एफ. एल. पी. तथा एस. ए. ई. पी. के अंतर्गत केंद्र-आधारित कार्यक्रमों का पुनर्गठन; (3) अन्य संगठनों के माध्यम से केंद्र-आधारित कार्यक्रमों का विस्तार; तथा (4) सामूहिक अभियान की व्यवस्थित शुरूआत।

**6.6** लक्ष्य तथा रणनीतियां : बिहार सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार इस समय वहां 15 - 35 आयु वर्ग वाले 1 करोड़ 60 लाख निरक्षर लोग हैं। यह मानते हुए कि अगले कुछ सालों में प्राथमिक शिक्षा के प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार होगा तथा निरक्षर लोगों की संख्या न केवल 1 करोड़ 60 लाख से आगे बढ़ सकेगी, बल्कि वास्तव में उसमें गिरावट आएगी, बी. ई. पी. 1 करोड़ 50 लाख 'उत्सुकों' की संख्या को सामने रखकर योजना बना सकती है। 1994-95 तक 1 करोड़ को इसके अंतर्गत से आया जाएगा तथा बचे हुए लोगों को सन् 2000 तक साक्षर बना दिया जाएगा। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक निश्चित रणनीति की रूपरेखा बनानी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) 15 - 35 आयु-वर्ग की निरक्षर आबादी में कमी लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर निरंतर बल दिया जाना।

(ख) प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार।

(ग) अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले लोगों की संख्या तथा राष्ट्रीय साक्षरता अभियान *द्वारा तय किए गए पढ़ाई के स्तर की उपलब्धि के कार्यक्रम में परिमाण की जगह गुणवता पर बल दिया जाना।

(घ) क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बल, अर्थात प्रत्येक कार्यान्वित संगठन से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को अपनाए जाने तथा एक निश्चित समय के भीतर निरक्षरता उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना।

(ड.) सीखने की गति व विषय वस्तु में सुधार (आई. पी. सी. एल.) तकनीकों की शुरुआत, जो पाठ्यक्रम की अवधि घटाने, एन. एल. एम. में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के समकक्ष तीन प्रथमकों की शुरुआत करने का निरंतर मूल्यांकन तथा सुविधाओं और संशिक्षा के सम्पूर्ण सुधार की परिकल्पना करती है।

(च) संचारेक्षण तथा मूल्यांकन की सुधरी हुई प्रणाली।

**6.7** केंद्र-आधारित कार्यक्रम का पुनर्गठन : वर्तमान आर. एफ. एल. पी. तथा एस. ए. ई. पी. में एक 5-सूत्रीय हस्तक्षेप किया जाएगा, जिससे इन कार्यक्रमों की गुणता में पर्याप्त रूप से सुधार लाया जा सके। ये हस्तक्षेप होंगे:

6.7.1 प्रबंध पुर्नगठन तथा सुधार : आई. पी. सी. एल. तथा साथ-साथ क्षेत्रीय दृष्टिकोण रणनीतियां,

---

* भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), राष्ट्रीय-साक्षरता अभियान, 1988



Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....

परियोजना प्रबंध योजना में एक संपूर्ण कायापलट का इरादा रखती हैं। यह दोहराते हुए कि आर. एफ. एल. पी./एस. ए. ई. पी. को लागू करते वक्त परियोजना दृष्टिकोण को त्यागा नहीं जाएगा (बल्कि उसे मजबूत और प्रबलित किया जाएगा), परियोजना प्रबंध प्रणाली के पुनर्गठन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

(क) इसमें जिम्मेदारियों और कामों की स्पष्ट व्याख्या होगी जिसमें सभी के, खासतौर से डी. ए. ई. ओ., परियोजना संयोजक, प्रेरक तथा प्रशिक्षक के निश्चित उत्तरदायित्व होंगे।

(ख) पुनर्गठन का तात्पर्य होगा कि समस्त वर्तमान कर्मचारी वर्ग की उपयोगिता और जरूरत पर फिर से विचार किया जाए। जिन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित किया है, उन्हें बरकरार रखा जाएगा, पर जो नई रणनीति के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, उन्हें अलग कर दिया जाएगा।

(ग) कर्मचारी-वर्ग का चुनाव इस तरह किया जाएगा कि आकलन के एक बड़े दायरे के भीतर किसी भी विभाग से लोगों को लिया जा सके तथा एक स्पष्ट वित्तीय प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के काम के लिए नियुक्त किया जा सके।

(घ) सभी स्तर के कर्मचारी वर्ग के चुनाव में महिलाओं को पूर्ण प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाएं काम कर सकें, इसके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।

(ड.) एक संपूर्ण उन्मूलन कार्यक्रम को अपने हाथ में लेने और उसे सफलतापूर्वक समाप्त करने की बाबत प्रशिक्षक के लिए उद्दीपन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संपूर्ण उन्मूलन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि एक कार्यकर्ता वह मानदेय भी खो दे, जो उसे मिल रहा है।

(च) उसमें पर्याप्त रूप से विकेंद्रीकरण तथा अधिकारों को सौंपा जाएगा। परियोजना संयोजक के पास आकस्मिक स्थितियों से निपटने के अधिकार होंगे खासतौर से प्रेरक और अनुदेशकों को पारिश्रमिक देने के लिए , पढ़ाने तथा पढ़ने की सामग्री हासिल करने के लिए, प्रकाश-व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, आदि।

(छ) बाहरी मूल्यांकन के साथ-साथ उसमें सही ढंग से कम्प्यूटरीकृत एम. आई. एस. होंगे।

6.7.2 सीखने की गति व विषय वस्तु में सुधार (आई. पी. सी. एल.) : आई. पी. सी. एल. की नई तकनीक पढ़ने की घटी हुई अवधि के लिए उपलब्ध कराती है-पढ़ने वालों और कार्यकर्ताओं को अधिक प्रेरणा, तथा पढ़ने वालों के आत्म मूल्यांकन के अलावा मूल्याकंन का तय यंत्र-विन्यास। नई तकनीक प्रारंभ से ही आत्मविश्वास के साथ अपने आप पढ़ाई करने तथा अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रक्रिया से परिचय कराएगी। बढ़ी हुई प्रेरणा से, जो नई तकनीक का मुख्य मुद्दा होगी, पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में कमी आनी चाहिए तथा प्रति वर्ष ए. ई. सी. के करीब दो चक्रों की संभावना के साथ बड़े फैलाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम को व्यय के अनुरूप प्रभावी होना चाहिए।

6.7.3 क्षेत्रीय दृष्टिकोण : संशोधित रणनीति की एक अनिवार्य आवश्यकता दृढ़ता से बनाई और लागू की गई क्षेत्रीय-विशिष्ट तथा समय-विशिष्ट कार्रवाई योजनाओं के माध्यम से निरक्षरता के उन्मूलन (जिसके द्वारा हम 15-35 आयु-वर्ग की साक्षरता दर में करीब 80 प्रतिशत बढ़ोतरी को समझते हैं) पर बल दिया जाना है। भविष्य में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक परियोजना की प्रभावशीलता का मापदंड सिर्फ यह होना चाहिए कि एक निश्चित क्षेत्र में वह किस हद तक निरक्षरता का सफाया कर सकी है। इसमें यह पहले से ही मान कर चला गया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा, उनके लिए योजनाबद्ध प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को स्थापित किया जाएगा, पढ़ने के पहले से तय स्तर तथा साथ-साथ क्रियाशीलता और जागरूकता को हासिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा, तथा एन. एल. एम. के अंतर्गत बनाई गई मूल्यांकन प्रणाली अमल में लाई जाएगी। एक परियोजना किसी और मंजूरी का इंतजार किए बिना योजना के समाप्त होने तक जारी रहेगी।

6.7.4 क्षेत्रीय गतिविधियों की विभिन्न विधियां : पारंपरिक केंद्र आधारित कार्यक्रम नियत प्रकार का होता है: एक प्रशिक्षक चुना जाता हैं, उसे हल्के-फुल्के ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है, और वह संपूर्ण उन्मूलन की परवाह किए बिना ए. ई. सी. चलाता है। आमतौर पर वहां हाजिरी बहुत कम होती है तथा नतीजा अनिश्चित। इस रूढ़िगत प्रक्रिया को एक सजीव, लचीले तथा जन-केंद्रित ए. ई. सी. में बदलना होगा। इसमें किए जाने वाले मुख्य हस्तक्षेप होंगे : (1) वी. ई. सी. या महिला संघों के माध्यम से लोगों को शामिल किया जाना; (2) प्रेरकों तथा अनुदेशकों के चुनाव में सुधार; (3) प्रशिक्षण पर पहले से बहुत अधिक ध्यान; (4) आई. पी. सी. एल. के माध्यम से प्रेरणा दिए जाने पर बल, तथा मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन; (5) बेहतर उत्तरदायित्व आदि।

इसको सम्पूर्ण बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया जाएगा, जिनमें से कुछ हैं:

(क) प्रेरक केंद्रित दृष्टिकोण : कुछ प्रेरकों को उनसे अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जिनकी आमतौर पर कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पना की जाती है। प्रेरक को निरक्षरता के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अपने काम का आयोजन करने की पूरी आजादी दी जा सकती है। उसे संवर्ग, दल, या इकाइयों को नियुक्त करने की भी स्वतंत्रता होगी, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य-कलापों का आयोजन करेंगे। अनुदेशकों के मानदेय का हिसाब परंपरागत आधार पर लगाया जा सकता है, पर दी जाने वाली राशि, भुगतान का तरीका, आदि प्रेरक पर छोड़ा जा सकता है। उस प्रेरक को, जिसने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो, संपूर्ण साक्षरता हासिल होने पर एक जे. एस. एन. चलाने के लिए ज्यादा मानदेय दिया जाएगा।

(ख) अनुदेशक आधारित दृष्टिकोण : इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, महिला अनुदेशिका वे काम करेंगी, जो ऊपर प्रेरक के लिए बताए गए हैं। काम पूरा हो जाने पर उसे जनमान्यता प्रदान की जाएगी तथा उसे प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सामान्यतया वह स्वयंसेवकों की सहायता से काम करेगी।

(ग) परिणाम-निर्धारित दृष्टिकोण : यहां प्रस्तावना यह है कि लागू किए जाने की इकाई चाहे कुछ भी हो, वह नतीजों से जुड़ी होती है तथा पारिश्रमिक का भुगतान वस्तुगत तौर पर मूल्यांकित परिणाम के आधार पर किया जाता है। इन नतीजों का आकलन करने की जिम्मेदारी पंचायत, गांव के भूतपूर्व सैनिकों की संस्था, महिला संघों या किसी अन्य उपयुक्त संगठन द्वारा उठाई जा सकती है। एक ऐसी विधि बनाई जा सकती है, जिसमें पारिश्रमिक के कुछ हिस्से का भुगतान अग्रिम तौर पर कर दिया जाए तथा बाकी का लक्ष्यों के संतोषजनक तरीके से पूरा हो जाने पर।

(घ) महिलाओं की साक्षरता को प्राथमिकता : एन. एल. एम. को महिलाओं की साक्षरता पर अपने को केंद्रित करना होगा, क्योंकि इस रणनीति में बेहतर नतीजे निहित हैं तथा साथ ही क्योंकि निरक्षर आबादी की दो-तिहाई औरतें हैं। इसमें संशोधित कार्यक्रम की योजना तथा प्रबंध के कई संकेत हैं।

(ड.) महिलाओं के लिए खुले में पढ़ाई करने का अवसर : महिलाओं वाले अध्याय में बताई गई रणनीति के अनुसार, महिलाओं के लिए उन्मुक्त प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं के काम और उनकी घरेलू जिम्मेदारियां उन्हें हर रोज निश्चित समय पर साक्षरता कक्षाओं में जाने से रोकती हैं। ऐसी संभावना का पता लगाना चाहिए जिससे प्रत्येक गांव में एक महिला कार्यकर्ता दिन में अलग-अलग समय पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई जा सके। उसे काम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है। शैक्षिक कार्यकर्ता अलग-अलग समय पर महिलाओं के छोटे-छोटे समूहों को पढ़ा सकती है जिससे अध्ययनकक्ष के ढांचे के भीतर उन महिलाओं के शामिल न हो सकने की मजबूरी उन्हें स्वयं को शिक्षित करने से रोक न सके।

**6.8** कार्यक्रम का विस्तार : बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई एन. एल. एम. की कार्रवाई योजना में आर. एफ. एल. पी. तथा एस. ए. ई. पी. के समुचित विस्तार की परिकल्पना की गई हैं, जबकि हमारा सोचना है कि इन कार्यक्रमों के बारे में हमारा ध्यान उनके सुधार की ओर होना चाहिए, न कि उनके विस्तार की ओर। यदि इन कार्यक्रमों को सुधारा जा सके तो इन कार्यक्रमों के परिणाम को करीब 5 लाख के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 10 लाख किया जाना संभव होना चाहिए। यह सुझाव हमने प्रत्येक ए. ई. सी. में चल रहे दो पाठ्यक्रमों के बारे में अपनी आशा के आधार पर यह सुझाव नहीं दिया है, बल्कि इसका आधार है एक कहीं ज्यादा व्यापक प्रयोग, जिसमें प्रत्येक ए. ई. केन्द्र में करीब $5\frac{1}{2}$ से 6 महीनों के भीतर 15 लोगों को कार्यात्मक साक्षरता के अपेक्षित स्तर तक ले आने को दृष्टिगत किया गया हैं। इसमें यह भी मान कर चला गया है कि प्रत्येक परियोजना के लगभग एक-चौथाई केंद्र हो सकता है किसी भी दिए गए समय में काम न कर रहे हों।

**6.9** वह क्षेत्र जहां पर्याप्त विस्तार की परिकल्पना की जा सकती है, स्वयंसेवी संगठन है। इस समय केंद्र सरकार द्वारा 35 स्वंयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और उनके द्वारा करीब

3500 ए. ई. केंद्रों को चलाए जाने का अनुमान है। वैसे हमने उनकी कार्यक्षमता के केवल एक हिस्से को इस्तेमाल किया है। अन्य अध्यायों में बताए गए उपायों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों की पर्याप्त भागीदारी को बढ़ा कर उनके द्वारा लगभग 20,000 ए. ई. केंद्रों को चलाया जाना संभव होना चाहिए।

**6.10** बिहार में वस्तुत : प्रत्येक जिले में एक एन. वाई. के. है। इनमें से अनेक एन. वाई. के. के युवा संगठनों का अच्छा रिकार्ड है। उन्होनें प्रौढ़ साक्षरता के काम में भी अपनी रूचि जताई है। वे इस कार्यक्रम को युवा विकास कार्यकलाप के एक हिस्से के रूप में करते हुए इसमें राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सांस्कृतिक, खेल और रोमांचक गतिविधियों आदि को शामिल करना चाहते है।

**6.11** मूल रूप से यह परिकल्पना की गई थी कि समेकित बाल विकास योजना (आई. सी. डी. एस.) के कार्यक्रम के लक्ष्य तब तक हासिल नहीं हो सकते, जब तक बच्चों की माताओं को बच्चों के स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शिक्षा के बारे में शिक्षित नहीं किया जाता । 'प्रौढ़ महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता' के नाम से जाना जाने वाला यह कार्यक्रम 1984-85 में रोक दिया गया था। सभी रिपोर्ट यह बताती हैं कि इसके बंद होने का आई. सी. डी. एस. पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग माताओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम को आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के पूरक हिस्से के रूप में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वित्तीय संसाधनों की कमी ने विभाग को ऐसा करने से रोक रखा है। बी. ई. पी. में ई. सी. सी. ई. को ई. एफ. ए. की रणनीति के एक अविभाजित हिस्से के रूप में समझे जाने का प्रस्ताव है। फलस्वरूप, महिलाओं की साक्षरता को आई. सी. डी. एस. के एक पूरक हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

**6.12** ऐसे और भी कई संगठन होगे जो पर्याप्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का बीड़ा उठा सकते है। भूतपूर्व सेनानियों ने महानिदेशालय, पुनर्वास के माध्यम से अपनी रूचि जाहिर की है। कुछ स्थानों पर उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के रोचक नतीजे सामने आए हैं। बिहार में उद्योगों तथा खानों का जमाव है। इसके अलावा रेलवे, डाक एवं तार, कृषि विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, समुदाय विकास आदि का सामान्य बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक सेवाएं तो हैं ही । इन सभी व्यक्तियों को कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बुलाया जाएगा। (देखें बॉक्स पृष्ठ 40)

अभियान के लिए गतिशीलता : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य संबंधित लोगों से विचार-विमर्श कर यह फैसला किया है कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए 'केन्द्र आधारित' नजरिए पर पूरी तरह आश्रित नहीं रहा जाएगा। फलस्वरूप शैक्षिक संस्थानों, नियोजकों, श्रमिक संघों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक सक्रिय समूहों, व्यक्तियों आदि की भागीदारी के लिए सामूहिक गतिशीलता पैदा करने की दिशा में बहुत बड़ी संख्या में उपाय किए जा रहे है। बिहार में इस गतिशीलता का समर्थन करने में बी. ई. पी. को एक प्रभावी भूमिका अदा

**प्रस्तावित संगठन तथा लक्ष्य प्रति वर्ष**

| | (लाखों में) |
|---|---|
| आर. एफ. एल. पी. | 4.0 |
| एस. ए. ई. पी. | 5.5 |
| स्वयंसेवी संगठन | 4.0 |
| एन. वाई. के. | 1.0 |
| आई. सी. डी. एस. | 2.0 |
| नियोजक | 0.5 |
| भूतपूर्व सैनिक | 0.5 |
| स्वयंसेवक, शिक्षक/छात्र,/गृहिणियां आदि | 2.5 |
| कुल | 20.0 |

करनी होगी। इस गतिशीलता की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं :

(क) पैदल जत्था (पैदल चलने वाले गतिशीलता जत्थे) : इनका आयोजन बहुत बड़ी संख्या में गांधीवादी तथा सर्वोदयी संगठनों तथा साथ-साथ युवा क्रियावादियों की सहायता से करना होगा, जो लोगों से बाते करते, दीवारों पर लिखते और चित्र बनाते, ग्राम समितियों का निर्माण करते तथा स्वयंसेवक साक्षरता कार्यकर्ताओं की पहचान करते एक गांव से दूसरे गांव चलेंगे।

(ख) ज्ञान-विज्ञान जत्था (जन विज्ञान आंदोलन संगठनों के माध्यम से गतिशीलता) : केरल की तरह, जहां केरल शास्त्र साहित्य परिषद् (के. एस. एस. पी.) ने सैकड़ों-हजारों शिक्षकों, छात्रों, कलाकारों, सरकारी कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं आदि को पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा प्रौढ़ साक्षरता के कामों में शरीक किया है, जन विज्ञान समूह को सभी राज्यों में अपना जाल बिछाने तथा इस तरह के संगठन बनाने के लिए कहा जाएगा। के. एस. एस. पी. इस उद्देश्य के लिए जरूरी सहायता प्रदान करेगी।

(ग) पर्यावरण निर्माण के लिए जन माध्यमों का इस्तेमाल : लोगों के दिमाग तथा रवैये को प्रभावित करने में प्रेस, रेडियो, टी.वी. की भूमिका को पूरी तरह महसूस किया जा चुका है। साक्षरता के लिए इन माध्यमों का इस्तेमाल करने की दिशा में एक व्यवस्थित कोशिश करनी होगी।

(घ) युवा प्रशिक्षण और फैलाव तथा ग्राम शिक्षा समितियां : जैसे कि पहले ही व्याख्या की जा चुकी है, ग्राम प्रोत्साहकों, शिक्षा साथिनों, ग्राम शिक्षा समितियों तथा महिला समूह के सदस्यों आदि के प्रशिक्षण के एक बड़े कार्यक्रम को किए जाने का प्रस्ताव है। सूक्ष्म योजना बनाने के लिए

ग्राम शिक्षा समितियों तथा महिला समूह के निर्माण के लिए ये लोग साथ आएंगे। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में सभी बच्चों तथा कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों में सभी युवा बालिगों की भागीदारी सुनिश्चित कराना इनका उद्देश्य होगा।

लागत : वर्तमान मूल्यों के हिसाब से कार्यात्मक साक्षर बने प्रति बालिग की अनुमानित लागत 200 रूपए आती है। वर्तमान स्तर के आधार पर हिसाब लगा कर, यह अनुमान लगाया गया है कि 20 लाख लोगों को कार्यात्मक साक्षर बनाने के लिए प्रति वर्ष 40 करोड़ रूपए की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों, पर्यावरण निर्माण के लिए जन-माध्यमों पर खर्चों आदि (देखें बॉक्स) पर 10 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसमें उन खर्चों को शामिल नहीं किया गया है जो साक्षरता के पश्चात्, जारी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खर्च होंगे। इनका अलग अध्याय में जिक्र किया गया हैं।

**निधीयन के स्त्रोतो द्वारा निधि की आवश्यकता**

| | रुपए |
|---|---|
| 200 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से 20 लाख की साक्षरता के लिए जरूरत + गतिशीलता लागत | 50 करोड़ |
| भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले | |
| * ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं के लिए | 8 करोड़ |
| * स्वयंसेवी संगठनों के लिए | 8 करोड़ |
| * नेहरू युवा केंद्रों के लिए | 2 करोड़ |
| * भूतपूर्व सैनिकों के लिए | 1 करोड़ |
| * मीडिया के लिए | 2 करोड़ |
| राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले | |
| * राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए | 11 करोड़ |
| * मीडिया के लिए | 1.5 करोड़ |
| नियोजक, आदि द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले | 1.5 करोड़ |
| कुल | 35 करोड़ |
| बी. ई. पी. के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले | 15 करोड़ |

# अध्याय 7 बालपन मे देखभाल और शिक्षा

7.1 परिचय : मानव विकास के समूचे वर्णक्रम में बालपन की शिक्षा, जो पैदा होने से लेकर 6 साल की उम्र तक जारी रहती है, सबसे नाजुक दौरों में से एक होती है। इसके दौरान बौद्धिक, संज्ञानी, सामाजिक-भावात्मक, भाषा-संबंधी तथा शारीरिक एवं प्रेरक क्षमताओं की नींव रखी जाती है। इसकी नाज़ुकता इस तथ्य में छिपी है कि इन्हीं शुरू के सालों में मस्तिष्क का ज्यादातर विकास होता है तथा इसी दौरान सुदृढ़ शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की नींव पड़ती है। इस तरह, इन प्रारम्भिक वर्षों में ही बच्चे के सकारात्मक, वर्धक और संस्कृति के प्रति चेतना उत्पन्न कराने वाले तत्वों से साक्षात्कार उसके भावी जीवन की उपलब्धियों पर ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र की उपलब्धियों पर भी प्रभाव डालता है। एन. पी. ई.-1986 में इस तथ्य को बाकायदा मान्यता दी गई है, जिसके लिए पी. ओ. ए. से नीति में ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेक कार्यक्रम रणनीतियां तय की है। बी. ई. पी. में भी इस पहलू को महत्व दिया जाएगा।

7.2 उद्देश्य : अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो परियोजना मानसिक, संज्ञानी सामाजिक तथा शारीरिक रूप से बच्चों के सर्वांग विकास के लिए बालपन की देखभाल तथा शिक्षा संबंधी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। इसके अंतगर्त 0-3 आयु समूह के बच्चों के लिए घर के स्वस्थ माहौल में शुरू से ही प्रोत्साहन दिए जाने के अभ्यास और 3-6 आयु समूह के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा का समावेश होगा, जिससे छोटे बच्चों को प्राथमिक शाला के लिए सहज रूप से तैयार करने में सुविधा मिलेगी। ई. सी. ई. की सुविधाओं के उपलब्ध होने से आशा है कि लड़कियों को बच्चों/सहोदरों की देखभाल करने की जिम्मेदारियों से मुक्ति दिलवा प्राथमिक शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा तथा साथ ही निम्नतम सामाजिक-आर्थिक वर्गों की कामकाजी महिलाओं के लिए सहायक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी बहुत जरूरत है।

7.3 (क) कार्यक्रम रणनीतियां : वाहक के रूप में आई. सी. डी. एस. : आई. सी. डी. एस. को ऐसे सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में मान्यता मिल चुकी है, जो अपनी सीमाओं को भी लांघ चुका है। इसमें 3-6 आयु वर्ग के बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं का सबसे व्यापक पुलिंदा है। यह इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि बिहार में आई. सी. डी. एस. सभी जिलों में पहुंच चुकी है तथा आशा है कि आने वाले सालों में वह धीरे-धीरे अपने सीमा-क्षेत्र का और भी विस्तार करेगी। जो समूह आई. सी. डी. एस. का लक्ष्य है, अर्थात् ग्रामीण, जनजातीय और शहरी आबादी के सबसे कम सुविधा-प्राप्त तथा दुर्बल वर्ग, वही समूह बी. ई. पी. का भी मुख्य लक्ष्य है। उपरोक्त तर्क-आधार पर आई. सी. डी. एस. ;

ई. सी. एल. की उन्नति के लिए प्रमुख वाहक का काम करेंगी। इस बात पर जोर दिया जाएगा कि एस. सी./एस. टी., सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सबसे दुर्बल बच्चों, खासतौर से लड़कियों तथा पहली पीढ़ी के पढ़ने वालों को ई. सी. एल. सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

परियोजना रणनीति में शामिल होगा समुदाय / ब्लॉक / जिला तथा राज्य-स्तर पर आई. सी. डी. एस. प्रणाली के साथ संबंधों को पोषित तथा क्रिया विधि में तालमेल करना। राज्य तथा जिला-स्तरीय कार्य बलों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे व्यवस्थित तरीके से इन कार्मिक संबंधों को स्थापित करें।

आज तक आई. सी. डी. एस. का पूर्व-स्कूली शिक्षा का उपादान बेहद कमजोर है तथा शुरू से ही प्रोत्साहित किए जाने के प्रयास लगभग नगण्य, जिसकी मुख्य वजह है स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषाहार के उपादानों में उसका पहले से जुटा होना। बी. ई. पी. के अन्तर्गत निम्नलिखित हस्तक्षेपों के द्वारा आई. सी. डी. एस. में बालपन की शिक्षा के मूल उपादान को मजबूती दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे :

(1) सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं के पूर्व-सेवा तथा सेवा के दौरान वाले उपादनों को मजबूत किया जाएगा। इसका आधार है सिफारिशों की श्रृंखला जो निपसिड तथा एन. सी. ई. आर. टी. के अन्तर्गत विशेषज्ञ दलों द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

(2) चुने हुए जिलों में वर्तमान आई. सी. डी. एस. प्रशिक्षण केंद्रों का व्यवस्थित तरीके से दर्जा बढ़ाया जाएगा जिससे उनमें कार्यकर्ताओं को अर्थपूर्ण प्रशिक्षण देने की क्षमता हो।

(3) गृह विज्ञान/समाज सेवा कॉलेजों/गैर-सरकारी संगठनों में से ध्यान से चुन कर अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थाओं का पता लगाया जाएगा तथा उन्हें जिला-स्तर के निस्पंद प्रशिक्षण-युक्त-संसाधन केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये केन्द्र जिले में बालपन के शिक्षण कार्यक्रम के लिए संचारेक्षण इकाइयों के रूप में भी काम करेंगे।

(4) विशेषज्ञ दलों की सिफारिशों के अनुसार सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के समूचे पैकेज में व्यावहारिक प्रशिक्षण के एक प्रबल उपादान को शामिल किया जाएगा तथा पहली ही बार में प्रशिक्षण के 'सैंडविच पैटर्न' (अंतर्निर्विष्ट करने की शैली) की संकल्पना को आजमाया जाएगा। (अर्थात केंद्र आधारित शिक्षण की अवधि के साथ अदल-बदल कर क्षेत्रीय स्थापना)।

(5) आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशिक्षण पैकेजों की अवधि और मूलतत्व में संशोधन किया जाएगा। एन. सी. ई. आर. टी./एस. सी. ई. आर. टी. द्वारा विकसित व्यापक एवं सर्वग्राही पैकेज, जो ई. सी. ई./सी. एम. एल. कार्यक्रम के अंतर्गत 10 राज्यों में आजमाए जा चुके हैं, यदि जरूरत हुई तो इस्तेमाल किए और उपयुक्त रूप से अपनाए जाएंगे।

(6) जहां तक पढ़ाने/पढ़ने की सामग्री का सवाल हैं, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने और छपी हुई सामग्री तथा ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के लिए प्रदर्शिकाएं शामिल है, बच्चों की मीडिया प्रयोगशाला (एन. सी. ई. आर. टी. के अंतर्गत) द्वारा विकसित सामग्री को जरूरी संशोधनों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यबल को बड़ी मात्रा में उत्पादन और प्रसार की उपयुक्त क्रियाविधि तलाशनी होगी। वैसे बजाए महंगी और व्यापारिक रूप से उत्पादित

खिलौने/पढ़ने की सामग्री के, अपने आसपास के परिवेश और स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती सामग्री से सीखने पर जोर दिया जाएगा। इस संकल्पना को कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में भी उपयुक्त रूप से प्रबलित किया जाएगा।

(7) जिला/ ब्लाक एवं समुदाय स्तरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, एक उपयुक्त संस्थान में ई. सी. सी. एल. पर एक राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। वह एस. सी. ई. आर. टी. भी हो सकता है या एक उपयुक्त एन. जी. ओ. भी। यह संसाधन केंद्र बी. ई. पी. के अंतर्गत गैर-आई. सी. डी. एस. एवं ई. सी. एल. कार्यक्रमों के लिए भी काम आएगा।

7.3 (ख) गैर-आई. सी. डी. एस. ब्लॉकों के लिए विकल्प : उन क्षेत्रों में काम करने के लिए जहां अभी तक आई. सी. डी. एस. प्रणाली नहीं पहुंची है, ग्रामीण और जनजातीय कार्यक्रमों में प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी नगरपालिकाओं (शहरी क्षेत्रों में ) को, गैर-सरकारी संगठनों को तथा विशेष ई. सी. सी. ई. केन्द्रों को बड़ी आई. सी. डी. एस. प्रणाली अपने में समा लेगी, क्योंकि वह धीरे-धीरे इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विस्तार कर रही है। प्राथमिक स्कूलों से जुड़े ई. सी. सी. ई. केंद्रों को स्कूल की इमारत के अंदर ही एक अतिरिक्त कमरा दे दिया जाएगा तथा वे स्कूली प्रणाली के मौजूदा बुनियादी ढांचे का पूरी तरह लाभ उठाएंगे। ई. सी. सी. ई. कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए या तो स्कूल के शिक्षक का चुनाव किया जाएगा या फिर एक स्थानीय महिला का तथा उन्हें विशेष स्थितिज्ञान/प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रभावी ढंग से ई. सी. सी. ई. केंद्र चलाने के उन्हें जरूरी बुनियादी जानकारी तथा क्षमता हासिल हो सके। इस कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को उपयुक्त मानदेय दिया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं की स्थितिज्ञान/ प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रशिक्षण के समूचे बुनियादी ढांचे से भी पूरा किया जाएगा, जो आई. सी. डी. एस. प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले में उपलब्ध है। गैर-आई. सी. डी. एस.-ई. सी. ई. कार्यक्रमों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को बी. ई. पी. के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन गैर - आई. सी. डी. एस. -ई. सी. ई. केन्द्रों के पास कम से कम जरूरी पढ़ाने/पढ़ने की सामग्री, खिलौने तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार की देखरेख सहित अन्य सहायक सेवाएं मौजूद हैं, जो छोटे बच्चों को गुणात्मक रूप से समृद्ध और व्यापक विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी हैं।

7.4 0-3 आयु-वर्ग के लिए आरंभिक-प्रेरणा : घर में जाकर हस्तक्षेप कर शुरू से प्रेरित करने की स्वस्थ प्रक्रिया को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने की सार्थकता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। हमारे देश में इस क्षेत्र में कार्यक्रम किए जाने का सीमित अनुभव है। दूसरी तरफ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का अत्यधिक समृद्ध जानकारी और अनुभवों का आधार है। इन दोनों के आधार पर एक व्यवस्थित तथा संस्कृति-विशेष आरंभिक प्रेरणा हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिससे इस आयु-वर्ग के आरंभिक मनो-सामाजिक संज्ञानी एवं भाषायी विकास को बढ़ावा मिल सके। माता-पिता, बड़े भाई-बहन तथा

दादा-दादी सहित बच्चे का निकटतम परिवार हो या समुदाय, बालपन की शिक्षण गतिविधियों को लागू करने में सभी पूरी तरह शरीक होंगे, माध्यम चाहे आई. सी. डी. एस. का हो या गैर-आई. सी. डी. एस. प्रणाली का । कुछ समय बाद अभिभावकों/परिवार को निम्नतम आवश्यक जानकारी तथा क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वे घर तथा केन्द्रों दोनों जगह अपने स्वयं के बच्चों की ई. सी. एल. गतिविधियों का बीड़ा उठाने तथा उनकी सहायता करने लायक बन सकें।

इस समय रट्टू तोते की तरह रटने वाली अर्थहीन पढ़ाई तथा अभिभावकों/समुदाय एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ई. सी. ई. केन्द्रों में साक्षरता की पढ़ाई का बहुत महत्व है। जबकि ई. सी. एल. केन्द्रों को सिर्फ प्राथमिक औपचारिक स्कूलों के पतनशील फैलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह न केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण, बल्कि एक घातक नजरिया है। बी. ई. पी. के अंतर्गत पढ़ने की इस गलत प्रक्रिया को निरूत्साहित करने के चौकस प्रयास किए जाएंगे। दूसरी तरफ इन संकल्पनाओं को हंसते-खेलते सीखने की ऐसी विधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है।

# अध्याय 8 महिलाएं

**8.1** बिहार में महिलाओं के आंकड़े यह दिखाते है कि कुछ जरूरी संकेतकों जैसे पुरुष-स्त्री अनुपात (946), शिशु मृत्युदर (105), महिलाओं के लिए शादी की औसत आयु (16.53) तथा पोषाहार-संबंधि अवस्था, में महिलाओं की स्थिति की तुलना देश के सबसे पिछड़े इलाकों से की जा सकती है। स्त्रियों की साक्षरता दर (13.62) पुरूषों से एक-तिहाई है, प्राथमिक स्तर पर महिला अध्यापकों की प्रतिशतता (14.90) बहुत कम है, प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (53.79) बालकों से (107.18) आधा है तथा उनमें ही अनुसूचित जाति की बालिकाओं का नामांकन अनुपात 34.43 तथा अनुसूचित जनजातियों का 52.26 है।

**8.2** बिहार के अधिकतर हिस्सों में एक गाँव में एक शिक्षित महिला तक का मिल जाना मुश्किल है, खासतौर से गरीब समुदायों में। महिलाएं केवल आर्थिक रूप से वंचित किए जाने के नतीजे नहीं भुगत रही है, बल्कि उन्हें आंतक, हिंसा और अपमान के साए में जीना पड़ रहा है। सामाजिक अंतर्विरोधों का महिलाओं पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा है; सामाजिक-आर्थिक आघात के साथ-साथ वह बलात्कार और अन्य प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार बन रही है।

**8.3** इस संदर्भ में, यदि शिक्षा को बदलाव की दिशा में पहल करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी है तो उसे उन दबावों के लिए खुद को तैयार करना होगा, जिसमें महिलाएं जीती है। केवल एक अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान मद्दगार साबित नहीं होगा, जब तक कि महिलाओं को संचालित करने और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उत्साहित करने का व्यवस्थित प्रयास नहीं होता।

**8.4** गरीब महिलाएं शिक्षा क्यों हासिल नहीं कर पाती ? सिर्फ जिंदा रहने के कामकाज उनकी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देते है तथा परिवार के लिए रोजाना भोजन, पानी और ईंधन जुटाने के संघर्ष में उन्हें शिक्षा कहीं भी प्राथमिकता प्रतीत नहीं होती। गरीब औरत एक ऐसी बुरी स्थिति में फंसी हुई है जहां सामाजिक अलगाव और स्वयं खुद के वर्तमान से आगे की जानकारी तक न पहुंच पाना उसे समाज तथा अपने परिवार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग कर देता है। वह अपने को प्रायः ऐसी योजनाओं का शिकार बना पाती है जिनका उद्देश्य उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन तथा रोजगार की जरूरतों से जुड़ा होता है। उसे अपने शरीर और अपने जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी तथा उन पर बहुत कम अधिकार होता है। इन सब कारणों के चलते उसकी नजर में उसकी अपनी ही छवि बहुत ओछी हो जाती है। अन्ततः गरीब औरत अपने बारे में अपनी खुद की अनुभूतियों में फंस जाती है। इसलिए उसमें बहुत कम आत्मविश्वास होता है तथा वह अपनी दशा के बारे में सोचने और विश्लेषण तक करने से डरती है।

**8.5** अतः शिक्षा प्रक्रिया को सबसे पहले उपरोक्त दबावों पर ध्यान देना होगा तथा महिलाओं को इस योग्य बनाना होगा कि वे जिंदगी के प्रति उदासीन रह कर उसे स्वीकार करने की जगह ऐसी अवस्था में आएं, जहां वह अपने दिमाग से सोच सकें तथा व्यवस्थित तरीके से अपनी मांगों को व्यक्त कर सकें, जिससे उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति का अहसास हो। इससे वे न केवल अपनी जिंदगी में दी गई जानकारियों के आधार पर चुनाव करने के योग्य बन सकेंगी, बल्कि उनमें इन चुनावों के लिए जानकारी प्राप्त करने की दिशा में प्रश्न करने का साहस भी पैदा होगा।

**8.6** इस तरह बिहार शिक्षा परियोजना का प्रयास होगा :

(1) महिलाओं की आत्म-छवि तथा आत्म-विश्वास को बढ़ाना;
(2) उत्पादक तथा श्रमिक के रूप में उन्हें अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को समझ सकने के योग्य बनाना;
(3) मौसम के साथ-साथ बदलते उनके काम के स्वरूप तथा विविध व्यवसायों (कृषि संबंधी कार्य, पशुपाल, छोटे वन-उत्पादों को जमा करना, दिहाड़ी मजदूर तथा सबसे ऊपर भोजन, ईंधन, चारे, बच्चों के पालन-पोषण, बच्चों की देखरेख आदि से जुड़े घरेलू काम) के कारण महिलाओं की पढ़ने की गति तथा लय का लिहाज करना;
(4) शिक्षा के लिए समय निकालने के लिए महिलाओं को आवश्यक सहायक ढांचे तथा पढ़ने का अनौपचारिक माहौल उपलब्ध कराना;
(5) एक ऐसा ढांचा सोच निकालना, जिसमें घरों में, कृषि में तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही बालिकाओं तथा किशोरियों को औपचारिक शिक्षा के अवसर मिल सकें;
(6) सबसे ऊपर, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां महिलाएं बिना भय के ज्ञान तथा जानकारी हासिल कर सकें; इस तरह उन्हें अपने विकास तथा समाज के विकास में एक सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए बल प्रदान करना;
(7) एक ऐसा यंत्र-विन्यास तैयार करना जिसमें महिलाएं अपनी शिक्षा तथा अपने बच्चों की शिक्षा का संचारेक्षण कर सकें; तथा
(8) महिला शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक गांव में मेधावी और प्रशिक्षित महिलाओं का एक निकाय तैयार करना।

**8.7** <u>महिला समाख्य दृष्टिकोण</u> : इसका पहला कदम महिला समूह के रूप में एक कोया (रेशम के कीड़े का घर) बनाना होगा, जहां महिलाएं भय, नकारात्मक आत्म-छवि, लज्जा तथा प्रतिबन्धों के कई वर्षों की परतें उतार कर खिल सकें तथा साहस और सामूहिक शक्ति बटोर कर समय के चलते उस कोये में से बाहर आ सकें। महिला समूह वह स्थान उपलब्ध कराएगा जहां महिलाएं मिल सकें, कुछ समय-साथ बिता सकें तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करने, प्रश्न पूछने, बिना भय के बोलने, सोचने, विश्लेषण करने की प्रकिया की शुरूआत कर सकें। इन सबसे ऊपर वे इस समूह के माध्यम से अपनी जरूरतों को व्यक्त करने का विश्वास महसूस कर

सकें। जहां संभव होगा, वे कार्रवाई की शुरूआत करके तथा प्रखंड एवं जिला संरचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए दबाव डाल के हल निकालने की कोशिश करेंगी तथा हल निकालेंगी।

**8.8** शिक्षा साथिन : शिक्षा साथिन गांव की एक ऐसी महिला होती हैं जिसमें नेतृत्व का गुण तथा महिलाओं के साथ काम करने का उत्साह हो। गहन प्रशिक्षण के बाद वह महिलाओं के साथ काम करेगी तथा महिला समूह की संरचना में सहायक होगी। महिला समूह के माध्यम से वह महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करने की स्थितियां पैदा करेंगी। महिला समूह ग्राम समुदाय को शैक्षिक गतिविधियों के लिए संचालित करेगा, जिससे शैक्षिक कार्यकर्ताओं पर उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करने का नैतिक दबाव पड़ सके।

**8.9** सहयोगिनी : सहयोगिनी प्रेरक, सहायक, मार्गदर्शक तथा दस गांवों के लिए जानकारी या प्रतिपुष्टि की कड़ी होगी। वह दस गांवों के समूह तथा जिला-स्तर पर स्थापित किए जाने वाली सहायक संरचना व शैक्षिक संस्थाओं के बीच संपर्क का काम करेगी। उसे 10 गांवों में से चुना जाएगा, उसमें बुनियादी शैक्षिक क्षमताएं होंगी तथा इस भूमिका को अदा करने के लिए उसे महिला समाख्य की जिला इकाई के द्वारा प्रशिक्षण तथा सहयोग प्राप्त होगा।

**8.10** सहायक सेवाएं : महिला समूह सामूहिक रूप से ईंधन, चारे, पीने के पानी की समस्याओं तथा उनके काम से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देगा। समूह कोशिश करेगा और उपरोक्त समस्याओं पर कार्यकालीन होकर इनका हल निकालेगा। मिसाल के तौर पर, गांव की सामान्याधिकार भूमि में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन और चारे के पेड़ तथा झाड़ियां उगाना एक ऐसा ठोस कदम होगा, जिससे महिलाओं तथा बच्चों को नित्यश्रम से थोड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह वे एक ऐसी प्रक्रिया की शुरूआत कर सकते हैं जिससे उन्हें पीने का साफ पानी पहले की बजाए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो सके। इस परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली निधि के अतिरिक्त महिला समूह इस उद्देश्य के लिए इवाक्रा, जवाहर रोजगार योजना आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कोशिश करेगा और प्रखंड तथा जिले में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाएगा।

**8.11** महिला समाख्य को तीन जिलों में शुरू करने का प्रस्ताव है। ए. ई. तथा एन. एफ. ई. के लिए जिला संसाधन इकाई, महिला शिक्षण केंद्र तथा अन्य शैक्षिक निवेश, जिनमें लड़कियों के लिए चुने हुए स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है, महिला समाख्य की जिला परिपालन इकाई के साथ नजदीकी तालमेल बना कर काम करेंगे।

**I. 100 गांवो के समूह, 10 सहयोगिनियो तथा 100 महिला समूहो के लिए वित्तीय ढाचा**

(रूपए लाखो मे)

| क्रम संख्या | कार्यक्रम उपादान | गैर-आवर्ती | आवर्ती |
|---|---|---|---|
| 1. | महिला समूह | 18 | 5.4 |
| 2. | बाल देखरेख केंद्र 25 केन्द्र | .25 | 3.9 |
| 3. | सहायक सेवाएं | — | 1.1 |
| 4. | व्यावसायिक पाठ्यक्रम | — | 0.7 |
| 5. | सहयोगिनी | — | 1.35 |
| | कुल | 18.3 | 12.4 |
| | **II. जिला परिपालन इकाई** | | |
| 1. | डी. आई. यू.- प्रबंध लागत | 2.5 | 4.26 |
| 2. | डी. आई. यू.- क्रियाशीलता लागत प्रशिक्षण, बैठकों, सहायक गतिविधियों आदि सहित | — | 4.4 |
| | कुल | 2.5 | 8.66 |

अधिक जानकारी के लिए देखें भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग ), महिला समाख्या, 1988.

### एक महिला समूह

'गागरपुर' करीब 200 परिवारों (आबादी 1200) वाला एक गांव है। गांव की बाहरी सीमा पर दो छोटे गांव हैं। उनमें से एक में जनजातीय लोगों का एक समुदाय रहता है, जो खानाबदोश थे और पुराने दिनों में अपनी दिलेरी के लिए मशहूर थे। दूसरे छोटे गांव में चमारों, रेगड़ तथा अन्य 'निचली जाति' के समुदायों के 20 परिवार बसे हैं। इस छोटे गांव में न तो कोई पानी का कुआं है और न ही कोई हाथ से चलाने वाला बरमा। वहां दो टूटे-फूटे कमरों और दो शिक्षकों वाला एक पुराना प्राथमिक स्कूल है। हर रोज केवल एक ही शिक्षक स्कूल आता है। उसमें 75 बच्चों (10 लड़कियों) के नाम दर्ज हैं, पर प्रतिदिन स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या केवल 25 है। दो साल पहले एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की शुरूआत की गई थी, पर उसके प्रशिक्षक में उत्साह की कमी है। वह 'अग्र' समुदाय का है इसलिए वह जनजातीय लोगों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को वहां आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता।

गांव की 98 प्रतिशत महिलाओं की तरह धन्नो एक अनपढ़ औरत है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे पहचाना – जिंदगी के लिए उसके अनुराग और जिंदादिल स्वभाव के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता को महिला समाख्य कार्यक्रम का पता था, इसलिए उसने उसे तीन सप्ताह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेज दिया। इसके लिए उसे धन्नो के परिवार वालों को मनाना पड़ा, क्योंकि वे उसे गांव से बाहर भेजने के खिलाफ थे।

पड़ोसी गांवों की 22 औरतों ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान धन्नो को अपनी साथी प्रशिक्षणार्थियों की दशा का पता चला – उनकी निजी हालत; उनकी 'निजी सज्जा', पत्नी बारम्बार पिटाई; कमर तोड़ने वाला काम; बार-बार बच्चे का जन्म; स्वास्थ्य समस्याएं, खासतौर से स्त्री-रोग विज्ञान वाली; अस्वस्थता; तथा सबसे ऊपर उनका यह महसूस करना कि उनकी किसी को जरूरत नहीं है, सभी महिलाओं की समान समस्या बन गई थी। इस तरह उसने महसूस किया कि यह समस्या नारीत्व की है, गरीबी की है, तथा सामाजिक ढांचे की है। करीब 20 साल बाद उसे अपना बचपन फिर मिल गया। उसने खेल खेले तथा खूब जोर-जोर से हंसी। समूह ने गीत गाए, नाटक और लघुरूपक खेले तथा कागज पर चलाने के लिए दी गई पेंसिल पकड़ कर बहुत उत्तेजित हुआ।

क्रमशः

## महिलाओ के अध्याय का परिशिष्ट
## महिला शिक्षण केंद्र

1. पृष्ठभूमि : 1950 के दशक में केंद्रीय समाज कल्याण परिषद द्वारा शुरू की गई सबसे पहली योजनाओं में से एक सघन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण की थी। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती सुंदरम रामाचंद्रन तथा कस्तूरबा गांधी स्मारक न्यास की विभिन्न इकाइयों के नेतृत्व में, उन

उन्होंने खूब बातें कीं, सबने उसमें भाग लिया और उन्होंने खुद से पूछा, 'समाज हमेशा यह क्यों कहता है कि तीन औरतों को साथ रख दो तो वे आपस में जरूर लड़ेंगी ?'

वह आखों में चमक लिए अपने गांव वापस लौटी। औरतें उत्सुक थीं; उन्होंने उससे प्रशिक्षण के बारे में पूछा। धन्नो ने गीत गाया और अपने बनाए इश्तहार दिखाए। उसने उन्हें बताया कि वे ब्लॉक कार्यालय गई थीं, उन्होंने अधिकारी से बात की थी, तथा अधिकारी ने उन्हें सचमुच कुर्सी पर बैठाया था और चाय भी पिलाई थी। उसने उन्हें सूखा राहत कार्य के बारे में बताया, अन्य योजनाओं के बारे में बताया, तथा वह बोलती रही। औरतों ने 'बाहरी दुनिया' के बारे में बातें करने तथा उसके बारे में जानने का बहुत आनंद लिया। "हमें और बताओ", उन्होंने कहा। महिला समूह एक सच्चाई में बदलने लगा।

तब सहयोगिनी उस गांव में गई, उन्हें महिला समाख्य के बारे में बताया वे कैसे गांव के स्कूल का संचारेक्षण कर सकती हैं, कैसे शिक्षण के लिए अनौपचारिक केंद्रों की मांग कर सकती हैं... एक नया संसार उनकी आखों के आगे जन्म ले रहा था। स्कूल का शिक्षक इस 'हस्तक्षेपी' महिला से गुस्से में था, पर उसे जल्दी ही आभास हो गया कि जिला शिक्षा अधिकारी को उसके स्कूल के बारे में लगातार रपट मिल रही है। उसने सहयोगिनी से पूछा कि वह हर पखवारे गांव में क्यों आती है तथा वह अन्य निरीक्षकों की तरह क्यों नहीं है। तब उसने जवाब दिया, "मैं महिलाओं के लिए काम करती हूं, मैं उनके लिए जवाबदेह हूं तथा इन बातों से परे, मुझे यहां आना अच्छा लगता है।" शिक्षा साथिन ने घर-घर जाना शुरू कर दिया, कभी खेतों में और कभी काम के ठिकानों पर औरतों से बात करने के लिए। उन्होंने पिछड़ी जातियों के छोटे गांवों में एक एन. एफ. ई. केंद्र की शुरूआत की; एक महिला अनुदेशिका का चुनाव किया और उसे अपने समूह का एक हिस्सा बना लिया।

'गागरपुर' की महिलाएं उत्तेजित हैं। उनके पास कई योजनाएं हैं। अब वे एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना चाहती हैं – सीखने के लिए, समझने के लिए, और कुछ करने के लिए। जब सामाजिक कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उन्होंने कहा, "बीते वक्त में हमें हमेशा यह बताया जाता था कि हमें क्या करना है और किस चीज की मांग करनी है पर महिला समाख्य में उन्होंने पहले हमसे पूछा और हमसे स्वयं वह काम करने को कहा।"

गरीब औरतों के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्हें अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता तथा रोजगार के लिए थोड़ी-बहुत प्रशिक्षण योग्यता की जरूरत थी। इस ढांचे की वैधता बरकरार रही।

2. बी. ई. पी. में उपपत्ति : बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला कार्यकर्ताओं की बेहद कमी है। वस्तुतः सभी महिला शिक्षक शहरी इलाकों से आती हैं तथा इस निर्णय को लिए जाने के बावजूद कि जितनी

भी महिला प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संभव हो, की जाए, उनकी संख्या लगातार बहुत कम रही है। बी. ई. पी. में हम लोग ग्रामीण महिलाओं को शिक्षक, शिक्षा-कर्मी, प्रशिक्षक तथा प्रेरक के रूप में नियुक्त करने के लिए उनके चुनाव को दृष्यमान कर रहे हैं। यह महिला कार्यकर्ताओं की उस जरूरत के अलावा है, जिनकी आई. सी. डी. एस., प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आवश्यकता है। बी. ई. पी. की महिलाओं के विकास से जुड़ी रणनीति में यह पहले से ही मान कर चला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगी।

3. ग्राहक
   (क) महिलाएं जो अक्षम, असहाय हैं, मुसीबत में है और जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है;
   (ख) किशोरियां तथा व्यस्क औरतें जिन्हें रोजगार चाहिए; तथा
   (ग) महिलाएं जो शिक्षा जारी रखने की इच्छुक हैं।

4. पाठ्यक्रम का स्वरूप
   (क) शैक्षिक रूप से प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा के समान।
   (ख) विश्वास बढ़ाने, आत्म-छवि बदलने तथा आत्म-प्रासंगिकता पर जोर।
   (ग) अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक अवस्था का समीक्षात्मक विश्लेषण करने की क्षमता का विकास।
   (घ) समुदाय कार्यकर्ता की तरह तथा बी. ई. पी. में परिकल्पित विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं के लिए क्षमताओं को मन में बैठाना।

5. अवधि
   (क) एक से तीन साल, शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा पढ़ने की गति पर निर्भर।
   (ख) पूरी तरह आवासीय पाठ्यक्रम, पर छात्रावास पद्धति पर नहीं, बल्कि पारिवारिक पद्धति पर, जिसमें महिलाएं अपना काम करती हैं तथा एक दूसरे का ख्याल रखती हैं।
   (घ) प्रमाण-पत्र तथा मान्यता देने का प्रावधान।
   (घ) स्थान तथा प्रशिक्षकों की सुरक्षा पर विशेष बल।

6. परिपालन संगठन
   – सामान्य रूप से एक स्वयंसेवी संगठन; जरूरत होने पर खासतौर से इसी उद्देश्य के लिए नए संगठनों की स्थापना।
   – संगठन की पक्की जांच-पड़ताल अनिवार्य है कि वह युवतियों के बीच काम करने के लिए उपयुक्त है या नहीं।

7. सहायक सेवाएं

- महिला शिक्षण केंद्रों के बीच जाल बिछाना।
- डी. आर. यू. को कर्मचारी-वर्ग के साथ नियमित रूप से मिलना-जुलना।
- शायद कुछ वचनबद्ध लोग, ज्यादातर औरतें, एक एम. एस. के. को संभालें।
- महिला समाख्य जिला परिपालन इकाइयों के साथ नजदीकी संपर्क।

**एक एम. एस. के. के लिए वित्तीय ढांचा**

| | |
|---|---|
| **I** इमारत तथा साज-सामान | 6 लाख रुपये |
| 1. बड़े बरामदे के साथ शयनशालाओं/ कक्षा के कमरों के लिए इस्तेमाल होने वाले पांच बड़े कमरे | |
| 2. छात्राभिरक्षक का आवास | |
| 3. स्वास्थ्यरक्षा-विषयक खंड | |
| 4. फर्नीचर तथा रसोई का साज-सामान | |
| 5. बनाने की प्रारंभिक लागत | |
| संस्थान का वित्तीय ढांचा 25 उम्मीदवार, प्रति वर्ष के आधार पर बनाया गया है। | |
| **II** आवर्ती | 5 लाख रुपये |
| 1. रखरखाव 300/- रुपए प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से | |
| 2. प्रशिक्षणार्थियों के लिए भत्ता 60 रुपए प्रति माह की दर से | |
| 3. शिक्षक (दो पूर्ण कालिक तथा दो अंश-कालिक) | |
| 4. सहायक कर्मचारी-वर्ग | |
| 5. पुस्तकालय, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि | |
| 6. व्यावसायिक प्रशिक्षण | |
| 7. चिकित्सा-संबंधी देशभाल | |
| 8. फुटकर | |
| एक महिला शिक्षण केंद्र (50 की भरती सहित) के लिए कुल लागत प्रति वर्ष | 11 लाख रुपए |

# अध्याय 9 संस्कृति, संचार और जारी शिक्षा

**9.1** संस्कृति ही लोगों की पहचान बनाती है। 'अनेकता में एकता' की धारणा यह मान कर चलती हैं कि हमारे देश के लोगों के बीच में अनेक सांस्कृतिक धागे फैले हुए हैं, और एक तेज अंतःप्रवाह हमें आपस में बांध रहा है। वैसे सांस्कृतिक बंधन और जड़ों से लोगों का पृथक्करण, उद्योगीकरण तथा सामूहिक शिक्षा के साथ शुरू होता है। यह पृथक्करण, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में साफ़ तौर पर दिखाई देता है, जहां पारिवारिक परंपरा तथा स्कूल में निहित मूल्य पर आधारित ढांचे में परस्पर विरोध होता है। प्रायः वही बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ता है जो विशिष्ट वर्ग व्यवस्था के साथ मुख्यधारा की बाध्यताओं-उसकी भाषा, पोषाक एवं चाल ढाल, समय तालिकाओं तथा काम से पृथक्करण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। इसलिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रोत्साहित किए जाने के रास्ते और साधन तलाशने के लिए सोचना जरूरी है, जहां व्यक्तियों के बीच की असमानताओं को सच्चाई के रूप में स्वीकारा जाए तथा उसके सकारात्मक पहलुओं और समान सूत्रों को एक दूसरे पर थोपने की बजाए उन्हें सबके सामने लाया जाए। बिहार के तीन अलग क्षेत्रों में से प्रत्येक में भाषा-संबंधी तथा सांस्कृतिक असमानता नजर आती है। गंगा के उत्तर में वज्जिका, मैथिली तथा भोजपुरी बोली जाती है। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र अंगिका, मगधी एवं भोजपुरी बोलता है तथा छोटानागपुर क्षेत्र में अनेक जनजातीय भाषाएं हैं, जिनमें संथाली, मुंदरी, ओराओं, हो, नागपुरिया तथा खोरथा प्रमुख है। अपनी मातृभाषा में पढ़ सकने के लिए साहित्य तथा, खास तौर से, समानांतर पाठ विकसित किए जाने की जरूरत होगी तथ बाद में और आगे बढ़ने के लिए मानक भाषाओं की तरफ जाना होगा।

**9.2** पड़ोस में चल रही परियोजनाओं के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए चलाए जा रहे वातावरण संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों की तरह बच्चों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा की गतिविधियों का विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। 'मूल्य शिक्षा' या नैतिक निर्देश के द्वारा सांस्कृतिक एकीकरण को उन्नत करने की बजाए बच्चों में अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने की भावना पैदा किए जाने का गहन प्रयास किया जाना चाहिए, जो उनकी पारिवारिक एवं सामुदायिक परंपराओं के द्वारा निरूपित होता है। यह लोक गीतों, कविताओं, तुकांत कविताओं, खेलों, धार्मिक विधियों तथा कर्मकांडों के माध्यम से किया जा सकता है, जिनका घरों में प्रयोग होता है। घर के अनुभवों को बांटने तथा इन परंपराओं की सार्थकता की सामूहिक रूप से व्याख्या करने एवं उसे समझने से बच्चे में विश्वास पैदा होगा। साथ ही उसके सांसारिक दृष्टिकोण को विकसित करने में भी मदद मिलेगी, जो उसके परिवेश से मेल खाएगा। परंपरा को पिछड़ा या 'अवैज्ञानिक' कह उसका अपमान करने की मौजूदा प्रवृत्ति को सांस्कृतिक परंपराओं का आदर करने की प्रवृति में बदलना होगा। धीरे-धीरे स्पष्ट होते जा रहे सामाजिक बदलाव को बाहर से

नहीं थोपा जा सकता। लोगों को बदलाव की जरूरत को महसूस करना होगा, उसके साथ मेल बिठाना होगा तथा उसके साथ विकसित होना होगा। इस मायने में लोक तथा पारंपरिक प्रदर्शकों तथा साहित्य का योगदान बहुत सार्थक है। अतः शिक्षा में उपयुक्त सांस्कृतिक हस्तक्षेप के द्वारा सचेत कोशिश की जानी चाहिए, जिससे जिन जड़ों ने इस राज्य के लोगों को पाला-पोसा है, उनका पोषण हो सके। इससे अलग-अलग व्यक्तियों को भी बल मिलेगा, क्योंकि उनके भीतर अनन्यता तथा विश्वास की भावना पैदा होगी, बजाए इसके कि वे साम्प्रदायिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे लोगों की साजिश का शिकार हो जाएँ।

9.3 शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने की दिशा में विश्वास पैदा करने, बच्चे व बालिग में एक उपयुक्त आत्म-छवि बनाने एवं अपनी भीतरी प्रतिभाओं को पहचानने तथा उन्हें रचनात्मक रूप से जाहिर करने पर बुनियादी बल दिया जाएगा। पूर्व-प्राथमिक स्तर की पढ़ाई का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति प्रारंभिक संवेदनशीलता जगाना तथा रंगों, आकृतियों और लय-ताल को पहचाननें में मदद करना होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मदद की जाएगी जिससे वे अपनी मातृ-भाषा सीख सकें, कविताएँ, किस्से, पौराणिक कथाएँ, अपने गांव के इर्द-गिर्द घूमती कहानियां सीखने में गर्व का अनुभव कर सकें तथा साथ ही लोक-गीतों को गाने की क्षमताओं का विकास कर सकें। प्रौढ़ शिक्षण की प्रक्रिया में उन्हें वर्णमाला सिखाते समय उनकी सांस्कृतिक अवस्था अर्थात भाषाओं, कला-शैलियों तथा पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। पारस्परिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय कलाकारों और शिल्पियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिससे वे छात्रों और जिज्ञासुओं के सामने संगीत, चित्रकारी, लोक-नृत्य या बाजीगरी का प्रदर्शन कर सकें तथा उन्हें ये कलाएँ सिखा सकें। प्रदेश में मेलों के दौरों के आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खास तौर से ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के लिए। शिक्षार्थियों में खूबसूरती की अनुभूति के आधार पर सुरूचिपूर्ण दृष्टिकोण तथा नजदीकी भावात्मक या अन्य भाव संवेगों से परे एक दृष्य भूमिका का वर्धन किया जाना अनिवार्य होगा। यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी अलग पहचान को महसूस कर सकें तथा साथ ही उन्हें बिहार तथा भारत के उज्ज्वल भविष्य में अपनी रचानात्मक भूमिका का बोध हो।

9.4 परिभाषा के अनुसार जन माध्यम समस्थिति की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसी के साथ आधुनिक मीडिया के इस्तेमाल के माध्यम से शिक्षण के स्तर को सुधारने की बहुत गुंजाइश है। प्राथमिक स्कूलों को टेलीविजन एवं रेडियो-युक्त-कैसेट प्लेयर उपलब्ध करा बिहार में तो इसकी शुरूआत हो भी चुकी है। प्राथमिक स्कूलों, एन. एफ. ई. तथा ए. ई. केंद्रों तथा जन-शिक्षण निलयमों को कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नालॉजी, पटना को विकसित किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम जो पृथक्कारी नहीं हैं तथा जो कक्षा के कमरे में दिए जाने वाले शिक्षण के सम्पूरक हैं। रेडियो एवं टेलीविजन का संवेदनशील उपयोग, खासतौर पर सामूहिक शिक्षण पर बल, प्रशिक्षण प्रणाली को सुधारने में भी सहायक हो सकता है।

9.5 लोकतांत्रिक ढ़ांचे में सार्वजनिक पुस्तकालयों की जरूरत निर्विवाद है। वे समुदाय के जीवन की एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जरूरत को पूरा करते हैं। साथ ही उपलब्ध कराते है एक ऐसी खिड़की जो ला सकती है ज्ञान का प्रकाश, नई जानकारी तथा समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणा। बी. ई. पी. में पुस्तकालयों की संस्था को वर्तमान ढांचों के विकास के रूप में परिकल्पित किया गया है जो राज्य के कुछ हिस्सों में स्थापित हैं। पंचायत के स्तर पर (करीब 4-5 गांव) एक जन शिक्षण निलयम (जे. एस. एन.) होगा। जे. एस. एन. उन नव-साक्षरों को, जिन्होंनें कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा उन छात्रों को जिन्होंनें एन. एफ. ई. केंद्रों की स्कूल प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा हासिल की है जारी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा साथ ही बिरादरी के बाकी सभी सदस्यों को भी ये अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जे. एस. एन. के कार्य भांति-भांति के हैं और भारत सरकार* द्वारा किए गए प्रकाशन में उनकी व्याख्या की गई है। इसमें साक्षरता के दृढ़ीकरण, पुस्तकालय तथा पढ़ने के कमरे की सुविधाएं, संचार एवं सूचना तथा साथ-साथ खेल एंव संस्कृति के एक केंद्र की व्यवस्था शामिल हैं। पिछले 2-3 साल के अनुभव के आधार पर जे. एस. एन. के निधीयन में संशोधन कर उसे गैर-आवर्ती तथा आवर्ती व्यय में से प्रत्येक के लिए 7,000 रूपए से बढ़ा कर 10,000 रूपए कर दिया गया है।

9.6 करीब दस जन शिक्षण निलयमों के एक समूह (करीब 50,000 की आबादी, 50 गांवों) में एक संकुल पुस्तकालय उपलब्ध कराया जाएगा। संकुल पुस्तकालय को जन शिक्षण निलयमों की एक सहायक संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है। अतः ज्यादातर गतिविधियां जिन्हें जे. एस. एन. में आयोजित किए जाने का इरादा होगा, उचित परिवर्तन के साथ संकुल पुस्तकालय में भी आयोजित की जाएंगी। एस. पी. द्वारा जन-शिक्षण निलयमों को सामान्य संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना संभव होगा। वह सांस्कृतिक उत्सवों, खेल प्रतियोगिताओं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यकलापों का भी आयोजन करेगा। एन. वाई. के. के साथ सहयोग करके यह युवा विकास गतिविधियों का बीड़ा उठा सकता है। महिलाएं इसका मुख्य केंद्र होंगी। इसके अतिरिक्त एस. पी. पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे बच्चे, तरूण तथा बालिग अपनी इच्छा के अनुसार अध्ययन जारी रख सकें। अनेक स्थितियों में एस. पी. क्षेत्र के साहित्य तथा शिल्प-तथ्यों के संग्रह एवं संरक्षण के केंद्र के रूप में काम कर सकता है। एस. पी. की अंश-कालिक महिला पुस्तकाध्यक्ष न केवल पढ़ने के कमरे तथा पुस्तकालय के रखरखाव से जुड़े विविध कामों को संभालेगी, बल्कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा लोगों, लेखकों और कलाकारों तथा साथ-साथ स्थानीय भाषा एवं प्राचीन परंपरा पर काम कर रहे शोधकर्ताओं के साथ कार्य करना। एस. पी. की गैर-आवर्ती लागत करीब 75,000 रुपए तथा आवर्ती लागत 25,000 रुपए होगी। 1995 तक 600 संकुल पुस्तकालयों के स्थापित किए जाने का इरादा हैं। इसके लिए जिला एवं राज्य पुस्तकालयों को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, जो अपनी बारी आने पर संकुल पुस्तकालयों के लिए सहायक प्रणाली उपलब्ध कराएंगे।

---

* भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जन शिक्षण निलयम, 1988

9.7 जैसा कि इस अध्याय के शुरू के अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, पुस्तकालयों और जारी शिक्षा की समूची प्रणाली के परिवेश पर सांस्कृतिक परिदृश्य हावी रहेगा। जनजातीय लोगों, शिल्पियों तथा दस्तकारों जैसे वंचित वर्गों की भाषा, कला एवं संस्कृति में गर्व महसूस करने पर बल दिया जाएगा। एस. पी. में पुस्तकाध्यक्ष का काम आमतौर पर एक ऐसे वचनबद्ध व्यक्ति को सौंपा जाएगा जो अंशकालिक काम करने में रूचि रखता हो तथा काम को सेवा एवं रचनात्मकता के साथ करे।

**एक जन शिक्षण निलयम का वित्तीय ढ़ाचा**
**(जे. एस. एन.)**

| **(क) गैर आवर्ती** | **(रूपयो मे)** |
|---|---|
| 1. उपकरण (अलमारी, पैट्रोमेक्स अखबारों के लिए मेज, लपेट कर रखा जा सकने वाला बोर्ड आदि) | 2500 |
| 2. पुस्तकें | 4000 |
| 3. मानचित्र, चार्ट, तस्वीरें | 1200 |
| 4. खेल एवं मनोरंजन-विषयक सामग्री | 1500 |
| 5. साइकिल | 800 |
| | 10,000 |
| **(ख) आवर्ती** | |
| 1. प्रेरक के लिए मानदेय | 3600 |
| 2. मिट्टी का तेल | 500 |
| 3. समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं | 2000 |
| 4. पुस्तकें | 2400 |
| 5. खेल एवं मनोरंजन - विषयक बदलाई गई सामग्री | 1000 |
| 6. आनुषंगिकताएं | 500 |
| | 10,000 |

## एक संकुल पुस्तकालय का वित्तीय ढांचा

| (क) गैर आवर्ती | (रूपयो मे) |
|---|---|
| 1. बरामदों के साथ एक बड़े कमरे का निर्माण (कच्चा, खपरैल सहित) | 30,000 |
| 2. उपकरण (अलमारी, पैट्रोमेक्स, ब्लैकबोर्ड, समाचार पत्रों के लिए चौकियां, दरियां) | 5,000 |
| 3. साइक्लोस्टाइल करने की मशीन (हाथ से चलाने वाली) | 7,000 |
| 4. पुस्तकें | 10,000 |
| 5. मानचित्र, चार्ट, तस्वीरें | 2,000 |
| 6. खेलने का सामान | 2,000 |
| 7. मनोरंजन-विषयक सामग्री | 3,000 |
| 8. प्रकाश-व्यवस्था (सौर-फलक आदि) | 16,000 |
| | 75,000 |
| **(ख) आवर्ती** | |
| 1. पुस्तकाध्यक्ष का मानदेय दर 1000 रूपए X 12 | 12,000 |
| 2. समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं की खरीद | 2,000 |
| 3. पुस्तकों की खरीद | 7,000 |
| 4. सामग्री का बदलाव | 1,600 |
| 5. साइक्लोस्टाइल करने का कागज | 1,400 |
| 6. आनुषंगिकताएं | 1,000 |
| | 25,000 |

# अध्याय 10 प्रशिक्षण

**10.1** बी. ई. पी. में प्रशिक्षण* की नाजुक भूमिका इस जागरूकता ने तय की है– (क) कि बिहार की वर्तमान सामाजिक अवस्था में शैक्षिक पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा तथा यह काम ए. ई./एन. एफ. ई. के ज्यादातर मौजूद शिक्षकों और अनुदेशकों के माध्यम से होगा; (ख) कि उनकी भूमिका के बेहतर प्रदर्शन के लिए वस्तुतः प्रत्येक को उनकी शक्तियों तथा साथ ही साथ उनकी निपुणताओं तथा क्षमताओं का एहसास कराया जा सकता है; तथा (ग) कि बिल्कुल शुरूआत के स्तर से कुछ लोगों को वर्तमान प्रणाली में शरीक किया जा सकता है जो, समान वातावरण में जी रहे होने के बावजूद प्रणाली में एक नई गति का संचार कर सकते हैं।

**10.2** बी. ई. पी. के अंतर्गत प्रशिक्षण के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उसमें शामिल सभी व्यक्तियों की दिशा बी. ई. पी. के लक्ष्यों और रणनीतियों की ओर तय करना तथा उनकी निपुणताओं और क्षमताओं को बढ़ाना होगा जिससे वे अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। साथ ही इसका उद्देश्य उन्हें परियोजना की योजना बनाने तथा उसे लागू किए जाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना भी होगा। प्रशिक्षित किए जाने वाले लोगों की श्रेणियां काफी विविध हैं तथा उनकी संख्या बहुत अधिक। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां और उनकी अनुमानित संख्याएं (औसत रूप से प्रत्येक जिले में) नीचे दी जा रही हैं:

| | |
|---|---|
| – नौकरी कर रहे शिक्षक | 5000 |
| – शिक्षा कर्मी | 300 |
| – प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशक | 1200 |
| – अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक | 1000 |
| – ए. ई./एन. एफ. ई. कार्यक्रमों में पर्यवेक्षक/प्रेरक | 200 |
| – शिक्षा साथिनें तथा सहयोगिनिएं | 200 + 20 |
| – ग्राम स्तर के समिति सदस्य | 2000 |

*'प्रशिक्षण' शब्द को शिक्षकों की शिक्षा, पेशवर लोगों की जारी शिक्षा, पुनर्निर्धारण आदि के लिए चुना गया है क्योंकि इसे लोग ज्यादा समझते हैं। जैसा कि इस अध्याय के विवरण ने शायद स्पष्ट कर दिया है, प्रशिक्षण दिए जाने का अभिप्राय न तो 'देने वाले-लेने वाले' का रिश्ता है, न 'खाली गगरी भरने' की धारणा और न ही वह प्रशिक्षणार्थियों को गैर-हिस्सेदार, गैर-परस्पर प्रभावशील जन-समूह की तरह देखता है।

इसके अलावा, शिक्षकों की नौकरी के लिए नए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है।

10.3 प्रशिक्षण के लिए संस्थागत तथा गैर-संस्थागत व्यवस्था की एक श्रेणी का खाका तैयार किया जाना जरूरी होगा। इसमें शामिल होंगे:

10.3.1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी. आई. ई. टी.) : भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा शिक्षाविदों * के साथ सलाह-मशविरा कर डी. आई. ई. टी. का एक खाका तैयार कर लिया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की योजना परिकल्पित करती है–बुनियादी ढांचे का उन्नयन, कर्मचारी वर्ग का विशेष चयन व प्रशिक्षण, मूल तत्व व प्रशिक्षण की विधियों की समीक्षा एवं सेवा के दौरान प्रशिक्षण व जारी शिक्षा पर बल, शिक्षकों का प्रशिक्षण। एक वर्तमान प्राथमिक

**एक डी. आई. ई. टी. पर आने वाला अनुमानित खर्च**

| | |
|---|---|
| **क. गैर-आवर्ती व्यय** | |
| (अ) सिविल कार्य | |
| 1. वर्तमान इमारतों में मरम्मत एवं रद्दोबदल | |
| 2. वर्तमान इमारतों में योग | |
| 3. छात्रावास | |
| 4. कर्मचारी वर्ग के आवास | 85 लाख रु. |
| (ब) उपकरण | |
| 1. पुस्तकालय | |
| 2. विज्ञान शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि तथा छात्रावास, श्रव्य-दृश्य साधन आदि के लिए अन्य उपकरण | |
| 3. फर्नीचर | 15 लाख रु. |
| कुल गैर-आवर्ती खर्च (अ + ब) | 1 करोड़ रु. |
| **ख. आवर्ती खर्च** (प्रति वर्ष) | 35 लाख रु. |
| कुल (क + ख) | 1 करोड़ 35 लाख रु. |

* भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 1989 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को पहचान कर उसे डी. आई. ई. टी. में विकसित किया जाएगा। अनुमान है कि इस पर एक करोड़ रुपए का खर्च आएगा (देखें बॉक्स)। कर्मचारी वर्ग के चयन पर विशेष बल दिया जाएगा। डी. आई. ई. टी. के रूप में विकसित करने के लिए चुने गए प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के वर्तमान कर्मचारी वर्ग का नियुक्ति के लिए कोई विशेष दावा नहीं होगा। एस.सी.ई.आर.टी. के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें मुख्य रूप से जिला कार्य बल के सदस्य होंगे, शिक्षक वर्ग का चयन करेगी।

10.3.2 डी. आई. ई. टी. उप-केंद्र : जिले के प्रत्येक उपमंडल में डी. आई. ई. टी. का एक उप-केंद्र (1) ए. ई. और एन. एफ. ई. के शिक्षकों और प्रशिक्षकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देगा, तथा (2) उनके लिए एक संसाधन तथा संदर्भ केंद्र की तरह काम करेगा। उपकेंद्र में प्रशिक्षणार्थियों के आवास के लिए आश्रम की तरह की साधारण इमारतें होंगी, कर्मचारी-वर्ग के कुछ आवास होंगे तथा आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं होंगी। एक डी.आई.ई.टी. उप-केंद्र को स्थापित करने पर लगभग 50 लाख रुपए का प्रारम्भिक खर्च आएगा।

**एक डी. आई. ई. टी. उप-केंद्र पर आने वाली अनुमानित लागत**

| | |
|---|---|
| **(क) गैर-आवर्ती व्यय** | |
| (अ) सिविल कार्य | |
| 1. उप केंद्र की इमारत | |
| 2. 60 स्थानों वाला हॉस्टल | |
| 3. कर्मचारी-वर्ग के आवास | 35 लाख रुपए |
| (ब) पुस्तकालय तथा उपकरण | 5 लाख रुपए |
| कुल गैर-आवर्ती व्यय (अ + ब) | 40 लाख रुपए |
| **(ख) आवर्ती व्यय** (प्रति वर्ष) | 10 लाख रुपए |

10.3.3 जिला संसाधन इकाई (डी. आर. यू.) : हालांकि केंद्र सरकार की योजना में जिला संसाधन डी. आई. ई. टी. का हिस्सा है, पर बी. ई. पी. के अंतर्गत जिला संसाधन इकाइयों को अलग सत्ता दिए जाने का प्रस्ताव है। डी. आर. यू. का कार्य मुख्य रूप से प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समाख्य, ग्राम स्तरीय प्रोत्साहकों, क्रियावादियों आदि से संबंधित होगा। डी. आर. यू. को डी. आई. ई. टी. उप-केंद्रों की पद्धति पर एक संस्थागत बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला संसाधन इकाइयों के कर्मचारी-वर्ग में करीब-करीब सभी महिलाएं रखी जाएंगी, जिन्हें महिलाओं की समानता के लक्ष्यों को हासिल करने के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जरूरी दिशामान उपलब्ध

कराए जाएंगे। डी. आर. यू. की योजना की मुख्य विशिष्टताएं भारत सरकार * द्वारा प्रकाशित की गई हैं तथा बी. ई. पी. में भी शायद उन्हीं मार्ग-दर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

10.3.4 <u>गैर-संस्थागत संसाधन समूह</u> : डी. आई. ई. टी., उसके उप-केंद्र, तथा डी. आर. यू. अनेक सहकारी संगठनों तथा विज्ञ व्यक्तियों के माध्यम से काम करेंगे। परिचालन की परिभाषा में ये संगठन निम्नलिखित को शामिल करेंगे:

(1) स्वयंसेवी संगठन : जिले में ऐसे बहुत कम स्वयंसेवी संगठन होंगे, जो निश्चित क्षेत्र में प्रशिक्षण के एक हिस्से की जिम्मेदारी उठा सकें।

(2) प्रशिक्षक समूह : ऐसे समूह बिहार में किन्हीं अन्य स्थलों पर, यहां तक कि राज्य के बाहर भी हो सकते हैं। उनकी भागीदारी बहुत मूल्यवान हो सकती है, विशेष तौर पर संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी-वर्ग तथा वरिष्ठ स्तर के विज्ञ व्यक्तियों के प्रारंभिक पुनर्निर्धारण के लिए।

(3) विज्ञ व्यक्ति : प्रत्येक सी. डी. ब्लाक में यह जरूरी होगा कि अनेक विज्ञ व्यक्तियों का पता लगा कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए जो ए. ई./एन. एफ. ई. के प्रशिक्षकों, ग्राम स्तर के क्रियावादियों या प्रोत्साहकों आदि के प्रशिक्षण का आयोजन कर सकें। यह भी जरूरी होगा कि शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए विषय के अनुसार विज्ञ व्याक्ति मौजूद हों (विज्ञ व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्रों में लोगों के प्रशिक्षण में किस तरह योगदान देंगे, इस बारे में जिला संसाधन इकाइयों के दस्तावेज में विवरण दिया गया है)

(4) सृजनशील व्यक्ति : शिक्षकों, प्रोत्साहकों आदि की मासिक बैठकों में शामिल होकर तथा अंशकालिक शिक्षक–वर्ग के रूप में काम करके कलाकार, लेखक, गृहिणियां–जिनकी अभिरुचि हो, सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि प्रशिक्षण प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यह एक सृजनशील विस्तार होगा।

(5) स्कूल संकुल : विशिष्ट नागरिकों के समूह की सहायता लेने की यह प्रणाली औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण अवसर जुटाने के लिए की जाएगी। इस प्रणाली का उपयोग निचले स्तर एवं साथ-साथ उच्च स्तर वाली संस्थाओं में नीचे से ऊपर तक इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि प्राथमिक शालाओं में व्यापाक तौर पर इसका उपयोग होगा।

**10.4** यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद सावधानी बरतनी होगी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारी वर्ग में सही व्यक्ति हों तथा वे वचनबद्धता और पूरी क्षमता के साथ काम करें। यह हासिल करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है:

(1) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों का चुनाव एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा

---

*भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), जिला संसाधन इकाई की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 1990

किया जाएगा, जिसे जल्दी तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी चुनाव विधि सोच निकालने के अधिकार प्राप्त होंगे। प्रधानाचार्यों को शुरू में 5 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) डी. आई. ई. टी. के बाकी शिक्षक वर्ग का चुनाव मुख्य रूप से प्रधानाचार्य पर छोड़ दिया जाएगा। यहां फिर एक अच्छे और वचनबद्ध दल को पहचानने के लिए खोज की जाएगी, तथा उसे भी अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, उप-केंद्रों, जिला संसाधन इकाई आदि को वेतन और भत्तों में आवश्यक उद्दीपन तथा पेशेवर तरक्की के लिए अवसर दिए जाएंगे।

**10.5** यह सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्य बल की ओर ध्यान देना होगा कि जिले में प्रशिक्षण व्यवस्था जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त है। कार्यक्रमों का प्रक्षिप्त स्तर पर विस्तार हो जाने के बाद इस बात की काफी संभावना है कि इस अध्याय में बताया गया बुनियादी ढांचा अपर्याप्त रह जाए पर शुरूआत साधारण स्तर पर ही की जाएगी तथा उसमें आवश्यक विस्तार की गुंजाइश होगी। प्रशिक्षण के मौजूदा सार और विधियों को संशोधित करना होगा तथा परस्पर प्रभावी, प्रयोगात्मक तथा सहभागितापूर्ण विधियां प्रयुक्त करनी होंगी। सामूहिक शिक्षण के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की भी काफी गुंजाइश है। राष्ट्रीय कर्णधार समूह तथा राज्य मिशन एजेंसी को सामूहिक शिक्षण पद्धति में इस्तेमाल की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने में पूंजी लगानी चाहिए।

## प्रशिक्षण के अध्याय का परिशिष्ट

### सेवा के दौरान प्राथमिक शिक्षको के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक निदर्शी रूपरेखा

(1) समूह का आकार

30 (जहां तक संभव हो, एक समजातीय समूह)

(2) अवधि

3 सप्ताह

(3) स्थल

एक डी. आई. ई. टी. उप-केंद्र

(4) पाठ्यक्रम शिक्षक वर्ग

(क) उप-केंद्र के कर्मचारी वर्ग में से दो व्यक्ति;

(ख) दो विज्ञ व्यक्ति;

(ग) एक 'व्यक्ति' जिसकी प्रशिक्षण में अभिरुचि हो तथा जिसके पास कला, नाट्यकला या अन्य ऐसे ही किसी कार्यकलाप के द्वारा प्रोत्साहित करने की क्षमता हो।

(5) पाठ्यक्रम के उद्देश्य

(क) शिक्षकों को बी. ई. पी. के लक्ष्यों, रणनीतियों तथा कार्यक्रमों की ओर उन्मुख करना तथा उस संदर्भ में उनकी भूमिका से उन्हें अवगत कराना;

(ख) बी. ई. पी. में सहभागिता के लिए बुनियादी निपुणताएं और क्षमताएं हासिल कराना;

(ग) भागीदारों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पहचानना तथा उनमें से कुछ जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया की शुरुआत करना। उदाहरण के लिए, भाषा और गणित में उनकी कमजोरियों को दूर करना।

(6) पाठ्यक्रम का सार

(क) सूक्ष्म-योजना तथा सामुदायिक अंतर्धारण;

(ख) अलाभ की स्थिति वाले समूहों (महिलाएं, एस. सी., एस. टी. आदि) की समस्या तथा इस संबंध में शिक्षकों की भूमिका;

(ग) शिशु-केंद्र, शिक्षण पर बल सहित शिक्षण की क्रियाकलाप-आधारित विधियां;

(घ) शिक्षण के निम्नतम स्तर तथा व्यापक या निरंतर मूल्यांकन की तकनीकें;

(ड.) उन उपायों के लिए सुझाव जो शिक्षकों द्वारा भाषा और गणित जैसे बुनियादी विषयों में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं।

(7) प्रशिक्षण कार्य-पद्धति

पाठ्यक्रम को समस्या सुलझाने की परस्पर प्रभावशील पद्धति में संपादित किया जाएगा। लेक्चर देने का समय पाठ्यक्रम के कुल समय के 20 प्र.श. से ज्यादा नहीं होगा। प्रमुख कार्य-पद्धति होगी प्रदर्शन, विचार-विमर्श, अनुकरण, अभिनय, शिक्षण सामग्री का एकत्रीकरण, व्यावहारिक कार्य, फिल्मों तथा श्रव्य कैसेटों का उपयोग, खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां।

(8) पाठ्यक्रम मूल्यांकन

शिक्षक वर्ग और सहभागी मिल कर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तथा आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें करेंगे। सहभागियों द्वारा निरंतर संपर्क तथा स्वयं अध्ययन करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की विधियों पर भी अनुपरीक्षण के तौर पर विचार-विमर्श किया जा सकेगा।

(9) लागत

| | |
|---|---|
| (क) भोजन और आवास, 25 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से 20 दिनों के लिए | 15,000 |
| (ख) सहभागियों की यात्रा 100 रुपए की दर से | 3,000 |
| (ग) प्रशिक्षण व्यय, सहभागियों के लिए शिक्षण सामग्री 200 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से | 6,000 |
| (घ) विज्ञ व्याक्ति | 3,000 |
| (ड.) फुटकर | 1,000 |
| कुल | 28,000 |

टिप्पणी : चुना हुआ जिला इस तरह के 10 कार्यक्रमों (चुने हुए सी. बी. ब्लॉकों में या बी. ई. पी. की शुरुआत के प्रथम वर्ष में) तथा बाद के वर्षों में 30 कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा।

# अध्याय 11 प्रबंध

**11.1** बी. ई. पी. में लागू करने वाले तंत्र को बदलाव के लिए किए जाने वाले प्रबंध के स्वरूप का होना चाहिए। प्रबंध के भली-भांति स्थापित हो चुके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, समूची प्रशासनिक व्यवस्था की कायापलट की जानी चाहिए तथा उसे नए सिरे से इस तरह का बनाना चाहिए कि वह शैक्षिक पुनर्निर्माण तथा सामाजिक बदलाव के उद्देश्यों को पूरा कर सके।

**11.2** प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता उसकी मिशन पद्धति होगी। परियोजना से जुड़े लोगों को यह समझना होगा कि बी. ई. पी. एक योजना नहीं है, यहां तक कि कार्यक्रम भी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मिशन है– सामाजिक विकास के संपूर्ण दृश्य में बुनियादी परिवर्तन लाने का। यह वचनबद्धता सभी के दिलों में व्याप्त होनी चाहिए। जो इसमें भागीदार न हों, अच्छा होगा इस मिशन को छोड़ जाएं। इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। मिशन पद्धति यह भी मान कर चलती है कि यहां काम जल्दी निबटाने की भावना होगी – निश्चित समय के भीतर बंधी हुई एक ऐसी योजना, जिसमें संस्थानों, संगठनों या व्यक्तियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंप दी गई हों तथा वे उन जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह हों। प्रबंध की यह विधि समीक्षा की एक ऐसी सख्त प्रणाली की मांग करती है जिसमें अक्सर लोग छोटे, संभालने लायक समूहों में मिलें, मील के पत्थरों के बारे में विचार-विमर्श करें, सफलताओं को याद करें तथा असफलताओं की छानबीन करें।

**11.3** बी. ई. पी. को लागू किए जाने के लिए मिशन पद्धति को अपनाए जाने का आशय यह है कि समूची प्रणाली को नौकरशाही से मुक्ति दिलाने के जरूरत है। नौकरशाहीकरण पहले से मान कर चलता है:

- सौपानिक ढांचे जिनमें अधिकार और जिम्मेदारियां सबसे ऊपर वाले के हवाले होती हैं तथा सभी कार्यकर्ता ऊपर वाले ढांचे के मुहताज रहते हैं।
- प्रेरणा और प्रोत्साहन भीतरी वचनबद्धता से उपजने की बजाए ऊपर से आते हैं। पारंपरिक नौकरशाही ढांचों में मातहतों को नाम भर की इज्जत दी जाती है।
- नौकरशाही ढांचे के बाहर वाले व्यक्तियों— स्वयंसेवी संगठन, शिक्षक, छात्र एवं उनके माता-पिता तथा कुल मिलाकर बिरादरी — को फायदा उठाने वाला माना जाता है, न कि वे लोग जिनके लिए यह व्यवस्था है।

नौकरशाही से मुक्ति पाने का एक आशय यह भी है कि सौपान तंत्रों को नीचे लाया जाए। सहजीवी आभास के साथ तंत्रों को बनाया जाए। सभी सहकर्मियों को काम एवं चुनौतियों को समझने, अवशोषण

करने तथा आत्मसात करने की अनुमति दी जाए। ऐसी स्थिति में, प्रबंध अनिवार्य रूप से एक शिक्षाप्रद प्रक्रिया बन जाता हैं। अविश्वास, बहुत सारे अभिलेखों का रखरखाव, 'सुरक्षित खेल खेलना' जैसे विशेषण कम्प्यूटर तथा माइक्रो प्रोसेसर जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, जोखिम उठाने तथा निर्णायकता को रास्ता देते हैं।

**11.4** जाहिर है कि इस तरह की व्यवस्था में कर्मचारी वर्ग का चुनाव और स्थापना रोजमर्रा के काम नहीं होते। इसलिए इस अभियान में शामिल होने की इच्छा के आधार पर विशेष चुनाव करना होगा। केवल वे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक विकास, विशेष रूप से महिलाएं तथा समाज के वंचित वर्गों के प्रति अपनी वचनबद्धता के सुबूत पेश किए हों, पात्र होने के योग्य माने जा सकते हैं। चुने हुए व्यक्तियों को अच्छी तरह योजनाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से अभिस्थापित किया जाएगा और उनसे कई सालों तक बी. ई. पी. में बने रहने की उम्मीद की जाएगी। महिलाओं को कर्मचारी वर्ग के चयन में सभी स्तरों पर विशेष प्राथमिकता देनी होगी।

**11.5** बी. ई. पी. को लागू किए जाने के लिए मिशन पद्धति को अपनाया जाना तथा नौकरशाही के खिलाफ एक साफ निर्णय लेना आवश्यक रूप से प्रबंध की ऐसी कार्यपद्धति का विस्तार करेगा, जिसमें सभी सहभागी हों। सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को साथ बैठना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, समझना और समैक्य की भावना को हासिल करना होगा। बी. ई. पी. के प्रबंध में महत्वपूर्ण श्रेणियों को सक्रिय भागीदारों के रूप में शामिल करना होगा। उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण शायद शिक्षक ही हैं। उनके संगठनों के माध्यम से, तथा साथ ही साथ उनमें से काबिल लोगों के चुनाव से, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना संभव होना चाहिए, जिसमें ऐसे निर्णय, जिनका प्रभाव पढ़ाने या पढ़ने की प्रक्रिया पर पड़ता है, मुख्य रूप से शिक्षकों द्वारा ही लिए जाएं। बी. ई. पी. के प्रबंध में शरीक शिक्षकों तथा व्यक्तियों को शिक्षार्थियों, अभिभावकों तथा समुदाय की चिंताओं और आशाओं को समझने के तरीकों का विस्तार करना होगा। ग्राम स्तर पर शायद यह काम ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से हो सकेगा। पर सबसे जरूरी यह है कि शिक्षकों को इन लोगों अर्थात शिक्षार्थियों, उनके अभिभावकों तथा समुदाय के प्रति कर्तव्य की भावना का विकास करना होगा।

**11.6** सहभागितापूर्ण प्रबंध ढांचे के विकास में स्वयंसेवी संगठन और सृजनशील व्यक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो राज्य एवं जिला प्रशासन कार्यक्रमों को लागू किए जाने में स्वयंसेवी संगठनों के शरीक होने के विषय में उत्सुक नहीं हैं। ऐसा होना सामान्य है क्योंकि ये संगठन सरकार की तरह नहीं सोचते, में सरकार के काम करने के तरीके पर प्रश्न उछालते हैं, वैकल्पिक स्वरूप तैयार करते है जो आम तौर पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की कार्यविधि से ज्यादा बेहतर होते है; तथा इन संगठनों के लोग सरकारी अधिकारियों से बराबरी के स्तर से बात करते हैं, कई बार आत्म-न्यायी वरिष्ठता तक के स्तर से। स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता हासिल करना बी. ई. पी. की रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा। स्वयंसेवी संगठन अनेक तरीकों से भूमिका अदा कर सकेंगे, जिसमें शामिल होगाः

— प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाना;
— शिक्षकों, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण;
— ग्राम शिक्षा समितियों के लिए सहायक सेवाओं का प्रावधान;
— जनजातीय बच्चों के लिए आश्रमशालाओं, कम लागत वाले छात्रावासों को चलाना; तथा
— प्रवर्तन तथा सम्परीक्षण

11.7 मौजूदा स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय करने तथा नए संगठनों की रचना में सहयोग देने के लिए अनेक शाखाओं वाले प्रयास की शुरूआत करनी होगी। इस दिशा में उठाए जाने वाले कुछ कदम होंगे:

(क) अच्छे स्वयंसेवी संगठनों का पहचानने के नजरिए के साथ सर्वेक्षण करना तथा बताना कि किस प्रकार के कार्यक्रम वे अपने जिम्मे ले सकते हैं और उनकी श्रेष्ठतम क्षमता क्या है;
(ख) परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को तेजी से मंजूरी देने के लिए क्रियाविधियों की रचना;
(ग) स्वयंसेवी संगठनों को निश्चित जिम्मेदारी सौंपना तथा स्वयंसेवी संगठनों तथा सरकार के कामों को एक दूसरे पर आने से रोकना;
(घ) निधियों के आसान वितरण तथा हिसाब-किताब के सरल प्रतिपादन के लिए प्रक्रिया तय करना।

नए स्वयंसेवी संगठनों तथा समूहों की रचना के लिए सक्रिय रूप से जुटे रहना होगा। संगठन के निर्माण के लिए जिला कार्य बल द्वारा रचनात्मक कार्यकर्ताओं और वचनबद्ध युवाओं को साथ लाना संभव होना चाहिए जिसे प्रारंभिक सहायता देने के साथ-साथ कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों का जिम्मा सौंपा जा सकता है। इन नए संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोई एक संसाधन संस्थान जिम्मेदारी ले सकता हैं।

11.8 समुदाय की भागीदारी : बी. ई. पी. की रणनीति का नाजुक पहलू है समुदाय की सक्रिय भागीदारी, प्राथमिक स्कूलों या एन. एफ. ई. केंद्रों में जाने वाले बच्चों के अभिभावक तथा बालिग, जिन्हें साक्षरता कार्यक्रम से लाभ होने की आशा है। पहले भी कई मौकों पर इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों में प्राथमिक स्कूल को सामग्री तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से एक ग्राम शिक्षा समिति, या किसी इसी तरह के ग्राम स्तरीय निकाय को वास्तविक अधिकार दिए बगैर जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। हम ग्राम स्तर पर बुनियादी शिक्षा के प्रभावी विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें बुनियादी शिक्षा के संस्थानों (प्राथमिक स्कूल, एन. एफ. ई. केंद्र, ए. ई. केंद्र तथा जन शिक्षण निलयमों) को ग्राम समिति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा ग्राम समिति ई. एफ. ए. की उपलब्धि तथा उसके लिए जैसी आवश्यकता होगी, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कराने की जिम्मेदारी उठाएगी।

**11.9** ग्राम-स्तरीय समिति निम्नलिखित में से किसी भी प्रतिमान पर बनाई जा सकती है:

(क) महिलाओं, एस. सी./एस. टी. के लोगों, प्राथमिक स्कूल के प्रधान, यदि कोई हो तो प्रेरक, तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं एन. एफ. ई. के अनुदेशकों के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ पंचायत की एक समिति।

(ख) इसी तरह की सदस्यता के साथ एक ग्राम शिक्षा समिति, पर पंचायत के द्वारा नियंत्रित नहीं।

(ग) महिला संघ या महिला समूह जिसमें एक तिहाई से ज्यादा पुरुष की सदस्यता न हो।*

**11.10** कुछ स्थानों पर हुए अनुभव के अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह की ग्राम-स्तरीय निकाय की रचना कठिनाइयों से भरी होती है। गांव में सत्ता का वर्तमान ढांचा—पंचायत, सहकारी समिति तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्ति—एक ऐसे निकाय को स्वीकृति नहीं देंगे जिसमें दरिद्रों का बाहुल्य हो तथा जिसके पास बुनियादी शिक्षा सेवाओं का संचारेक्षण करने के अधिकार हों। प्रायः ए. सी./एन. एफ. ई. के शिक्षक और प्रशिक्षक ग्राम सत्ता के ढांचे का हिस्सा होते हैं तथा वे भी इस तरह के निकाय की रचना का स्वागत नहीं करेंगे। वे गांव के कुछ गिने-चुने प्रभावशाली लोगों प्रशासनिक कर्मचारियों की पुरोहिताई के प्रति आस्था प्रकट करते हुए अपने तरीके से रहना चाहते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी भी इस तरह के विकास को अपनी स्थिति के लिए खतरा समझेंगे। यहां तक कि गांव की बिरादरी भी नकचढ़ेपन और इस तरह की ढांचे की सम्भाव्यता में विश्वास की कमी दर्शाने के रवैये की शुरूआत कर देगी।

**11.11** उपरोक्त प्रकार के ग्राम-स्तरीय ढांचों की रचना का महत्व तथा आगे आ सकने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों का किया जाना जरुरी होगा कि यह हस्तक्षेप सफल हो। इस संबंध में निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देने की जरुरत होगी:

11.11.1 <u>माहौल को बनाना तथा समझाना</u> : इसमें योजना तथा उसके महत्व को समझाने के लिए सरल प्रकाशन, वीडियो फिल्में, पोस्टर आदि को जारी करना तथा साथ ही कार्यशालाएं तथा बैठकें आयोजित करना शामिल होगा।

11.11.2 <u>प्रबंध-प्रणाली का पुनर्गठन</u> : इस प्रक्रिया को ग्राम-स्तरीय ढांचों के साथ-साथ चलना होगा, जिससे जिला एवं ब्लॉक-स्तरीय कर्मचारियों सहित पर्यवेक्षक इस नए दखल को पूरी तरह समझ सकें तथा उसमें साझीदार बनें।

---

* इस दस्तावेज के उद्देश्यों के लिए ग्राम शिक्षा समिति (वी. ई. सी.) इन तीन प्रकार के ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठनों में से किसी एक को शामिल करेगी।

11.11.3 सदस्यों और प्रोत्साहकों का अनुस्थापन : ग्राम स्तरीय निकाय के सदस्यों के पास बुनियादी शिक्षा सेवाएं चलाने में शामिल मुद्दों को समझने की क्षमता होगी। समिति के सदस्यों के प्रयोगात्मक तथा सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण का खासतौर से उल्लेख किया जाना जरूरी है। यह खासतौर से महिला सदस्यों के बारे में कहा जाना चाहिए, जो बैठकों में उपस्थित होने के बावजूद प्रायः गैर-भागीदार बनी रहती हैं।

11.11.4 मिशन भावना का सृजन : वी. ई. सी. के सदस्यों को मिशन भावना से सराबोर होना होगा, जिससे वे अपने आपको सिर्फ सरकार द्वारा बनाई गई समिति के सदस्यों की तरह नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक तथा शैक्षिक बदलाव लाने के अगुआ की तरह भी देखें। विभिन्न ग्राम शिक्षा समितियों के बीच बैठकें, समिति के सदस्यों के जारी शिक्षा के कार्यक्रम तथा उनके बीच आपसी समैक्य इस दिशा में मददगार साबित होगा। समिति की बैठकों में नियमितता तथा विकास के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए समाचार-पत्रक का प्रकाशन भी जरुरी हो सकता हैं।

11.11.5 अतिरिक्त सहायक ढांचे : ग्राम शिक्षा समितियों को सहायता देने के लिए सिर्फ प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहने की सलाह नहीं दी जाएगी। इस नई प्रणाली को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सहायक ढांचों की जरुरत होगी। ये ढांचे स्वयंसेवी संगठन, अपना समय देने को तैयार कुछ व्यक्ति, या स्कूल समूह के रूप में हो सकते हैं। ये लोग वी. ई. सी. की बैठकों में भाग लेंगे तथा सत्ता के स्थानीय ढांचों के प्रशासन, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि में कठिनाई आने पर उपलब्ध हो जाएंगे।

11.11.6 वी. ई. सी. का तभी कुछ अर्थ होगा, जब उसके पास जिम्मेदारियों के साथ-साथ कुछ अधिकार भी हों। इस तरह की समिति की सबसे बड़ी आशा यह होगी कि उसकी बात सुनी जाए— शिक्षकों की पदस्थापना तथा स्थानांतरण में, निधियों और उपकरण के प्रावधान में तथा गांवों के मामलों से जुड़े अन्य मसलों में। यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम शिक्षा समितियां रोजमर्रा की शैक्षिक गतिविधयों में हस्तक्षेप या शिक्षकों के उत्पीड़न का औजार न बन जाएं।

**11.12** सूक्ष्म-स्तरीय योजना : शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) में यह कहा गया है कि "सबसे अधिक प्राथमिकता, स्कूल छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों की समस्या को दी जाएगी तथा बच्चों के स्कूल में बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म योजना पर आधारित सावधानी से व्यवस्थापित की गई रणनीतियों के विन्यास को अपना कर देश भर में बिल्कुल शुरुआत के स्तर पर लागू किया जाएगा। यह प्रयास पूरी तरह अनौपचारिक शिक्षा के तंत्र के साथ समन्वित होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक करीब 11 साल की आयु के हो चुके बच्चों को पांच साल तक स्कूली शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इसके बराबर की शिक्षा हासिल हो। इसी तरह 1995 तक सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।" (एन. पी. ई. का पैरा 5.12)

**11.13** इस नीति के 'कार्रवाई योजना' (पी. ओ. ए.) में 'प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता अभियान' के अपने अध्याय में, आगे यह व्याख्या की गई है कि स्कूल में नाम लिखवाना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यदि बच्चे सिर्फ एक साल के आगे भी शिक्षा जारी नहीं रखते। इनमें से बहुत से तो कुछ ही दिन स्कूल की ओर रुख करते हैं। इसलिए अब बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए जोर देने की बजाए इस ओर जोर दिया जाएगा कि सभी बच्चे कम से कम पांच साल की शिक्षा अवश्य पूरी करें। स्कूल में भरती कराने की मुहिम की जगह पर घर-घर जाकर व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाएंगे जिसमें गांव की बिरादरी के सहयोग से शिक्षक अभिभावकों के साथ शिक्षा की प्रासंगिकता और हाजिरी में नियमितता पर विचार-विमर्श करेगा। ऐसे बच्चे जिनके लिए पूरे दिन के स्कूल में जाना किसी भी तरह संभव नहीं है, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में भरती किया जाएगा, पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार का प्रत्येक बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह भी जरुरी है कि सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जाएं।

**11.14** पी. ओ. ए. के इस अध्याय में यह भी उल्लेख किया गया है कि 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जा रहा है, यह परिवार-वत् तथा बाल-वत् कार्रवाई का ढांचा उसकी शिक्षा को उसके अनुकूल गति में जारी रखता है तथा उसकी स्कूली शिक्षा के कम से कम पांच साल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में उसके बराबर की शिक्षा को पूरा करवाता है। पैरा 5.12 एन. पी. ई. में सूक्ष्म योजना का यही आशय है।

**11.15** गांव में सूक्ष्म योजना के संचालन की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से वी. ई. सी. की होगी। इसकी शुरुआत शायद ग्राम सभा बुलाने तथा सभी के लिए शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने से की जाएगी। यदि औरतें ग्राम सभा की बैठक में सक्रिय रूप से शामिल होने में असमर्थ होंगी तो एक अलग महिलाओं की सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा ई. एफ. ए. के समर्थन में एक संकल्प लिए जाने की भी आशा की जा सकती है। यह भी जरुरी होगा कि दीवारों पर लेखन, प्रभात फेरियों, सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से माहौल बनाया जाए।

**11.16** सूक्ष्म-योजना के पहले क्रियाकलाप में यह सुनिश्चित करने के लिए 'स्कूल मान-चित्रण' तैयार किया जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता सुविधाएं सभी को हासिल हो गई हैं। 'स्कूल मान-चित्रण' के आधार पर सभी परिवारों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा जिसमें यह संकेत होगा कि प्रत्येक परिवार में कौन-से बालिगों को कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए तथा कौन-से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हासिल करनी चाहिए। उन विषयों पर परिवार के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा जो आमतौर पर उठ खड़े होते है जब शिक्षा से संबंधित विचार सामने आते है, जैसे—

— क्या शिक्षा फायदेमंद है ?
— क्या स्कूलों में पढ़ाई महंगी है ?
— यदि बच्चे काम कर रहे हों तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है ?

— स्कूल जाने लायक उम्र वाले बच्चों के अभिभावकों की क्या जिम्मेदारियां हैं ?
— क्या एन. एफ. ई. बच्चों के लिए उपयुक्त है ?

वी. ई. सी. इसके लिए कोशिश करेगा कि सभी युवा बालिग तथा स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे सम्बद्ध कार्यक्रमों में भाग लें। इसके बाद कम से कम अवधारणा तथा हाजिरी में नियमितता के संदर्भों में भागीदारी का संचारेक्षण होना चाहिए। यदि वी. ई. सी. इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि कुछ परिवार शिक्षा-कार्यक्रमों से यथोचित फायदा नहीं उठा पा रहे है, तो वे समस्याओं को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करेगी। उन परिवारों में इस प्रकार की कठिनाइयां नजर आएंगी जो गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं, या अनुसूचित जाति के सबसे निम्न स्तर के परिवारों के सामने आने वाली मुश्किलें, या अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चे, जिन्हें इस बात का नुकसान है कि उनकी मातृभाषा गांव की बाकी बिरादरी से अलग है।

**11.17** <u>जिला कार्य बल (डी. टी. एफ.)</u> : जिला स्तर पर प्रशासनिक तथा/या शैक्षिक निकायों की बहुतायत हो जाएगी। इनमें निम्नलिखित शामिल होगा—

(1) बुनियादी शिक्षा प्रशासनिक उपकरण। इसमें प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं जारी शिक्षा (सार्वजनिक पुस्तकालयों सहित) के लिए जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे।

(2) महिला समाख्य जिला परिपालन इकाई (डी. आई. यू.)। महिला समाख्य की योजना में, एक जिला परिपालन इकाई का प्रावधान है जो शिक्षा साथिनों एवं सहयोगिनियों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की निगरानी करने की जिम्मेदारी लेगा। सामान्य तौर पर डी. आई. यू. लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी व्यग्र रहता है।

(3) डी. आई. ई. टी. तथा डी. आर. यू.। इन नाजुक प्रशिक्षण एवं तकनीकी संसाधन संगठनों को नियमित सरकारी कार्यक्रमों के संदर्भ में तथा साथ ही महिला समाख्य में और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भूमिका अदा करनी हैं।

(4) स्वयंसेवी संगठन हालांकि आवश्यक रूप से जिला प्रशासनिक उपकरण का हिस्सा नहीं होते, पर उन्हें बी. ई. पी. के प्रबंध में साझीदार के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए :

**11.18** जिला कार्य-बलों का मुख्य काम इन विविध संगठनों के बीच तालमेल रखना तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सभी संगठनों द्वारा आपसी सहायक गतिविधियों का आयोजन हो सकता है। डी. टी. एफ. में एक मजबूत प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाई भी होगी, जो सभी परिपालन संगठनों को निधियों के समय से वितरण के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा इसमें मूल्यांकन तथा संचारेक्षण के लिए जिम्मेदार एक इकाई होगी, जो कार्यक्रम में सुधार लाने तथा डी. टी. एफ. को आवधिक समीक्षाएं करने के योग्य बनाने के लिए काम करेगी। सभी निदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, एन. एफ. ई. आदि के ) अधिकार डी. टी. एफ. को सौंप दिए जाएंगे।

**11.19** डी.टी.एफ. शिक्षकों की शैक्षिक परिषद (ए. सी. टी.) की स्थापना करेगा। यह करीबन 15-20 व्यक्तियों का एक निकाय होगा, जिनमें से तीन-चौथाई शिक्षक होंगे, जिसका चुनाव शिक्षकों के रूप में उनके बेहतरीन काम, शैक्षिक जागरुकता तथा प्रवर्तित रूझान के लिए किया गया होगा। ए. सी. टी.

- प्रशिक्षण की जरूरतों और विधियों के लिए जिम्मेदार संस्थाओं और व्यक्तियों को सलाह देगी;
- हिंदी तथा गणित में उपलब्धि के मौजूदा स्तरों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेगी;
- जिले के लिए अपनाए जाने वाले शिक्षण के निम्नतम स्तरों के बारे में निर्णय लेगी;
- एम. एल. एल. के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा पाठ-संबंधी सामग्री का चुनाव करने में डी. टी. एफ. की सहायता करेगी;
- एक संतोषजनक मूल्यांकन प्रणाली की रचना में मदद देगी; तथा
- एन. एफ. ई. कार्यक्रमों के अनुसार समरूप निर्णय लेगी।

**11.20** राज्य मिशन कार्य बल : राज्य मिशन कार्य बल (एम. टी. एफ.) सही मायनों में वह निकाय होगा बी. ई. पी. को लागू किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसकी परिकल्पना एक पंजीकृत सोसाइटी की तरह रचित स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है। सोसाइटी में दो निकाय होंगे : बी. ई. पी. के परिचालन की आवधिक समीक्षा तथा मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करने के लिए अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री सहित एक परिषद तथा राज्य शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक मिशन कार्य बल। परिषद तथा एम. टी. एफ. में केंद्र सरकार, निधीयन संगठनों के नामजद व्यक्ति, राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों से लिए गए लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। एम. टी. एफ. यह सुनिश्चित करेगा कि जब कि बुनियादी शिक्षा से जुड़े सभी निदेशालय अपने को पूरी तरह बी. ई. पी. को लागू किए जाने के कार्य में जुटा चुके हैं, डी. टी. एफ. दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल बिना प्रतिबाधा के कर सके।

**11.21** तालमेल करने में कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, बुनियादी शिक्षा के साथ जुड़े विभिन्न निदेशालयों के अधिकारियों को डी. आई. यू., डी. आई. ई. टी. या स्वयंसेवी संगठनों के साथ अपने कार्यक्रमों का तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच तथा डी. टी. एफ. और अन्य सम्बद्ध संगठनों जैसे डी. आर. डी. ए., जिला स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि के बीच तालमेल बिठाने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। समन्वय की संस्कृति को शुरू से ही बनाना होगा। जिलाधीश की भागीदारी से इसे सहायता मिलेगी तथा एम. टी. एफ. तथा राष्ट्रीय संचारेक्षण समूहों द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

**11.22** राष्ट्रीय संचारेक्षण समूह : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचारेक्षण समूह (एन. एम. जी.) की स्थापना करेगा। एम. टी. एफ. के

सभापति तथा प्रत्येक डी. टी. एफ. के प्रमुख एन. एम. जी. के सदस्य होंगे। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर मंत्रालयों या विभाग या संगठनों के प्रतिनिधि तथा उससे सम्बद्ध व्यक्ति भी होंगे। एन. एम. जी. की कार्यविधि में शामिल होगा

— निधीयन संगठन के साथ संपर्क बनाए रखना तथा बाहरी संगठनों से पर्याप्त संसाधन हासिल किए जाने की कोशिशों को जारी रखना;
— उन प्रशिक्षण समूहों तथा अन्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करना जो बी. ई. पी. की योजना बनाने और उसे लागू करने में योगदान दे सकते हैं (इसमें राज्य से बाहर के प्रमुख स्वयंसेवी संगठन शामिल होंगे, जैसे एस. डब्ल्यू. आर. सी., तिलोनिया; एकलव्य, भोपाल; बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, आदि);
— बी. ई. पी. की आवधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन;
— एम. टी. एफ. तथा साथ ही साथ डी. टी. एफ. के स्तर पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

11.23 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में एक छोटी राष्ट्रीय संचारेक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी। इसमें एक परियोजना निदेशक तथा दफ्तर के कार्य में सहायता करने के लिए कर्मचारी वर्ग होगा। जैसे-जैसे बी. ई. पी. की गतिविधियां तेज होंगी, हो सकता है राष्ट्रीय संचारेक्षण इकाई के विस्तार की भी आवश्यकता हो।

# अध्याय 12 परियोजना व्याप्ति तथा परिणाम

**12.1** बिहार शिक्षा परियोजना एक परियोजना तथा कार्यक्रम से अधिक कुछ और भी है : यह एक आंदोलन की शुरूआत है—रूढ़िवादिता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाला, नई आशाओं का संचार करने वाला तथा शिक्षा के क्षेत्र में जुटे लोगों को चुनौती देने वाला आंदोलन, एक आंदोलन सामान्य आदमी और औरत को अवसर दिए जाने का।

**12.2** उपनिषद् की एक पुरानी कहावत हैं : न कोई शुरूआत होती है, न कोई अंत। इतिहास के उषाकाल के साथ शुरूआत होती है। गौतम के उपदेश, अशोक की राजघोषणाएं, नालन्दा का पुस्तकालय, सूफी संतों की कविता, बिहार के सांस्कृतिक इतिहास की कहानी में सुनहरे पर्व थे। ब्रिटिश भारतीय शिक्षा द्वारा क्रमभंग किए जाने के बावजूद शिक्षण की प्रक्रिया जीवित रही। परंतु पिछली कुछेक शताब्दियों ने शिक्षण के "खूबसूरत वृक्ष" को जड़ से ही उखाड़ फेंका है, तथा उसके स्थान पर उसके समरूप कोई भी पौधा रोपे बगैर उसकी जड़ें खुले में बिखेर दी है। पिछले कुछ दशकों ने मापदंडों के ह्रास तथा शैक्षिक मूल्यों के अवमान के साथ-साथ शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार देखा है।

**12.3** बी. ई. पी. शिक्षा के लंबे इतिहास और बिहार के लोगों के शिक्षण में एक नया पर्व है। पर एक आंदोलन, जल्दी ही कुछ नया होने की जागरूकता, शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने बैठकों में भाग लिया है, काफी समय से नई शुरूआतों को दम तोड़ता देखते रहे हैं, वे बी. ई. पी. को बदलाव और पुनर्निर्माण की एक सतही पहल के रूप में देखते हैं।

**12.4** इसे किसी भौतिक दायरे में सीमित रखना मुश्किल है। सभी संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों, जिनके पास बी. ई. पी. के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सहयोग देने की अंतः प्रेरणा और क्षमता है, उन्हें हाथ जुटाने के योग्य बनाना चाहिए। इसी दौरान हमें निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी अत्यंत सचेत रहना चाहिए। धीमी गति तथा प्रारम्भिक असफलताएं परियोजना के लिए घोर विपत्ति का कारण बन सकती है। इसलिए परियोजना कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी :

(क) परियोजना को संपूर्ण राज्य में विस्तार देना है, हालांकि इसे बाहरी निधीयन के लिए प्रस्तुत करने के उद्देश्य ने हो सकता है हम धीरे-धीरे इसकी शुरूआत करें तथा परियोजना क्षेत्र को करीबन आधे राज्य तक सीमित रखा जाए।

(ख) इसकी शुरूआत होगी तीन जिलों में — एक उत्तरी बिहार में, एक मध्य बिहार में तथा अन्य छोटानागपुर संथाल परगना क्षेत्र में — वस्तुतः सभी कार्यक्रमों के साथ।

(ग) दूसरे साल इसे सात जिलों में फैलाने की कोशिश की जाएगी, फिर दस में तथा चौथे साल बीस जिलों, यानी राज्य के लगभग आधे में।

(घ) ठीक शुरूआत से राज्य के सभी हिस्सों में परियोजनाओं तथा गतिविधियों का कार्यभार संभालने के लिए स्वयंसेवी संगठनों तथा सृजनशील व्यक्तियों को योग्य बनाया जाएगा।

**12.5** जैसे ही कुछ स्कूल बेहतर तरीके से चलने लगेंगे, बी. ई. पी. का परिणाम गांवों तथा शहरी मोहल्लों में दिखाई देने लगेगा। साथ ही वह नजर आएगा अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की प्रतिक्रियाओं में। बी. ई. पी. का एक अधिक व्यवस्थित मूल्यांकन अध्याय 2 में लिखे गए लक्ष्यों के संदर्भ सहित किया जा सकता है, जिन्हें आगे के अध्यायों में विस्तार से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक शिक्षा की प्रगति को अभिगमन, भागीदारी तथा साथ-साथ उपलब्धि के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाएगा तथा इसी तरह प्रौढ़ साक्षरता की प्रगति को। विशेषज्ञ संस्थाओं से प्रगति की वैज्ञानिक पैमाइश करने के लिए कहा जाएगा; राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर प्रबंध के ढांचे संचारेक्षण प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन करेंगे जो समूची प्रबंध प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा होगा, तथा वी. ई. सी. के शिक्षक एवं सदस्य इस आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे और बालिग क्या सीखते हैं और अपने को किस प्रकार संचालित करते हैं।

**12.6** उपलब्ध आंकड़ों, मूल्यांकन रपट तथा अनुसंधान अध्ययन के आधार पर वार्षिक समीक्षा की जाएगी। सभी सम्बद्ध दलों, बिहार सरकार, भारत सरकार, शिक्षक संगठन, मूल्यांकन संगठन, तथा यूनिसेफ इसके साथ जुड़े होंगे। 1992 में एक व्यौरेवार मध्य-अवधि मूल्यांकन किया जाएगा, तब तक प्रगति का मूल्यांकन करने तथा परियोजना की रूप रेखा में संशोधन करने के लिए परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार के आंकड़े काफी मात्रा में उपलब्ध होंगे।

# अध्याय 13 लागत के अनुमान

13.1 परियोजना दस्तावेज में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर लागत के विस्तृत अनुमान तैयार किए गए हैं। कुल मिला कर सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिमान तथा शैली अपनाए गए हैं। जबकि अधिकतर कार्यक्रमों में शैली केंद्रीय तथा/या राज्य सरकार की योजनाओं के समरूप होती है, व्यय के कुछ ऐसे मद शामिल कर लिए गए हैं जो वर्तमान में शिक्षा विभाग के किसी कार्यकलाप से ताल्लुक नहीं रखते। इस संबंध में बालपन की देखभाल एवं शिक्षा, सार्वजनिक पुस्तकालय, संस्कृति और मीडिया का खासतौर से उल्लेख किया जा सकता हे। वैसे इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है क्योंकि ये परियोजना का पूरक हिस्सा नजर आते हैं।

13.2 जैसा कि इस अध्याय का परिशिष्ट दर्शाता है, कुल लागत का अनुमान 1,57,840 लाख रूपये है। इस रकम को इस प्रकार बांटने का प्रस्ताव हैः

| | रुपये लाखों में |
|---|---|
| (1) भारत सरकार | 61280 |
| (2) बिहार सरकार | 26010 |
| (3) अन्य संगठन | 750 |
| (4) बी. ई. पी. | 69800 |

13.3 जहां तक प्रशासनिक एंव समर्थित लागत का सवाल है, परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत के आधार पर एक संख्या की गणना की गई है। इस रकम, यानी 3850 लाख रूपए, में तीन प्रमुख निधीयन संगठनों का भी हिस्सा है।

13.4 बी. ई. पी. के हिस्से के रूप में दिखाई गई निधि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के माध्यम से निधीयन संगठन से सीधे राज्य-स्तरीय स्वायत्त संगठन की ओर प्रवाहित होगी, जिसका उल्लेख पैरा 11.2 में है।

## लागत अनुमानो के अध्याय का परिशिष्ट

### लागत के अनुमान

(राशि लाख रूपए में)

| क्षेत्र | अनुमानित परिव्यय 1990-95 | (2) मे से, इनका हिस्सा | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जी. ओ. आई. | जी. ओ. बी. | अन्य संगठन | बी. ई. पी. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. प्राथमिक शिक्षा | 64940 | 15110 | 12000 | — | 37830 |
| 2. एन. एफ. ई. | 41850 | 26190 | 6210 | — | 9450 |
| 3. ए. ई. | 25000 | 10500 | 6250 | 750 | 7500 |
| 4. ई. सी. सी. ई. | 6220 | — | — | — | 6220 |
| 5. महिलाएं | 5330 | 4220 | — | — | 1110 |
| 6. संस्कृति, संचार और जारी शिक्षा | 4390 | 1400 | 420 | — | 2570 |
| 7. प्रशिक्षण | 6260 | 2370 | 500 | — | 3390 |
| कुल (1-7) | 153990 | 59790 | 25380 | 750 | 68070 |
| 8. प्रबंध (1-7) का 2.5 प्र.श. की दर से | 3850 | 1490 | 630 | — | 1730 |
| कुल योग (1-8) | 157840 | 61280 | 26010 | 750 | 69800 |

ऊपर दिए गए 1-7 क्षेत्रों के लिए लागत अनुमान का कार्यक्रम के अनुसार विवरण आगे है।

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

(जब तक बताया न गया हो, तब तक सभी राशियां लाख रूपए में)

| क्षेत्र | कार्यक्रम | इकाई की प्रकृति | लागत प्रति इकाई | | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय 1990-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गैर-आवर्ती | आवर्ती (प्रति वर्ष) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. प्राथमिक शिक्षा | 1. अभिगमन उपलब्ध करवाना तथा अनिवार्य उपकरणों का प्रावधान | ब्लॉक | 17 | 12 | 1. शिक्षाकर्मी उपादान के अंतर्गत 300 ब्लॉक<br>2. बाकी पैकेज के अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य | 28400 |
| | 2. एस. सी. लड़कियों को उद्दीपन | बालिका | -- | 180 रूपए | 7.2 लाख लड़कियां (संपूर्ण राज्य) | 3900 |
| | 3. आश्रम शालाएं, 20 प्रति जिले की दर से | जिला | 54 | 200 | 20 जिले | 8380 |
| | 4. कम लागत वाले छात्रावास 10 प्रति जिले की दर से | जिला | 70 | 30 | 20 जिले | 4030 |
| | 5. पूर्व प्राथमिक युक्त निम्न प्राइमरी इकाइयां 300 इकाई प्रति जिले की दर से | जिला | 3 | 33 | संपूर्ण राज्य | 2040 |
| | 6. उच्च प्राथमिक स्कूल, 230 प्रति जिले की दर से | जिला | 460 | 150 | 20 जिले | 16200 |
| | 7. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम | ब्लॉक | -- | 0.2 | 20 जिले | 190 |
| | 8. महिला शिक्षकों के समूह में बने मकान, दर 5 मकान प्रति समूह की दर से | समूह | 3 | -- | 600 समूह | 1800 |
| | | कुल | | | | 64940 |

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

| क्षेत्र | कार्यक्रम | लागत प्रति इकाई | | प्रस्तावित व्याप्ति तथा अनुमानित व्यय, 1990-95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर-आवर्ती | आवर्ती (प्रति वर्ष) | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय, 1990-95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2. अनौपचारिक शिक्षा | 1. राज्य निदेशालय | 1.0 | 9.0 | | 46 |
| | 2. एन. एफ. ई. अनुसंधान एवं विकास बोर्ड | 1.0 | 12.5 | | 64 |
| | 3. जिला स्तरीय प्रबंध | 1.0 | 1.5 | 39 जिले | 325 |
| | 4. परियोजनाएं | 1.3 | 10.7 | 1000 परियोजनाएं | 41410.0 |
| | | कुल | | | 41845.0 |

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

| क्षेत्र | कार्यक्रम | लागत प्रति इकाई | प्रस्तावित व्याप्ति तथा अनुमानित व्यय, 1990-95 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय, 1990-95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. प्रौढ़ शिक्षा | 1. मैदानी कार्यक्रम (आर. एफ. एल. पी., एस. ए. ई. पी. आदि) | 200 प्रति प्रौढ़ शिक्षणार्थी | 1 करोड़ प्रौढ़ | 20000.0 |
| | 2. मीडिया तथा माहौल बनाना | 10 करोड़ रूपए प्रति वर्ष | | 5000.0 |
| | कुल | | | 25000.0 |

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

| क्षेत्र | कार्यक्रम | इकाई की प्रकृति | लागत प्रति इकाई | | प्रस्तावित व्याप्ति तथा अनुमानित व्यय, 1990-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गैर आवर्ती | आवर्ती (प्रति वर्ष) | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय, 1990-95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4. ई. सी. सी. ई. | अतिरिक्त ई. सी. सी. ई. केंद्र, 750 प्रति जिले की दर से | जिला | 7 | 99 | 20 जिले | 6220 |

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

| क्षेत्र | कार्यक्रम | इकाई की प्रकृति | लागत प्रति इकाई | | प्रस्तावित व्याप्ति तथा अनुमानित व्यय, 1990-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गैर आवर्ती | आवर्ती (प्रति वर्ष) | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय, 1990-95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 5. महिलाएं | 1. महिला समाख्य | 1. समूह (100 महिला समूह तथा 10 सहयोगिनियों वाला) | 18.3 | 12.4 | 56 समूह | 3460 |
| | | 2. जिला परिपालन इकाई (डी. आई. यू.) | 2.5 | 8.7 | 20 डी. आई. यू. | |
| | 2. महिला शिक्षण केंद्र | | 6.0 | 5.0 | 100 एम. एस. के. | 1850 |
| | कुल | | | | | 5330 |

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

| क्षेत्र | कार्यक्रम | लागत प्रति इकाई | | प्रस्तावित व्याप्ति तथा अनुमानित व्यय, 1990-95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर-आवर्ती | आवर्ती (प्रति वर्ष) | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय, 1990-95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 6. संस्कृति, संचार एवं जारी शिक्षा | 1. जन शिक्षण निलयम | 0.1 | 0.1 | 6000 | 2100 |
| | 2. संकुल पुस्तकालय | 0.75 | 0.25 | 600 | 850 |
| | 3. जिला स्तरीय पुस्तकालय | 1.0 | 2.0 | 39 | 340 |
| | 4. राज्य स्तरीय पुस्तकालय | -- | 2.0 | 10 | 100 |
| | 5. सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मीडिया | | | | 1000 |
| | कुल | | | | 4390 |

## कार्यक्रम के अनुसार लागत के अनुमान

| क्षेत्र | कार्यक्रम | इकाई की प्रकृति | लागत प्रति इकाई | | प्रस्तावित व्याप्ति तथा अनुमानित व्यय, 1990-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गैर-आवर्ती | आवर्ती (प्रति वर्ष) | 1994-95 तक भौतिक रूप से व्याप्ति | अनुमानित व्यय 1990-95 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 7. प्रशिक्षण | 1. डी. आई. ई. टी. | – | 100.0 | 35.0 | 20 | 3560.0 |
| | 2. डी. आई. ई. टी. उप-केंद्र | – | 40.0 | 10.0 | 40 | 2240.0 |
| | 3. डी. आर. यू. | – | 1.5 | 5.0 | 15 | 220.0 |
| | 4. गैर-शैक्षिक संसाधन समूहों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम | 30 भागीदारों के लिए 3 सप्ताह का 'औसत' कार्यक्रम | -- | 3.0 | 800 | 240.0 |
| | कुल | | | | | 6260.0 |

## परिशिष्ट - 1

### बिहार-सामान्य जानकारी

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | **क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)** | 174000 | |
| (2) | प्रशासनिक ढांचा | | |
| | (क) जिले | 39 | |
| | (ख) विकास ब्लॉक | 587 | |
| | (ग) गांव (1981 जनगणना) | 65566 | |
| (3) | जनांकिकी (1981 जनगणना) | | **अखिल भारतीय** |
| | (क) जनसंख्या | 7 करोड़ | 68.50 करोड़ |
| | (ख) 1971-81 जनसंख्या वृद्धि दर | 24.20* | 25.00 |
| | (ग) जनसंख्या की सघनता (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) | 402 | 216.00 |
| (4) | साक्षरता दर (प्रतिशतता) | | |
| | पुरुष | 38.11 | 46.9 |
| | स्त्री | 13.62 | 24.8 |
| | कुल | 26.20 | 36.2 |
| (5) | अनुसूचित जाति जनसंख्या (प्रतिशतता) | 14.57 | 15.75 |
| (6) | अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (प्रतिशतता) | 8.31 | 8.00 |

* निम्न वृद्धि दर आंशिक रूप से उच्च मृत्यु दर तथा बाह्य बिहार प्रवासन के कारण है।

## परिशिष्ट - 2

## बिहार के शैक्षिक आकड़े

| (1) संस्थाओ की संख्या (1987) | | अखिल भारतीय |
|---|---|---|
| (क) प्राथमिक | 51,391 | 543,677 |
| (ख) मिडल | 12,164 | 141,014 |
| (ग) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक | 3,743 | 71,305 |
| (घ) सामान्य शिक्षा के लिए कॉलेज | 405 | 4,329 |
| (ड) विश्वविद्यालय आदि | 15 | 225 |

(2) शिक्षको की संख्या (1987-88)

| | पु. | स्त्री | कुल | पु. | स्त्री | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) प्राथमिक | 93393 | 18567 | 111960 | 1191146 | 425539 | 1616685 |
| (ख) मिडल | 75035 | 16135 | 91170 | 687051 | 327111 | 1014162 |
| (ग) माध्यमिक/ उच्चतर-माध्यमिक | 39431 | 5883 | 45314 | 854458 | 388365 | 1242823 |

| (3) निवेश | बिहार | अखिल भारतीय |
|---|---|---|
| (क) 300 या अधिक की जनसंख्या वाले निवेशों की प्रतिशतता जहां प्राथमिक स्कूलों की सुविधा है | | |
| (1) निवेशों के अंदर | 73.70 | 76.98 |
| (2) 1 कि.मी. के अन्दर | 95.05 | 94.01 |
| (ख) 500 या अधिक की जनसंख्या वाले निवेशों की प्रतिशतता जहां मिडल स्कूलों की सुविधा है | | |
| (1) निवेशों के अंदर | 19.98 | 29.93 |
| (2) 3 कि.मी. के अंदर | 88.70 | 84.85 |

(4) नामांकन (1987-88) (00,000 मे)

| | | बिहार | | अखिल भारतीय |
|---|---|---|---|---|
| | | सम्पूर्ण मूल्यांकन | सकल मूल्यांकन अनुपात | सकल मूल्यांकन अनुपात |
| (क) प्राथमिक | पुरुष | 54.68 | 107.18 | 113.13 |
| | स्त्री | 26.77 | 53.79 | 81.75 |
| | कुल | 81.45 | 80.81 | 97.86 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ख) मिडल | पुरुष | 14.74 | 49.73 | 68.87 |
| | स्त्री | 4.94 | 17.08 | 40.62 |
| | कुल | 19.68 | 33.60 | 55.14 |
| (ग) मध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक | पुरूष | 9.05 | | |
| | स्त्री | 1.96 | | |
| | कुल | 11.01 | | |
| (घ) उच्च शिक्षा (सामान्य) | पुरूष | 1.84 | | |
| | स्त्री | 0.32 | | |
| | कुल | 2.16 | | |

**(5) स्कूल छोड़ने वालो की दर (1983-84)**

| | बिहार | | अखिल भारतीय | |
|---|---|---|---|---|
| | I-V | I-VIII | I-V | I-VIII |
| लड़के | 65.17 | 79.43 | 47.83 | 66.10 |
| लड़कियां | 68.99 | 87.32 | 53.96 | 75.27 |
| कुल | 66.34 | 81.86 | 50.26 | 69.76 |

**(6) अनौपचारिक शिक्षा (1986)**

| | बिहार | अखिल भारतीय |
|---|---|---|
| (क) केंद्रों की संख्या | | |
| प्राथमिक | 19,678 | 118,501 |
| मिडल | 1,171 | 7,169 |
| कुल | 20,849 | 125,670 |
| (ख) नामांकन (I-VIII) (000 में) | | |
| लड़के | 354 | 2094 |
| लड़कियां | 279 | 1578 |
| कुल | 633 | 3672 |

**(7) प्रौढ़ शिक्षा (1988-89)**

| | केंद्रीय | राज्य | कुल |
|---|---|---|---|
| परियोजनाओं की संख्या | 56 | 256 | 372 |
| ए. ई. केंद्रों की संख्या | 16800 | 25600 | 42400 |
| शामिल स्वयंसेवी संगठनों की संख्या | 11 | | |

**(8) बजट प्रावधान (1989-90)**

| | (लाखो मे) |
|---|---|
| (क) योजना | 6148 |
| (ख) गैर-योजना | 76421 |
| (ग) कुल | 82569 |



Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....